

अध्याय—सात

भुगतान शेष और विदेशी व्यापार

प्रस्तावना

7.1 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारण कुल मिलाकर भारत के आर्थिक विकास के लिए 1974-75 में बहुत अधिक प्रतिकूल रहा है। विश्व में महातमर के बाद के इतिहास में मुद्रा स्थिति की आंकड़ी जो मूलतः बड़े-बड़े औद्योगिक देशों में आर्थिक क्रियाकलापों में बढ़ि के कारण आयी थी वह तेल और अनाज की कीमतों के एकदम से बढ़ जाने के कारण 1974-75 में फिर तेज हो गयी। तेल की कीमतें और ज्यादा बढ़ जाने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान के क्षेत्र में भारी परिवर्तन हो गया और मुद्रवस्तिन विश्व मुद्रा प्रणाली में पुनः अस्थिरता आयी। हालांकि, औद्योगिक देशों में मुद्रास्थिति होने के कारण हमारे नियांति के यूनिट मूल्यों में पर्याप्त वृद्धि हो गयी, लेकिन औद्योगिक देशों की मुद्रास्थिति और पेट्रोलियम, औद्योगिक नियंत्रित जाने वाले अनाज और उर्वरकों की कीमतों में होने वाली अत्यधिक वृद्धि का कुन मिलाकर भारत के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति पर बहुत बुरा असर पड़ा है। यह बुरा असर तब पड़ रहा है जब हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होना लगभग बंद-मा हो गया है। इन्हें भारत की अर्थव्यवस्था में विदेशी घटनाओं के कारण आने वाले अपनुयन की मात्रा और भी बढ़ गयी है।

प्रारक्षित राशियों में घट-बढ़ और भुगतान शेष

7.2 भुगतान शेष के बौद्धेवार आंकड़े इस समय के बल मार्च, 1973 तक ही उपलब्ध हैं। इस बारे में हाल की पिछली मूलता के उपलब्ध न होने के कारण पिछले वर्ष या उसके आस-पास भारत की भुगतान शेष सम्बन्धी स्थिति की मुद्रा-मूल्य बारों का अनुमान विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित राशि में होने वाली बढ़ी-बढ़ी, सीमांशुल, व्यापार से आय, विदेशी महायगा की प्राप्तियां आदि जैसे तंत्रों से लगाया जा सकता है।

7.3 भारत के विदेशी लेन-देन के वास्तविक लाभ का पता अन्ततः विदेशी मुद्रा प्रारक्षित राशियों में होने वाली घटती-बढ़ती से चलता है। मार्च 7.1 में हमारी विदेशी मुद्रा प्रारक्षित राशियों में होने वाली घटती-बढ़ती शिखायी गयी है। इससे पता चलता है कि चातूं वितोष वर्ष के पहले नौ महीनों (प्रैन-दिसम्बर, 1974) में भारत की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित राशियों में 2.8 करोड़ रुपये की मामूली-सी वृद्धि हुई थी। फिर भी प्रारक्षित विदेशी मुद्रा की राशि में होने वाली घटती-बढ़ती से विदेशी लेन-देन पर पड़ने वाले प्रभाव का हमेशा पता नहीं चल सकता क्योंकि

सारणी 7.1

भारत की प्रारक्षित विदेशी मुद्रा राशि

(करोड़ रुपयों में)

| वर्ष/महीने का अन्त | सोना नथा* | एम० डी०* | कुल | प्रारक्षित | एम० डी० | नये एस०डी० | अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से | प्रारक्षित |
|--------------------|---------------|----------|------------|------------|---------|------------|-------------------------------|-------------|
| | विदेशी मुद्रा | आर० | प्रारक्षित | राशि में | आर० | आर० के | नियंत्रित विदेशी (+) | राशि में |
| | | | राशि | घट-बढ़ | | | अनावा, | पुनः अदायगी |
| 1967-68 | . | 538.6 | -- | 538.6 | 60.2 | -- | 60.2 | 24.4 35.8 |
| 1968-69 | . | 576.7 | -- | 576.7 | 38.1 | -- | 38.1 --58.5 | 96.6 |
| 1969-70 | . | 728.9 | 92.0 | 820.9 | 244.2 | 94.5 | 149.7 --125.4 | 275.1 |
| 1970-71 | . | 620.6 | 111.7 | 732.3 | --88.6 | 75.4 | --164.0 --176.3** | 12.3 |
| 1971-72 | . | 662.9 | 185.8 | 848.7 | 116.4 | 74.7 | 41.7 -- | 41.7 |
| 1972-73 | . | 661.4 | 184.9 | 846.3 | --2.4 | -- | --2.4 -- | --2.4 |
| 1973-74 | . | 763.3 | 183.7 | 947.0 | 100.7 | -- | 100.7 62.6 | 38.1 |
| दिसम्बर 1974 (क) | . | 769.9 | 179.9 | 949.8 | 2.8 | -- | 2.8 488.1 --485.3 | |
| | | | | | | | (5--6) | (7--8) |

*20 दिसम्बर 1971 और जून 1972 के मध्य, कनाडियन डालर के अतिरिक्त अन्य विदेशी मुद्राओं का सम-मूल्य केंद्रीय दरों पर निकाला गया। कनाडियन डालर का मूल्य न्यूयार्क में, क्रय-विक्रय की हाजिर दर के मासिक औपसत के बन्दुसार आंकड़ा गया। जल्दी, 1972 से पौण्ड का मूल्य भारतीय रिजर्व बैंक की क्रय-विक्रय की हाजिर दरों के अनुसार आंकड़ा गया है: विदेशी मुद्रा की अन्य रकमों को, जिनमें कनाडियन डालर भी शामिल हैं, अप्रैल, 1974 तक लंदन में क्रय-विक्रय की हाजिर दरों के औपसत के आधार पर रखयों में परिवर्तित कर दिया गया है। लेकिन सोने तथा एम० डी० आर० का मूल्य सभी मामलों में उनके दिसम्बर 1971 पूर्वी रूपयों मूल्यों के अनुसार आंकड़ा गया है।**

**अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को सोने के रूप में कोटि की राशि की अदायगी करने के लिये, विदेशी से सोने की ऊरीद पर होने वाला ऊर्जा शामिल है।

(क) अनन्तिम।

जरूरत पड़ने पर न्यौट्रीय मुद्रा कोष से धरा लेने की आवश्यकता नाल उत्तरोप कर प्रारक्षित राशि की कमी पूरी करली जाती है। वास्तव में अप्रैल और मई 1974 में भारत ने सोने के अपने कोटे और क्रूण की पहली किट्ठों के बदले अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 294.2 करोड़ रुपये की रकम ली थी। इसके अलावा उसने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तेल सुविधा के अन्तर्गत अवधार, 1974 के अन्त में 193.9 करोड़ रुपये की और रकम ली थी। इस तरह चालू वित्त वर्ष में भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कुल मिलाकर 488.1 करोड़ रुपये की रकम ली। अगर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से धन न लिया गया होता तो भारत की प्रारक्षित विदेशी मुद्रा राशि में 1974-75 के पहले नौ महीनों में 485.3 करोड़ रुपये की कमी हो जाती। इस रकम से यह पता चलता है कि जितनी रकम हमें पिछे उससे कितनी ज्यादा अदायगी हमारे द्वारा की गयी। इसके अलावा इससे इस अवधि में हमारे भुगतान शेष की वास्तविक कमी का पता चलता है। वर्तमान संकेतों के अनुसार, संभव है कि 1974-75 की अन्तिम तिमाही में भारत की प्रारक्षित राशि में भारी कमी आ जाय।

7.4 भारत के समूचे भुगतान शेष की स्थिति 1974-75 में जो कि खराब हो गयी है वह 1973-74 की सन्तोषजनक स्थिति से बिल्कुल उल्टी है। सीमा शुल्क के आंकड़ों के अनुसार व्यापारिक घाटा 437.7 करोड़ रुपये था लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से उसके द्वारा दी जाने वाली प्रतिपूर्ति वित्त प्रबन्ध सुविधा के अन्तर्गत फरवरी 1974 में 62.6 करोड़ रुपये लिये गये। इसका प्रभाव मुख्य रूप से यह हुआ कि भारत की प्रारक्षित मुद्रा राशि में 1973-74 में 100.7 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। अगर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से यह रुक्त न भी ली गयी होती, तो प्रारक्षित राशि में लगभग 38 करोड़ रुपये की वृद्धि होती। इस वृद्धि का एक कारण यह भी है कि कुल निर्यात के एक अंश की अदायगी परिवर्तनीय मुद्राओं में को गयी। इस बात के संकेत भी मिले हैं कि सम्भवतः गैरकानून प्रयोजनों के लिए विदेशी मुद्रा की चोरी कम होने जैसे कारणों से भी अदृश्य स्रोतों से होने वाली निवल प्राप्तियों में वृद्धि हुई। विदेशों से 1973-74 में सहायता के रूप में जो निवल रकम प्राप्त हुई वह पहले की अपेक्षा अधिक थी और यह भी एहं अनुकूल कारण था।

7.5 चालू वित्त वर्ष में भारत के भुगतान शेष पर दबाव मुख्य रूप से आयात की जाने वाली वस्तुओं की कीमत में तेजी से वृद्धि होने के कारण पड़ा। अगर निर्यात को मूल्य के रूप में आंका जाये तो उत्साहजनक सूधार दिखायी पड़ता है। विदेशी सहायता की प्राप्तियों में भी कुछ वृद्धि हुई है। आन्तरिक सुरक्षा कानून के अन्तर्गत तस्करों के विरुद्ध हाल ही में की गयी कार्रवाई से भी विदेशी मुद्रा की चोरी कम हो गयी है। लेकिन चालू वर्ष में ऊची वाणिज्यिक कीमतों पर विदेशों से भारी मात्रा में मंगाये गये अनाज के लिये अधिक अदायगियां करने और कच्चे तेल और उर्वरकों के आयात पर भी भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करने का शुगतान शेष पर बहुत अधिक दबाव पड़ा है।

7.6 वर्ष 1973-74 के और 1974-75 के पहले आठ महीनों के आयात और निर्यात से सम्बन्धित आंकड़े सीमा-शुल्क के विवरणों में उपलब्ध हैं। इन आंकड़ों के अनुसार 1973-74 में कुल मिलाकर 2483.2 करोड़ रुपये का निर्यात किया गया था जो 1972-73 में किये गये निर्यात से लगभग 26 प्रतिशत अधिक था। दूसरी ओर, कुल 2920.9 करोड़ रुपये के मूल्य का आयात किया गया जिससे यह पता चलता है कि इसमें 1972-73 में किये गये आयात की तुलना में 56.4 प्रतिशत की तेजी

से वृद्धि हुई है। इस प्रकार 1973-74 में 437.7 करोड़ रुपये का काफी अधिक व्यापारिक घाटा हुआ जबकि 1972-73 में 103.4 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था। वर्ष 1973-74 में आयात का खर्च तेजी से बढ़ने का मुख्य कारण पैट्रोलियम और इससे बनी चीजों की कीमतों का ऊना होना और उर्वरकों, अनीह धातुओं और लोहे और इस्पात जैसी आयात की जाने वाली अन्य मुख्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि का होना था। अनाज और वास्तविक तेजों के आयात में वृद्धि होने के कारण भी जिनकी कीमतें काफी बढ़ गयी थीं, कुल खर्च में बढ़ोत्तरी हुई।

7.7 वर्ष 1974-75 के पहले आठ महीनों में (अप्रैल से नवम्बर तक) निर्यात की वृद्धि की अपेक्षा अधिक आयात की प्रवृत्ति बनी रही। इस अवधि में, निर्यात में लगभग 36.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि आयात का मूल्य लगभग 54 प्रतिशत बढ़ गया। अप्रैल से नवम्बर, 1974 तक की अवधि में 2026.8 करोड़ रुपये का निर्यात और 2451.31 करोड़ रुपये के मूल्य का आयात किया गया जिसके परिणामस्वरूप व्यापार शेष में 424.5 करोड़ रुपये का घाटा रहा जबकि 1973-74 के पहले आठ महीनों में केवल लगभग 105.2 करोड़ रुपये का घाटा था।

7.8 वर्ष 1973-74 में, हमारे निर्यात को विश्व में बहुत-सी वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाने के कारण लाभ हुआ। लेकिन इसके साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि होने से आयात की प्रतिरक्षित लागत के कारण भारी बोझ भी आ पड़ा जिसका कुल मिलाकर परिणाम यह निकाल कि निर्यात की आमदानी में वृद्धि होने से जो लाभ हुआ वह आयात की लागत में होने वाली वृद्धि से न केवल बराबर हो गया बल्कि कुल मिलाकर घाटा ही रहा। वर्ष 1958 की आधार मात्रकर, वाणिज्यिक आपूर्ति और सांख्यिकी के मानदिशेक द्वारा संकेतित निर्यात और आयात के यूनिट के मूल्य के सूचकांकों के अनुसार 1973-74 में निर्यात के औसत यूनिट मूल्य में जबकि वृद्धि लगभग 22.3 प्रतिशत की हुई थी, उसके विपरीत हमारे आयात के औसत यूनिट मूल्य में 45.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप हमारा कुल व्यापार 16 प्रतिशत से अधिक गिर गया। उत्तरव्यापार आंकड़ों से 1974-75 में हमारे व्यापार में किसी उल्लेखनीय सुधार का पता नहीं चलता।

7.9 वर्ष 1973-74 में जो इतना अधिक व्यापारिक घाटा हुआ उसके साथ-साथ हमारे व्यापार की अधिक दिग्गजों में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। खासतौर से, तेल का निर्यात करने वाले देशों से आयात वर्ष 1973-74 में तेजी से बढ़कर 18.2 प्रतिशत हो गया जबकि यह 1972-73 में 10.7 प्रतिशत था। इसी प्रकार ऊत्तर अमेरिका से किये जाने वाले हमारे आयात का अनुपात 1972-73 में 19.6 प्रतिशत से बढ़कर 1973-74 में 22.8 प्रतिशत हो गया। दूसरी ओर, यूरोपीय साझा बाजार के देशों (जिसमें ब्रिटेन भी शामिल है) से हमारा आयात 1972-73 में 30.9 प्रतिशत से कम होकर 1973-74 में 23.4 प्रतिशत रह गया। निर्यात की दिशा में मुख्य बात यह थी कि परिवर्तनीय मुद्रा धोकों में हमारे निर्यात का अनुपात 1972-73 के 67.6 प्रतिशत से बढ़कर 1973-74 में 78.4 प्रतिशत हो गया। वर्ष 1973-74 में भारत द्वारा किये गये कुल निर्यात में पूर्वी यूरोपीय देशों का हिस्सा 1/5 था और यह 1968-69 और 1969-70 के बराबर ही था।

+जब अनाज, पैट्रोलियम और उससे बनी चीजों के आयात के संबंध में और अधिक सूधार मिल जायगी तब नवम्बर के आंकड़ों में संशोधन करने से आयात के आंकड़े और भी अधिक हो सकते हैं।

आयात

7.10 वर्ष 1973-74 में जो आयात (2921 करोड़ रुपये) किया गया वह 1972-73 में किये गये 1867 करोड़ रुपये के आयात के द्वयों से कुछ अधिक था। यद्यपि काजू, कपास, लुगरी और रटी कागज, कागज और गते, बिजली की मशीनों और परिवहन के उपकरणों के आयात में कमी हुई, लेकिन अनाज, वनस्पति तेलों, पेट्रोलियम और उससे बढ़ी

चीजों, रासायनिक खाद और रासायनिक खाद तैयार करने में काम आने वाले कच्चे माल, अलौह धारुओं, लोहे और इसपात और पूंजीगत माल के आयात में भारी वृद्धि हुई। इन सात मदों के आयात के कुल मूल्य में पिछले साल के मुकाबले 1973-74 में 90 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि हुई थी।

7.11 1971-72 के प्रमुख वस्तु-समूहों के आयात के ऊन्हें जीवे की सारणी में दिखाये गये हैं।

सारणी 7.2

मुख्य वस्तु समूहों के अनुसार भारत का आयात

(करोड़ रुपये)

| | 1971-72 | 1972-73 | 1973-74 | अप्रैल से सितम्बर | | 1974-75 | 1973-74 | 1973 की |
|---|---------|---------|---------|-------------------|----------------|---------------|---------------|----------------------|
| | | | | तुनामा में | अप्रैल-सितम्बर | | | |
| 1. अनाज | | | | 131.4 | 80.8 | 473.1 | 252.1 | 131.4 + 91.1 |
| 2. रुई | | | | 113.4 | 90.9 | 52.0 | 14.1 | 32.8 -- 57.0 |
| 3. कच्चा जूट | | | | -- | 1.1 | 12.2 | 1.7 | 11.4 -- 85.1 |
| 4. चर्बी और वनस्पति तेल | | | | 46.5 | 24.9 | 64.9 | 24.9 | 21.4 + 16.4 |
| 5. रासायनिक खाद व रामायनिक खाद की सामग्री | | | | 111.3 | 145.7 | 226.1 | 194.0 | 78.0 + 148.7 |
| 6. पेट्रोलियम और उससे बनी चीजें | | | | 194.1 | 204.0 | 560.3 | 586.5 | 152.6 + 284.3 |
| 7. धातु | | | | 340.0 | 334.9 | 382.3 | 247.7 | 166.3 + 48.9 |
| 8. मशीनें तथा परिवहन उपकरण | | | | 470.6 | 532.0 | 629.0 | 318.1 | 284.6 + 12.0 |
| 9. अन्य | | | | 417.4 | 453.1 | 521.0 | 293.2 | 233.2 + 25.7 |
| कुल आयात | | | | 1824.5 | 1867.4 | 2920.9 | 1933.0 | 1111.7 + 73.9 |

7.12 1971-72 और 1972-73 में अनाज की बैदावार के लगातार घटने के कारण 1973-74 में 473.1 करोड़ रुपये की कीमत के लगभग 44 लाख मैट्रिक टन अनाज का आयात करना पड़ा। इसके मुकाबले 1972-73 में 81 करोड़ रुपये से 8 लाख टन अनाज का वास्तविक आयात किया गया था। इस प्रकार 1973-74 में अनाज का आयात कुल आयात का 16 प्रतिशत बैठता है जबकि 1972-73 में यह केवल 4.3 प्रतिशत था। बड़ी मात्रा में अनाज के आयात के अलावा अनाज की ऊन्हीं कीमतों के कारण आयात का खर्च कमी हुआ गया। वर्ष 1973-74 में तीन मुख्य मदों अर्थात् अनाज, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम की चीजों और रामायनिक खाद के आयात पर कुल 1251.5 करोड़ रुपया खर्च हुआ जबकि 1972-73 में इस पर 410.4 करोड़ रुपया खर्च हुआ था।

7.13 वर्ष 1973-74 में रुई का आयात 1972-73 में 91 करोड़ रुपये से घट कर 52.0 करोड़ रुपये का रह गया और इस प्रकार आयात की मात्रा में 50 प्रतिशत की कमी हो गयी। लेकिन आयात की कीमतें ऊन्हीं होने के कारण मूल्य के रूप में हुई कमी उस कमी के अनुसार नहीं

थी जो मात्रा में हुई। दूसरी ओर, कच्ची ऊन के आयात में 80.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई और 16.1 करोड़ रुपये की ऊन का आयात किया गया। इस मामले में भी, आयात की मात्रा 1972-73 के 10.0 हजार टन से घट कर 1973-74 में 7.4 हजार टन रह गयी।

7.14 चर्बी और वनस्पति तेलों के आयात में भारी वृद्धि हुई। वर्ष 1972-73 में 24.9 करोड़ रुपये के मूल्य की 1.1 लाख टन ये वस्तुएं बाहर से मंगायी गयीं जबकि 1973-74 में 64.9 करोड़ रुपये मूल्य की 2.1 लाख टन इन वस्तुओं का आयात किया गया। वनस्पति तेल और चर्बी का यूनिट मूल्य लगभग 40 प्रतिशत अधिक था जिसके कारण इन वस्तुओं के आयात पर भारी रकम खर्च करनी पड़ी।

7.15 उर्वरकों और रासायनिक वस्तुओं का आयात वर्ष 1972-73 के 282 करोड़ रुपये से 38 प्रतिशत बढ़कर 1973-74 में 389.3 करोड़ रुपये का हो गया। इस वृद्धि का लगभग 4/5 भाग केवल उर्वरकों के आयात की ऊनीं कीमतों के कारण था। कुल मिलाकर 226.1 करोड़

रुपये के मूल्य के 38.3 लाख टन उर्वरक और उर्वरक बनाने के काम आने वाले कच्चे माल का आयात किया गया। वर्ष 1972-73 की तुलना में मात्रा के रूप में यह आयात केवल लगभग 7 प्रतिशत अधिक था तेकिन कीमत के रूप में यह 55 प्रतिशत अधिक था। उर्वरकों और उर्वरक बनाने के काम आने वाले कच्चे माल का संयुक्त यूनिट मूल्य 1972-73 में 407.5 रुपये प्रति टन से बढ़कर 1973-74 में 591 रुपये प्रति टन हो गया।

7.16 आयात के मूल्य में सबसे अधिक वृद्धि पेट्रोलियम और उससे बनी चीजों (प्रैल, तेल, ल्यूप्रिंकेट) के मामले में हुई। वर्ष 1973-74 में पेट्रोलियम और उससे बनी चीजों के आयात पर कुल 560.3 करोड़ रुपये खर्च हुए जो 1972-73 में किये गये 204 करोड़ रुपये के आयात खर्च से 175 प्रतिशत अधिक हैं। हालांकि आयात किये गये पेट्रोलियम और उससे बनी चीजों की मात्रा में केवल 14 प्रतिशत से कम की वृद्धि हुई लेकिन इनके यूनिट मूल्य में तेजी से 142 प्रतिशत भी वृद्धि हो गयी। इस प्रकार पेट्रोलियम और इससे बनी चीजों का आयात 1973-74 के कुल आयात खर्च का लगभग 19.2 प्रतिशत हो गया जबकि 1972-73 में यह केवल 9.2 प्रतिशत था।

7.17 लुगदी और रटी कागज के आयात में 1973-74 में मामूली-सी कमी हुई। कागज और कागज के गते के आयात में भी 2.5 करोड़ रुपये की कमी हुई। हालांकि बिजली की मशीनों और परिवहन उपकरणों का आयात घट गया, लेकिन बिजली से जिन मशीनों और धातु की बनी चीजों के आयात में तेजी से वृद्धि हुई। कुल मिलाकर पूजीवाले माल के आयात में, केवल 18.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसमें कीमतों में होने वाली वृद्धि भी शामिल है। ऐसा मालूम होता है कि देश में शौद्धीकिक कार्यों की गति धीमी हो जाने और विदेशों में कीमतों के बढ़ जाने के कारण पूजीगत माल का आयात किया जाना रुक गया है।

7.18 यद्यपि मूल्यों के रूप में लोहे, इस्पात और अलौह धातुओं का आयात बढ़ा है, लेकिन मात्रा के रूप में इसमें काफी कमी आयी है। 1973-74 में 242.6 करोड़ रुपये के 101.2 हजार टन लोहे और इस्पात का आयात किया गया जबकि 1972-73 में 225.8 करोड़ रुपये के मूल्य के 1222 हजार टन का आयात किया गया था। इस प्रकार इनके यूनिट मूल्य में लगभग 30 प्रतिशत की औसत वृद्धि हुई। इसी प्रकार अलौह धातुओं के आयात के मामले में भी जहां आयात का मूल्य 1972-73 में 104.2 करोड़ रुपये से बढ़ कर 1973-74 में 133.0 करोड़ रुपये हो गया, आयात की गति इन धातुओं की मात्रा 1806 लाख किलोग्राम से घट कर 1592 लाख किलोग्राम रह गयी। कीमतों में तेजी से वृद्धि होने के परिणामस्वरूप तांबे, निकल, जस्ते, जिक और टिन के यूनिट मूल्यों में 15 से लेकर 48 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई।

7.19 ऊपर बतायी गयी मुख्य मदों के आयात के स्वरूप से यह पता चलता है कि 1973-74 में हमारे आयात के मूल्य में जो इतनी अधिक वृद्धि हुई थी वह मुख्यतः विदेशों में डक्की कीमतों के कारण है और यह

हमारे आयात व्यापार की मात्रा में किसी महत्वपूर्ण वृद्धि की सूचक नहीं। अन्ताज और वनस्पति तेलों को छोड़कर, जिनका 1973-74 में बड़ी मात्रा में आयात किया गया था, हमारे अन्य आयातों की मात्रा में भारी वृद्धि नहीं हुई। चीजों का थोड़ी मात्रा में मिल सकता और विदेशों में डक्की कीमतों को देखते हुए आयात के द्वारा देश में कमी को पूरा करने की मुश्ताइश बहुत कम थी और आयात की लागत में वृद्धि होने का असर यह हुआ कि देश में निर्मित माल की लागत में वृद्धि हो गयी।

7.20 वर्ष 1974-75 के पहले आठ महीनों (अप्रैल से नवम्बर तक) में भारत द्वारा कुल 2451.3 करोड़ रुपये के मूल्य का आयात किया गया जो 1973-74 की इसी अवधि में किये गये आयात से 54 प्रतिशत अधिक है। आयात की गयी इन चीजों का अलग-अलग व्यौरा केवल अप्रैल से सितम्बर 1974 तक का ही उपलब्ध है। इन छः महीनों में हमारे आयात के मूल्य में लगभग 821.3 करोड़ रुपये की जो कुल वृद्धि हुई है उसमें लगभग 89 प्रतिशत वृद्धि पेट्रोलियम या उससे बनी चीजों, उर्वरकों, अनाज और लोहे और इस्पात के आयात में या आयात के मूल्य में हुई वृद्धि के कारण हुई जो 729.4 करोड़ रुपयों का हुआ। अलौह धातुओं के कारण आयात के कुल मूल्य में 3.2 प्रतिशत की ओर वृद्धि हुई जबकि दूसरी और रुई, कच्चे जूट और गैर-धात्विक खनियों से बनी चीजों के आयात के मूल्य में कमी हुई।

आयात के लिए लाइसेंस देना

7.21 आयात के लाइसेंस जारी करने और इस लाइसेंस का इस्तेमाल किये जाने के समय में अन्तर होने के कारण वर्ष में किये गये आयात के मूल्य और जारी किये गये आयात लाइसेंसों के मूल्य के बीच परस्पर कोई निश्चित सम्बन्ध नहीं होता। लेकिन, 1973-74 में हमारे आयात के मूल्य में हुई 56.4 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में इस अवधि में जारी किये गये आयात लाइसेंसों के मूल्य में 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस वर्ष जारी किये गये लाइसेंसों का मूल्य 2333 करोड़ रुपये था जबकि 1972-73 में 1856 रुपये के लाइसेंस जारी किये गये थे। कुल मिला कर जितने मूल्य के लाइसेंस जारी किये गये, उसमें बड़ा हिस्सा सरकारी क्षेत्र का था। वर्ष 1973-74 में जारी किये गये लाइसेंसों के मूल्य में से इस क्षेत्र के लाइसेंसों के मूल्य में लगभग 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई और जारी किये गये लाइसेंसों के कुल मूल्य में सरकारी क्षेत्र का हिस्सा लगभग 71 प्रतिशत बैठता है। गैर-सरकारी क्षेत्र के मामले में केवल थोड़ी-सी अर्थात् 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 1973-74 की आयात नीति में कुल मिलाकर कोई परिवर्तन नहीं किया गया लेकिन निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आयात की व्यवस्था में और हील दी गयी।

7.22 तीव्रे दी गयी सारणी में 1970-71 से प्रमुख श्रेणियों के आयातकों को दिये गये लाइसेंसों के जारी किये जाने के क्रम का पता चलता है-

सारणी 7.3

आयात लाइसेंसों का श्रेणीबार क्रम

(करोड़ रुपये)

| श्रेणियां | 1970-71 | 1971-72 | 1972-73 | 1973-74 | अग्रील-अवतृवर | | प्रतिशत परिवर्तन | कालम 7/6 |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------------|---------|---------------------|----------|
| | | | | | 1973-74 | 1974-75 | | |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| स्थायी आयातक | 41.8 | 40.8 | 55.3 | 38.5 | 14.3 | 19.7 | + 38 | |
| 2. वास्तविक उपयोगकर्ता | 311.9 | 368.3 | 376.0 | 483.4 | 199.4 | 359.8 | + 80 | |
| 3. तकनीकी विकास महानिदेशालय के यूनिट | 385.0 | 252.7 | 171.2 | 198.2 | 85.4 | 91.1 | + 7 | |
| 4. लघु उद्योग | 83.3 | 1118.0 | 86.4 | 82.9 | 29.6 | 34.9 | + 18 | |
| 5. पंजीकृत नियांतक | 94.7 | 93.4 | 136.0 | 151.3 | 77.3 | 77.7 | नगद्य | |
| 6. पूंजीगत माल | 127.1 | 252.2 | 268.0 | 261.6 | 148.3 | 101.1 | -- 32 | |
| 7. सीमांशुलक अनुमति परमिट | 32.9 | 32.0 | 58.1 | 65.4 | 35.5 | 63.3 | + 78 | |
| 8. सरकारी व्यापार एजेंसियां | 444.6 | 587.6 | 620.9 | 948.3 | 549.8 | 607.3 | + 10 | |
| 9. अन्य | 112.7 | 108.7 | 83.8 | 104.1 | 62.5 | 67.6 | + 8 | |
| जोड़ | 1633.9 | 1853.7 | 1855.7 | 2333.7 | 1202.0 | 1422.4 | + 18 | |

7.23 स्थायी आयातकों और लघु उद्योगों की यूनिटों को छोड़कर अन्य सभी श्रेणियों को जारी किये गये लाइसेंसों का मूल्य 1970-74 में काफी अधिक था। सबसे अधिक वृद्धि सरकारी व्यापार एजेंसियों के मालमें हुई व्योक्त हमारी बढ़त-सी बस्तुओं का आयात अब हम्ही एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है। इस श्रेणी के अन्तर्गत जारी किये गये लाइसेंसों का मूल्य 1972-73 के 620.9 करोड़ रुपये से बढ़कर 1973-74 में 948.3 करोड़ रुपये हो गया अर्थात् इसमें 53 प्रतिशत की वृद्धि हुई। एक अन्य श्रेणी जिसको जारी किये गये लाइसेंसों के मूल्य में 28.5 प्रतिशत की काफी अधिक वृद्धि हुई, वह वास्तविक उपयोगकर्ताओं की श्रेणी थी। यह उनके द्वारा किये गये नियांत के परिणामों के अधार पर उन्हें तरजीह दिये जाने और फालतू पुर्जों और हिस्सों को आयात की मात्रा में ढील दिये जाने के कारण हुआ। दूसरी ओर, स्थायी आयातकों के नाम जारी किये जाने वाले आयात लाइसेंसों में 30.4 प्रतिशत की कमी हुई जिसका कारण उनके लिए विभिन्न प्रशार के उपकरणों के फालतू हिस्सों, औषधियों और द्रवाइयों, मोटर गाड़ियों के हिस्सों और औजारों जैसी 26 मदों के काटे में कमी का किया जाना था।

7.24 वर्ष 1974-75 के पहले साल महीनों में जारी किये गये आयात लाइसेंसों के मूल्य में पिछले वर्ष इसी अवधि में जारी किये गये लाइसेंसों के मूल्य की तुलना में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस अवधि में वास्तविक उपयोगकर्ताओं के नाम जारी किये गये आयात लाइसेंसों के मूल्य में 80 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अधिक संख्या में उद्योगों को प्राथमिकता दिया जाना, लाइसेंसों की प्रक्रिया का सरल बना दिया जाना और पुनरावृत्ति के आधार पर पुनर्भरण लाइसेंसों का बनाया जाना आदि कुछ ऐसी बातें हैं, जिनके कारण इस श्रेणी के उद्योगों के नाम जारी किये गये लाइसेंसों के मूल्य में वृद्धि हुई। लघु उद्योगों को जारी किये गये लाइसेंसों के मूल्य में भी 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसका कारण इन उद्योगों द्वारा विदेशी सम्भरकों को सीधे आड़ं देने और किये गये काम

के आधार पर माल के पहले छ महीने के लिए अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात का प्रबंध करने की स्थियात देनी तथा पिछले छ बेंचों में खोने गये लघु उद्योगों के लिए कच्चे माल, हिस्सों और अनिरित पुर्जों का आयात करने की सुविधाओं का विस्तार करना था।

नियांत

7.25 वाणिज्यिक आमूचना और सांख्यिकी के महानिदेशक के अनुसार 1973-74 में भारत का कुल नियांत 2483.2 करोड़ रुपये का हुआ था जो 1972-73 के 1970.8 करोड़ रुपये के नियांत से 512.4 करोड़ रुपये या 26 प्रतिशत अधिक था। यह चौरी पंचवर्षीय आयोजना के पहले चार वर्षों में (1968-69 से 1972-73 तक) लाभग 9.7 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि दर से हुई बड़ोनरों के वरावर है। वर्ष 1973-74 में हुई वृद्धि को हिसाब में ले लेने के बाद, चौरी आयोजना की समूची अवधि में नियांत के मूल्य में हुई वृद्धि की वार्षिक औसत दर 12.8 प्रतिशत बैठती है।

7.26 वर्ष 1973-74 में हमारी नियांत आमदनी में 26 प्रतिशत की वृद्धि की दर देग के अन्दर उत्पादन में अनेक बाली झकाझटों को देखने हुए हालांकि महत्वपूर्ण है, लेकिन विश्व व्यापार में हुई वृद्धि या वित्तावधीन देशों के नियांत में कुत भित्तिकर हुए विस्तार के अनुल्लं नहीं है। मिसाल के तौर पर वर्ष 1973 में विश्व नियांत के मूल्य में 37.8 प्रतिशत और विकासशील देशों (तेल का नियांत करने वाले विकासशील देशों को छोड़कर) के नियांत में 45 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई थी। इसके अनुकूलते, भारत के नियांत में, 1973 में केवल 31.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालांकि विश्व के नियांत में कम विकासशील देशों का (तेल का नियांत करने वाले विकासशील देशों को छोड़कर) हिस्सा 1972 में 11.7 प्रतिशत से बढ़कर 1973 में 12.4 प्रतिशत ही गया था, लेकिन विश्व नियांत में हमारा हिस्सा 1972 में 0.66 प्रतिशत के

मुकाबले 1973 में कम हो कर 0.63 प्रतिशत रह गया। इसके अलावा, हमारे नियर्यात में जो वृद्धि हुई, वह आयात में हुई वृद्धि से कहीं कम थी जिसके परिणामस्वरूप हमारे विदेशी व्यापार का मन्तुलन और भी बिगड़ गया।

7. 27 1973-74 में निर्यात की आमदनी में वृद्धि मुख्यतः संमार में कई वस्तुओं के यूनिट मूल्यों के बढ़ जाने के परिणामस्वरूप अधिक रकम प्राप्त होने के कारण हुई। वाणिज्यिक आमुचना और सांविकी के महानिवेशलय के निर्यात की मात्रा के सूचक अक्ष के अनुसार 1958 को आधार मानते हुए हमारे निर्यात की मात्रा में 1972-73 में हुई 11.3 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 1973-74 में केवल 3.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इन प्रकार 1973-74 में निर्यात की आमदनी में हुई 512.4 करोड़ रुपये की कुल वृद्धि में से लगभग 14 प्रतिशत वृद्धि मात्रा में हुई बढ़ोतरी और ये 86 प्रतिशत वृद्धि अधिक यूनिट मूल्य प्राप्त होने के कारण हुई।

7.28 1973-74 में विनिमय दर प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और रूपये का केन्द्रीय मूल्य एक पौण्ड स्टर्लिंग = 18.97 रूपये पर स्थिर रहा। हाल के वर्षों में भारत की विनिमय दर संबंधी नीति से, देश में मद्रासफीति का भारी दबाव होते पर भी भारत के निर्याति का

आगे बढ़ाये रखने की कोशिश करने में सहायता मिली है। जब संसार की सभी मुद्राओं को अपना-अपना समूल्य तय करने के लिए खुला छोड़ा दिया गया हौं, तब विनिमय दरों की व्यवस्था में पूरे तौर पर स्थिरता की कल्पना करना वास्तविकता से आँखें मूँदना होगा। फिर भी, यह बात नोट करने की है कि वर्ष 1973-74 में व्यापार-भारिता के अधार पर भी उन स्थारह देशों की मुद्राओं की तुलना में, जिनके साथ हमारा 60 प्रतिशत तक विदेशी व्यापार होता है, रुपये की वास्तविक विनिमय दर में 2.89 प्रतिशत में अधिक की कमी नहीं हुई।

7.29 1973-74 में मुख्य रूप से खली, सूती कपड़ा, इंजीनियरी के सामान, हस्तशिल्प, मछली और मछली की बनी हुई चीजों, सिनेमिलाये सूती कपड़ों, चीनी, मूंगफली, खनिज लोहे और नकली रेशम के कपड़ों के नियर्ता से हाँने वाली आमदनी में काफी वृद्धि हुई। 1973-74 में आयात की आमदनी में हुई 512.4 करोड़ रुपये की वृद्धि में से इन दस वस्तुओं का हिस्सा कुल मिलाकर लगभग 89 प्रतिशत बैठता है। दूसरी ओर जिन मदों का नियर्ता मूल्य कम हो गया उनमें जूट से बनी चीजें, चाय, चमड़ा और चमड़े से बनी चीजें, अधक, सूती धारणा और खनिज ईंधन और लुब्रिकेंट आमिल हैं। नीचे दी गयी सारणी 7.4 में 1971-72 से 1973-74 तक तथा अप्रैल से सितम्बर 1974 तक मुख्य वस्तुओं के अनुसार नियर्ता का कम दिखाया गया है।

सारणी 7.4

| मरु/ताप्ती | 1971-72 | 1972-73 | 1973-74 | 1972-73 के मुकाबले | अप्रैल-सितम्बर | | अप्रैल-सितम्बर | |
|---|---------|---------|---------|-----------------------|---|--------|----------------|---|
| | | | | | 1973-74 में प्रतिशत वृद्धि-वृद्धि | 1973 | 1974 | 1973 के मुकाबले अप्रैल सितम्बर 1974 में हुआ प्रतिशत परिवर्तन |
| | | | | | | 1973 | 1974 | |
| 1. खली | . | . | 40.2 | 74.8 | 170.6 | +128.0 | 43.6 | 90.5 --51.8 |
| 2. तम्बाकू | . | . | 45.1 | 63.9 | 70.9 | +11.0 | 56.2 | 45.7 +23.1 |
| 3. मछली और मछली से बने पदार्थ | . | . | 42.0 | 54.5 | 88.4 | +62.3 | 31.8 | 41.7 --23.4 |
| 4. चाय | . | . | 156.3 | 147.3 | 144.9 | --1.7 | 88.1 | 60.0 +46.8 |
| 5. काफी | . | . | 22.1 | 32.9 | 46.0 | +39.7 | 32.8 | 26.4 +24.5 |
| 6. चीनी | . | . | 30.2 | 13.3 | 42.2 | +218.0 | 100.7 | 5.6 +1705.4 |
| 7. काजू की गिरी | . | . | 61.3 | 68.8 | 74.4 | +8.2 | 66.1 | 46.2 +43.0 |
| 8. मूँगफली | . | . | 5.8 | 5.4 | 32.5 | +501.8 | 10.6 | 5.7 +87.6 |
| 9. खनिज लोहा | . | . | 104.7 | 109.8 | 132.8 | +21.0 | 49.3 | 55.2 --10.8 |
| 10. सूती कपड़ा | . | . | 76.7 | 100.9 | 192.2 | +90.4 | 93.6 | 77.3 +21.1 |
| 11. सिले-सिलाये सूती कपड़े | . | . | 14.0 | 29.9 | 63.7 | +113.5 | 48.3 | 15.9 +204.2 |
| 12. नकली रेशम का कपड़ा | . | . | 7.5 | 9.6 | 27.9 | +190.6 | 10.7 | 8.2 +30.7 |
| 13. जूट से बनी वस्तुएं | . | . | 265.3 | 250.0 | 227.3 | --9.1 | 169.4 | 111.2 +52.3 |
| 14. चमड़ा, चमड़े से बनी वस्तुएं (जूतों को छोड़कर) | . | . | 90.8 | 174.5 | 171.4 | --1.9 | 76.5 | 93.3 --18.0 |
| 15. इंजीनियरी का सामान | . | . | 122.3 | 141.0 | 201.3 | +42.8 | 141.1 | 75.9 +85.8 |
| 16. हस्तशिल्प की वस्तुएं | . | . | 81.7 | 119.7 | 164.1 | +37.1 | 84.7 | 59.0 +43.5 |
| 17. अन्य | . | . | 442.3 | 574.5 | 632.6 | +10.0 | 411.1 | 257.0 +60.0 |
| कुल निर्यात | . | . | 1608.2 | 1970.8 | 2483.2 | +26.0 | 1514.6 | 1074.8 +40.9 |

7.30 वर्ष 1973-74 में जूट से बनी चीजों के निर्यात मूल्य में 9.1 प्रतिशत की कमी हुई अर्थात् 1972-73 में 250.00 करोड़ रुपये के निर्यात के मुकाबले 1973-74 में 227.4 करोड़ रुपये के मूल्य का निर्यात किया गया। यह कमी निर्यात की मात्रा के कम होने और यूनिट मूल्य में कमी होने दोनों के कारण हुई। मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ जैसे मुख्य बाजारों द्वारा कम साल उठाने के कारण जूट से बनी वस्तुओं के निर्यात में 1972-73 की अपेक्षा 3.1 प्रतिशत की कमी हुई। इस उद्योग को पावर की मप्लाई में कमी होने के कारण आन्तरिक उत्पादन घट गया और जनवरी-फरवरी 1974 में 33 दिन की हड्डिताल के कारण भी निर्यात में कमी हो गयी। निर्यात से होने वाली यूनिट मूल्य प्रतियों में 6.1 प्रतिशत की कमी हुई जिसका ग्रांशिक कारण जून और अगस्त 1973 में निर्यात गुलक में कमी दिया जाना है। पहले यह आशा की गयी थी कि पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ जाने के कारण जूट के स्थान पर काम आने वाली मिन्हेटिक वस्तुओं के मुकाबले जूट से बनी वस्तुओं से ओपेकाकृत कारी अधिक कीमत फिरेगी, लेकिन 1973-74 में यह आशा पूरी नहीं हुई क्योंकि शुरू में मिन्हेटिक प्रोलिप्रोपिलीन के उत्पादन की लागत में मामूली-सी वृद्धि हुई।

7.31 चाय के निर्यात मूल्य में भी 2.4 करोड़ रुपये की थोड़ी-सी कमी हुई थी। यद्यपि चाय के यूनिट मूल्य में थोड़ी हाति हुई लेकिन चाय के निर्यात पर बुरा असर इस बात का पड़ा कि 1972-73 के मुकाबले निर्यात 1.5 प्रतिशत या 29 लाख किलोग्राम कम किया गया।

7.32 चमड़े और चमड़े से बनी वस्तुओं के निर्यात में भी 1.9 प्रतिशत की थोड़ी-सी कमी हुई। 1972-73 में 174.5 करोड़ रुपये के मूल्य के निर्यातके मुकाबले 1973-74 में 171.4 करोड़ रुपये का निर्यात किया गया। जिन और वस्तुओं के निर्यात में कमी हुई वे थी खनिज-ईंधन और ल्यूबिकेट। इनके निर्यात में तेजी से 52 प्रतिशत की कमी ढूँढ़ी। 1972-73 में 31.96 करोड़ रुपये के मूल्य के निर्यातके मुकाबले 1973-74 में इनका निर्यात मूल्य 15.32 करोड़ रुपये रह गया। अब्रक के निर्यात में भी कमी हुई; 1972-73 में 16.61 करोड़ रुपये के निर्यातके मुकाबले 1973-74 में 12.99 करोड़ रुपये का निर्यात किया गया। इस कमी का कारण यूनिट मूल्य में 18.2 प्रतिशत और मात्रा में 4.5 प्रतिशत कमी होना था।

7.33 प्रायमिक वस्तुओं के निर्यात में सबसे अधिक सफलता खली के निर्यात में मिली। खली का निर्यात 1972-73 में 74.77 करोड़ रुपये से बढ़कर 1973-74 में 170.60 करोड़ रुपये का हो गया अर्थात् इसके निर्यात में 95.83 करोड़ रुपये की या 128 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह वृद्धि अधिक यूनिट मूल्य की प्राप्ति होने और अधिक मात्रा में निर्यात किये जाने के कारण हुई। वर्ष 1973-74 में 1224.5 हजार मेट्रिक टन खली का निर्यात किया गया अर्थात् इसमें 22.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। किन्तु यूनिट कीमत में 747 रुपये प्रति मेट्रिक टन से 1393 रुपये प्रति मेट्रिक टन की वृद्धि हो गयी जो बहुत अधिक थी। खली का निर्यात अधिकतर जापान, ब्रिटेन, इटली और नीदरलैण्ड को किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सांग्यार्थीन के आठे के निर्यात पर पावन्दी लगा दिये जाने और पेस से सूखी मछली का आठा न मिलने के कारण खली के निर्यात के तेजी से बढ़ने में बहुत महायता मिली। खली की मांग खासदौर से विस्तृत यूरोपीय साझा बाजार और जापान से बहुत अधिक थी, लेकिन देश में इसके उत्पादन में रुकावटें आने के कारण यह पूरी नहीं की जा सकी।

7.34 मिल का बना और हथकरघे का, दोनों प्रकार का सूती कपड़ा एक और ऐसी मद थी, जिसका हाथ वर्ष 1973-74 में निर्यात में हुई वृद्धि में बहुत बड़ा था। इस वर्ष 192.2 करोड़ रुपये के मूल्य के सूती कपड़े का निर्यात किया गया जो 1972-73 के निर्यात मूल्य से 91.3 करोड़ रुपया या 90.4 प्रतिशत अधिक था। मिल के बने और हथकरघे के बने, दोनों प्रकार के सूती कपड़ों के निर्यात की मात्रा में लगभग 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई और उनके यूनिट मूल्यों में क्रमशः 32 और 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई। रुई की सप्लाई की स्थिति अच्छी होने, विदेशों में मिन्हेटिक कपड़ों के बजाय सूती कपड़ों के मस्ते होने के कारण इसकी मांग में वृद्धि होने से सूती कपड़े का निर्यात तेजी से बढ़ गया। संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ और ब्रिटेन को किये जाने वाले नियमित निर्यात के ग्रामावासान और अधिक निर्यात किये जाने के कारण सूती वस्त्रों का निर्यात बढ़ाने में काफी महायता मिली। मिनेसिलाये सूती कपड़ों का निर्यात, जो अपेक्षाकृत महंगी मद है, 1972-73 में 29.85 करोड़ रुपये से बढ़कर 1973-74 में 63.74 करोड़ रुपये का हो गया और इस प्रकार इसमें 113.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

7.35 1973-74 में जिन ग्रन्त मदों की निर्यात आय में वृद्धि हुई थी वे थी अर्निमित तम्बाकू, काफी, काजू की गिरी, नारियल के रेणे से बना धागा और उन्हें बनी अन्य वस्तुओं का सामान। काफी, अर्निमित तम्बाकू, काजू की गिरी और नारियल के रेणे से बने धागे और उनसे बनी अन्य वस्तुओं के निर्यात से होने वाला लाभ इन वस्तुओं के यूनिट मूल्यों में वृद्धि हो जाने के कारण हुआ। दम्तकारी के सामान के निर्यात में 44.4 करोड़ रुपये की उल्लेखनीय वृद्धि हुई और इसका निर्यात 1972-73 में 119.7 करोड़ रुपये से बढ़कर 1973-74 में 164.1 करोड़ रुपये का हो गया। केवल मीवियों और रत्नों के निर्यात में जो इस मद के प्रमुख अंग हैं, 37 प्रतिशत के करीब वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः हांगकांग, संयुक्त राज्य अमेरिका, बैरजियम और जापान जैसे देशों को किये जाने वाले नियात में हुई।

7.36 देश में चीनी के उत्पादन में कमी होने के कारण, 1972-73 में इसके नियात को जबरदस्त धक्का लगा था। वर्ष 1973-74 में विश्व में चीनी की कीमतों में वृद्धि होने और देश में उत्पादन में वृद्धि होने के कारण चीनी के नियात में काफी सुधार हुआ। वर्ष 1973-74 में 42.2 करोड़ रुपये की चीनी का निर्यात किया गया जबकि 1972-73 में 13.3 करोड़ रुपये का नियात किया गया था। वर्ष 1972-73 की अपेक्षा इसके यूनिट मूल्य से लगभग 30 प्रतिशत अधिक प्राप्ति हुई। वर्ष 1973-74 में चीनी के नियात के भव्यन्ध में मुख्य बात यह थी कि इण्डोनेशिया, ईरान, दक्षिण यमन गणराज्य और कुवैत जैसे तेल उत्पादक देश मुख्य खरीदारों के रूप में मामते आये।

7.37 गैर-परम्परागत नियात में इंजीनियरी के सामान के नियात में और सुधार हुआ। वर्ष 1972-73 में 141 करोड़ रुपये के नियात के मुकाबले 1973-74 में इन वस्तुओं का नियात बढ़कर 201 करोड़ रुपये का हो गया अर्थात् इसमें लगभग 43 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहले के वर्षों में इंजीनियरी के सामान के नियात में वृद्धि की दर कुछ कम थी। 1973-74 में इन वस्तुओं के नियात में होने वाले सुधार से इस बात के संकेत मिलते हैं कि विदेशों में इस मद से लाभ की गुंजाइश काफी है।

7.38 रेलों के आने-जाने और अधिक अग्रामित से पैदा होने वाली कटिनाईयों के बावजूद 1973-74 में 132.8 करोड़ रुपये के मूल्य के लोह खनिज का नियात किया गया जबकि 1972-73 में 110 करोड़

हाये का निर्यात किया गया था अर्थात् इसमें 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई। निर्यात की मात्रा में भी 15 प्रतिशत की उल्लेखनीय हुई और यूनिट मूल्यों की प्राप्तियों में भी 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मछली और मछली से बने चाय पदार्थों के निर्यात में 62 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई और 1973-74 में इसके निर्यात का मूल्य 88.4 करोड़ रुपये तक किया गया। इन निर्यातों के यूनिट मूल्यों में लगभग 20 प्रतिशत की और निर्यात की मात्रा में 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसमें से आधे से ज्यादा माल का निर्यात जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका को किया गया।

7.39 वर्ष 1973-74 में निर्यात से हमें कुल मिलाकर जो अधिक आमदनी हुई वह मुख्यतः अधिक कीमत वसूल होने के कारण थी कि जिसके लिए हमें विश्व की मंडियों में तेजी आ जाने की स्थिति का आशार मानव चाहिए। हमें विश्व की मौजूदा परिस्थितियों का काफ्यदा सूती वस्त्रों, चीनी, मछली और मछली से बने चाय पदार्थों, नकली रेशम के वस्त्रों और काफी जैसी वस्तुओं के निर्यात की मात्रा बढ़ा कर उठाया गया। इंजीनियरों के सामान के निर्यात में भी सुधार हुया। लेकिन नाथ ही जूट से बनी वस्तुओं, चाय और नारियल के रेशे से बने धागे और उमसे बनी अन्य वस्तुओं जैसे हायारे कुछ मुख्य परम्परागत निर्यातों में कुछ कमी हुई और इसका स्तर पहले के वर्षों के स्तर से कम रहा। वर्ष 1973-74 में किये गये निर्यात पर यदि हम इस डूटिट से विचार करें तो उनमें कोई ऐसा वास्तविक संकेत नहीं मिलता कि हमें निर्यात में कोई उल्लेखनीय सकारा प्राप्त हुई है। तेजी की लहर पहले से ही गिर रही है और खलों जैसी वस्तुओं की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें गिर चुकी हैं। हमारे निर्यात की दो मुख्य मर्दों अर्थात् जूट से बनी वस्तुओं और चाय की कीमतों में वृद्धि होते से कोई लाभ नहीं हुआ। वर्ष 1973-74 के अनुभव से हमें यह भी पता चलता है कि देश में उत्पादन के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों और रक्कावटों के कारण हम विदेशी बाजारों में भैंके का पूरी तरह से फायदा नहीं उठा पाते। इससे इस समय देश में बाहर भेजी जा सकने वाली चीजों के उत्पादन के रास्ते में आने वाली रक्कावटों को तेजी से दूर करने की आवश्यकता बढ़ जाती है और जहाँ संभव हो देश में उन चीजों के खपत को कम किया जाना चाहिए। जिससे निर्यात के लिए काफी माल प्राप्त हो सके और विदेशी बाजारों में आने वाले भैंकों का पूरा-पूरा काफ्यदा उठाया जा सके।

7.40 वर्ष 1974-75 के पहले आठ महीनों (अग्रैन से तम्बवर तक) में भारत से कुल 2026.8 करोड़ रुपये के मूल्य का निर्यात किया गया जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में किये गये 1488.1 करोड़ रुपये के निर्यात से 36.2 प्रतिशत अधिक है। निर्यात में इतनी अधिक वृद्धि हमारे दो मुख्य परम्परागत निर्यातों की अर्थात् जूट से बनी वस्तुओं और चाय के मामले में पहले की प्रतिकूल प्रवृत्ति में कुछ परिवर्तन होने, सूती कपड़े और इंजीनियरी के सामान तथा निर्मित तम्बाकू, काफी, काली मिर्च और अब्रक जैसी वस्तुओं के निर्यात में लगातार बढ़ोतरी होते व चीनी और किसी हर तक चांदी के भारी निर्यात के लिये आकस्मिक परिस्थितियों का संयुक्त परिणाम है।

7.41 निर्यात का वस्तुवार और अब तक केवल 1974-75 के पहले छह महीनों (अग्रैन से सितम्बर तक) का ही उपलब्ध है। इस अवधि में हमारे निर्यात चापार के सम्बन्ध में ध्यान देने योग्य मुख्य बात यह है कि हमारी दो मुख्य परम्परागत मर्दों अर्थात् जूट से बनी वस्तुओं और चाय के निर्यात मूल्य में भारी वृद्धि हुई है। इस अवधि में जूट की बनी 169.4 करोड़ रुपये के मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया गया जो पिछले साल इसी अवधि में किये गये निर्यात से 52.3 प्रतिशत

ग्रथिक था। मात्रा के रूप में 28.6 प्रतिशत की ओर यूनिट मूल्य के रूप में 18.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस अवधि में 88.05 करोड़ रुपये के मूल्य की चाय का निर्यात किया गया अर्थात् इसमें 46.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। चाय के निर्यात यूनिट मूल्य में जिसमें 1973-74 में बास्तव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, इस अवधि के दौरान लगभग 49.2 प्रतिशत की निवाज वृद्धि हुई। लंदन के बाजार में चाय की मांग में एकदम तेजी आने का कारण पूर्वी अरोक्तों में भारी नुबा पड़ना था जिसका चाय की पैदावार पर बहुत बुरा असर पड़ा।

7.42 इस अवधि में अन्य परम्परागत मर्दों में से सूती कपड़े के निर्यात में सुधार हुआ। सूती कपड़े का निर्यात, पिछले वर्ष की इसी अवधि में किये गये निर्यात से 21.1 प्रतिशत अधिक था। मिर के बने कपड़े के मामले में, निर्यात की मात्रा में 28.8 प्रतिशत की कमी हुई, लेकिन इसके यूनिट मूल्य में 67.9 प्रतिशत की वृद्धि हो जाने के कारण यह कमी न केवल पूरी हो गयी बल्कि और लाभ भी हुआ। हथकरघे के वस्त्रों के सम्बन्ध में, निर्यात की मात्रा में 2.7 प्रतिशत की ओर इसके माध्यसाथ इसके यूनिट मूल्य में 24.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मिले-मिलाये सूती कपड़ों का निर्यात अप्रैल सितम्बर, 1973 में 15.88 करोड़ रुपये से बढ़कर अप्रैल-सितम्बर 1974 में 48.31 करोड़ रुपये हो गया।

7.43 जिन अन्य परम्परागत मर्दों के निर्यात में वृद्धि हुई वे थीं काजू की गिरी, अनिर्मित तम्बाकू, काफी, काली मिर्च और अब्रक-काजू की गिरी के निर्यात मूल्य में 43.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आमदनी में वृद्धि, यूनिट मूल्य में 36.3 प्रतिशत की वृद्धि हो जाने के कारण हुई। इसी प्रकार तम्बाकू के मामले में यूनिट मूल्य में 20.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिससे निर्यात मूल्य 10.5 करोड़ रुपये बढ़ गया।

काफी के निर्यात से 6.5 करोड़ रुपये अधिक प्राप्त हुए, क्योंकि इसके यूनिट मूल्य में 36.4 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि रही। यूनिट मूल्य में लगभग 54.9 प्रतिशत की वृद्धि होने से काली मिर्च के निर्यात मूल्य में 1.6 करोड़ रुपये की वृद्धि हो गयी। जहाँ तक अब्रक के निर्यात का सम्बन्ध है, इसकी कीमत पहले कम हो गयी थी लेकिन बाद में यह प्रवृत्ति बिल्कुल बदल गयी और अब्रक के यूनिट मूल्य में लगभग 118 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिससे निर्यात मूल्य दुगना हो गया। अब्रक के स्थान पर काम में लायी जाने वाली मिन्येटिक की वी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाने के कारण, इसको मांग बढ़ने से इसके यूनिट मूल्य में वृद्धि हो गयी।

7.44 अप्रैल-सितम्बर, 1974 के दौरान निर्यात अच्युत में सबसे अधिक वृद्धि चीनी से हुई। इस अवधि के दौरान 100.7 करोड़ रुपये के मूल्य की चीनी का निर्यात किया गया जो अप्रैल-सितम्बर 1973 में किये गये निर्यात मूल्य के मुकाबले 95.1 करोड़ रुपये अधिक था। दुनिया की मंडियों में चीनी की कीमतों में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गयी के माध्यसाथ विदेशों में चीनी की मांग बढ़ जाने से चीनी का निर्यात बढ़ने में में बहुत सहायता मिली। चीनी का यूनिट मूल्य प्रति मैट्रिक टन 1294.6 रुपये से बढ़कर 4187.0 रुपये प्रति मैट्रिक टन हो गया। यदि बाजार में चीनी में तेजी जारी रही तो 1974-75 के दौरान चीनी के निर्यात का लक्ष्य प्राप्त करना कठिन नहीं होगा।

7.45 इंजीनियरी के सामान के निर्यात में भी काफी वृद्धि हुई। लेकिन निर्यात की मात्रा और यूनिट मूल्य में कमी हो जाने के कारण खली के निर्यात में 51.8 प्रतिशत की कमी हो गयी। खली की मांग और मूल्यों में पीछे किस्म की मछलियों के पहले से अधिक मंधा

में पकड़ जाने और सोवियत समाजवादी जननन्त्र संघ में सूरजमध्यी की फसल अच्छी होने के कारण, कमी हो गयी। अप्रैल-मितम्बर, 1974-75 के दौरान खनिज लोहे के निर्यात में भी 5.94 करोड़ रुपये की कमी हो गयी है।

7.46 ऐसे संकेत हैं कि 1974-75 की दृसरी छमाही में वर्ष की पहली छमाही के निर्यात की ऊंची दर काफी हद तक कम हो जायगी। कुछ वस्तुओं के निर्यात की गति में पहले जो तेजी आयी थी वह पहले ही द्विमी पड़ चुकी है। कुछ वस्तुओं के निर्यात में होने वाली लगातार वृद्धि को हिसाब में लेने हुए पुरे वर्ष के लिये आशा है कि कुल मिला कर हमारा निर्यात लगभग 3100 करोड़ रुपये तक पहुंच जायगा जो 1973-74 के मुकाबले लगभग 25 प्रतिशत अधिक होगा। वर्ष 1974-75 में आयात में होने वाली भारी वृद्धि को देखते हुए, निर्यात की इस वृद्धि का अभिप्राय यह है कि भारत के भुगतान जेप में काफी घटा रहेगा।

व्यापार नीति

7.47 वर्ष 1974-75 में निर्यात नीति में मोटे तौर पर कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इस नीति की मुद्य-मुद्य वातें ये हैं: निर्यात की जाने वाली कुछ चुनी हुई वस्तुओं के लिये आयात पुनर्भरण की व्यवस्था, ध्वनिप्रौद्योगिकी की नकद अदायगी, सीमांडुक और उत्पादन शुल्क की वापसी, सामरिक महन्त की वस्तुओं की अन्तर्राष्ट्रीय सूल्यों पर पूर्ति, भाड़े के खर्च में रियायत और रियायती दरों पर उदारता से क्रठ देने की सुविधाएं। आयात नीति को और अधिक निर्यात-प्रधान बनाने के विचार से कुछ चुने हुए उपाय किये गये। कुछ वस्तुओं के मामले में जहां आयात पुनर्भरण की दर 50 प्रतिशत से कम थी, चालू वर्ष में 10 प्रतिशत और सामान्य पुनर्भरण की अनुमति दे दी गयी। यह भी निश्चय किया गया है कि कुछ चुने हुए निर्यात उद्योगों को इस बात की इजाजत दे दी जाय कि वे मिट्टी का तेल प्राप्त करने के लिये अपनी पुनर्भरण सुविधा के कुछ भाग का उपयोग कर सकते हैं। अनिवार्य रूप से निर्यात करने की योजना दो और उद्योगों अर्थात् टंगस्टन कार्बाइड टिल्स और टूल्स तथा डोमेस्टिक रेफ़ीनिरेटर्स पर भी लागू कर दी गयी। वर्ष 1974-75 की नीति में इस बात की व्यवस्था की गयी है कि यदि अनिवार्य निर्यात योजना के अन्तर्गत 25 उद्योगों का निर्यात उनके उत्पादन से 5 प्रतिशत कम हो जाता है तो तरजीही तौर पर माल दिये जाने की उनकी पावना समाप्त किये जाने के अलावा उनके द्वारा किये जाने वाले आयात में भी कटौती कर दी जायगी। विदेशी में वस्तुओं के मूल्यों में होने वाली वृद्धि से कायदा उठाने के विचार से, बासमती चावल के निर्यात पर से मात्रा मम्बन्धी प्रतिवर्ध हटा लिये गये। 1943 में चांदी और चांदी से बनी वस्तुओं के निर्यात पर जो रोक लगी हुई थी, वह फरवरी, 1974 में हटा ली गयी। नेप्था के निर्यात की भी मंजूरी दे दी गयी। 24 दिसम्बर, 1974 से गलीचों के नीचे लगाये जाने वाले जूट के अस्तरों पर निर्यात शुल्क काफी कम कर दिया गया और उसे जूट केन्वस तथा जूट के निवार आदि की दरों के स्तर पर ले आया गया।

7.48 वर्ष 1974-75 के निर्यात अभियान की एक नयी बात यह थी कि इलेक्ट्रानिक उपकरणों और संप्रृष्टिकों के लिए वस्तुई के मालाकुज हवाई अड्डे के निकट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की स्थापना की गयी और इस जोन ने मितम्बर, 1974 से अपना काम शुरू कर दिया है।

7.49 नेल संकट के परिणामस्त्रैव भुगतान जेप पर काफी दबाव पड़ने के बावजूद 1974-75 की आयात नीति सम्बन्ध से काफी उदार रही। आयात-नीति की अन्य मुद्य वार्ते थीं: आयात के लिए लाइसेंस पद्धति की सरल बनाना, स्पेयर पुर्जी आदि का उदारता से आया फिरे जाने की अनुमति देना, निर्यात मम्बन्धी उद्योगों को तरजीह देना और सरकारी व्यापार एजेंसियों के कार्यक्षेत्र को और व्यापक बनाना। वर्ष की पहली छमाही में प्राथमिकता प्राप्त थेव के लिए उद्योगों को आयात मम्बन्धी अपनी आवश्यकताओं के लिए विदेशी मालायरों से सीधे बातचीत करने की अनुमति दी गयी और इस काम के किंवा 1973-74 में उनके नाम जारी किये गये लाइसेंसों को उनके मूल्य के 50 प्रतिशत तक पहले जारी किये गये लाइसेंसों पर द्वारा माल मांगने की सुविधा के अन्तर्गत इस अवधि के लिए स्वतः वैत्र के दिया गया। निर्माता निर्यातिकों को भी आयात पुनर्भरण लाइसेंसों और सरकारी एजेंसियों द्वारा मांगायी जाने वाली मदों के लिए विदेशी मुद्रा दिये जाने के आईरों के मम्बन्ध में प्रे मुद्रिशां दी गयी। लंगु औद्योगिक एक्कों के मामले में, 1973-74 में कच्चे माल, अतिरिक्त पुर्जी और हिस्सों के लिए जारी किये गये आयात लाइसेंस, उपर्युक्त सुविधाओं के आशार पर, उनके मूल्य के 50 प्रतिशत के लिए स्वतः वैध कर दिये गये थे।

7.50 प्राथमिकता प्राप्त थेव के वास्तविक उद्योक्ताओं के साथ किये जाने वाले तरजीही व्यवदार में कुछ संशोधन किये गये थे। इनके अनुमार प्राथमिकता प्राप्त थेव के एक्कों को, जो 1973-74 के दौरान अपने उत्पादन का 10 प्रतिशत अवधि भाग का निर्यात करने थे, निर्यात-उत्पादन को और अधिक बढ़ाने तथा मल्लाई के तरजीही सांबन्धों से आयात करने की सुविधाएं मिलती रहीं। गैर-प्राथमिकता प्राप्त थेव में अपने उत्पादन का 20 प्रतिशत अवधि उपर्युक्त अधिक का निर्यात करने वाले एक्कों को तरजीह मिलती रही। अपने उत्पादन का 25 प्रतिशत अथवा उपर्युक्त अधिक का निर्यात करने वाले औद्योगिक एक्कों को आगे आवश्यकताओं के लिए मुक्त विदेशी मुद्रा के बदले पहले से अधिक माला में आयात करने की अनुमति दी गयी।

7.51 स्थानित धमता का पहले से अधिक उपयोग करने के विचार से अनिरिक्त पुर्जी आदि के आयात की नीति को उदार बताया गया। बड़े पैमाने के एक्कों द्वारा आयात किये जाने वाले अनिरिक्त पुर्जी की सीमा आयात की जाने वाली मणीनगी के मूल्य के 2 1/2 प्रतिशत तक कर दी गयी जो पहले 2 प्रतिशत थी। इसी तरह वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा अनिरिक्त पुर्जी का आयात किये जाने के लिये आयात लाइसेंसों की अधिकतम सीमा बड़े पैमाने के एक्कों के मामले में 20,000 रुपये और छोटे पैमाने के एक्कों के मामले में 8,000 रुपये कर दी गयी। पिछड़े थेवों में खोले गये लघु उद्योगों अवधि इंजीनियरी स्नातकों द्वारा खोले गये उद्योगों को स्थापित मणीनगी के मूल्य के 70 प्रतिशत तक कच्चे माल और पुर्जी के आयात के लाइसेंस दिये जाने की अनुमति दी गयी नेकिर ऐसे आयात का मूल्य अधिक से अधिक 2 लाख रुपये होगा।

7.52 बड़े पैमाने पर माल की खरीद द्वारा बचत करने और आयात की लागत में कमी करने के विचार से सरकारी थेव की एजेंसियों के कार्यक्षेत्र का और अधिक विस्तार किया गया। इन एजेंसियों द्वारा आयात की जाने वाली मदों में 10 मर्दे और जोड़ी दी गयी तथा इन मदों की मंजूरा 210 हो गयी। कच्चे माल की खरीद और वितरण का कुशलनात्मक प्रबन्ध करने के लिए राज्य व्यापार निगम द्वारा स्थापित औद्योगिक कच्चा माल महायता केन्द्र ने जिसकी स्थापना राज्य व्यापार निगम द्वारा की गयी है डिलीवरी के लिए तैयार माल के सम्बन्ध में कार्यक्षेत्र का और विस्तार कर

दिया तथा माल संगते की प्रजेंसी अर्थात् "इंडेन्टिंग हाउस" के रूप में भी कार्य किया। बनिज तथा धातु व्यापार निगम भी वस्तुओं और धातुओं के आयात के मामले में वास्तविक उपभोक्ताओं की डिलीवरी के लिए तैयार माल के प्राधार पर उनकी आवश्यकता पूरी करने के लिए और नियर्ण एककों को माल संगते की मुद्रिताएँ देने के लिए प्रबन्ध कर रहा है। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा संचालित स्टील बैंक ने भी महत्वपूर्ण और सामरिक किस्म के इस्पात का भण्डार रखने के प्रबन्ध कर रखे हैं ताकि वैध आयात लाइसेंसों या रिलीज आईंरों के बदले डिलीवरी के लिए तैयार माल दिया जा सके।

7.53 कच्चे माल को तैयार माल में बदलने के सौदों को आमानी से तय करने के लिए भी आयात नीति के अन्तर्गत प्रबन्ध किय गये। इन प्रबन्धों के अन्तर्गत नियर्ण के लिए कच्चे माल के आयात की अनुमति दी गयी। कुछ ऐसी सौदों को जिनके आयात की पहले अनुमति नहीं थी, वास्तविक उपभोक्ता सूची में शामिल कर लिया गया। दूसरी ओर कुछ सौदों को जो अब देश में बनने लग गयी हैं, आयात की स्वीकृत सूची में निकाल दिया गया। लगभग ऐसी 61 वस्तुओं को आयात की प्रतिवैधित सूची में रख दिया गया पहले जिनका आयात वास्तविक उपभोक्ता बिना किसी प्रतिबन्ध के कर सकते थे। इन वस्तुओं में इण्डस्ट्रियल रोलर चेन, टंग-स्टन आयल फिलामेट, शुद्ध लोहा, खाम आकार के बाल और रोलर बेयरिंग, कुछ दवाएँ और औषधियाँ शामिल हैं।

7.54 वर्ष के दौरान अन्य देशों के साथ वाणिज्यिक और आर्थिक सम्बन्धों को और घनिष्ठ बनाने के लिये बहुत-से कदम उठाये गये। बल्गारिया के साथ एक नया "व्यापार तथा भुगतान करार" किया गया तथा पञ्चिम जर्मनी के साथ एक "वाणिज्यिक विकास कार्यक्रम" के करार पर हस्ताक्षर किये गये। ईरान और कुवैत के साथ दो और नये करार किये गये। एक और उल्लेखनीय घटना यह थी कि बंगलादेश के साथ एक करार किया गया जिसके अनुमार 1975 से व्यापारिक लेनदेन रूपयों में किये जाने के बजाय परिवर्तनीय मुद्राओं में किये जायें। अभी हाल ही में भारत-यूरोपीय आर्थिक समुदाय संयुक्त आयोग की बैठक में कुछ समझौते किये गये हैं, जिनके अनुमार यूरोपीय आर्थिक समुदाय अगले एक और वर्ष के लिए जूट और नारियल के रेणे से बनी हमारी वस्तुओं की ब्रिटेन और डेनमार्क में बिसी शुल्क के दाखिल होने की अनुमति देगा। यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा कोटे और टेरिफ के सम्बन्ध में लगाये गये प्रतिबन्धों में और दील देने के मामले में भी बातचीत की जा रही है ताकि समुदाय के देशों की मंडियों में महत्वपूर्ण वस्तुओं सहित अन्य वस्तुओं का अधिक माला में नियर्ण किया जा सके। आशा है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय भी 1975 की व्यापक रूप से तरजीह देने की अपनी विशेष योजना जी० एम० पी० को और उदार बनायेगा।

विदेशी सहायता

7.55 भारत को मिलने वाली विदेशी सहायता में पिछले कुछ वर्षों में लगातार कमी हो रही थी और 1972-73 में यह सहायता बहुत

कम रह गयी थी। किन्तु 1973-74 में सहायता की जो रकम प्राप्त हुई उसका अंकित मूल्य अधिक था। भारत द्वारा आयात की जाने वाली अत्यावश्यक वस्तुओं की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि हो जाने के परिणामस्वरूप भारत को विदेशी मुद्रा के खंड के लिए जिनवी रकम की जम्हरत थी, विदेशी महायता की उपरक वृद्धि किसी भी तरह उनके लिए काफी नहीं थी। महल विदेशी सहायता से जिनने आयात का प्रबन्ध किया जाता था उसका ग्राहण 1967-68 में 60 प्रतिशत से घट कर 1972-73 में 36 प्रतिशत रह गया और माझाता को इस राजि में वृद्धि होने के बावजूद 1973-74 में यह और कम होकर 29 प्रतिशत तक पहुंच गया। अनुमान है कि 1974-75 में प्राप्त होने वाली विदेशी महायता की राशि बढ़ जायगी लेकिन इसके साथ-साथ भारत द्वारा किये जाने वाले आयात का खंड भी 1974-75 में काफी बढ़ जायगा।

7.56 भारत को 1967-68 में सभी विदेशी सौदों से 1196 करोड़ रुपये की सहायता मिली थी जो 1972-73 में घटकर 666 करोड़ रुपये रह गयी थी। वर्ष 1973-74 में यह राशि बढ़ कर 849 करोड़ रुपये हो गयी। अनुमान है कि 1974-75 में कुल 1081 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होगी। इसका कारण मुख्यतः अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से अधिक ऋण और संयुक्त गण्ड संघ आयातकालीन योजना में अधिक अनुदान का मिलना है। वर्ष 1973-74 से मिलने वाली गणियों के मूल्य में बढ़ोतरी का एक कारण विदेशी मुद्रा की दरों में वृद्धि होना है। यदि दाना देशों में वस्तुओं के मूल्यों में होने वाली काफी वृद्धि या आयात की कीमतों में होने वाली वृद्धि को हिसाब में लिया जाये तो ऐसा पता चलता है कि 1973-74 से भारत को मिलने वाली सहायता के मकल मूल्य में कोई खाम वृद्धि नहीं होई।

7.57 क्योंकि भारत को मूलधन और व्याज के रूप में काफी रकम ग्राहा करनी पड़ती है अतः विदेशी सहायता की इस रकम से यह पता नहीं चलता कि भारत को वास्तव में किनती निवल विदेशी राशि मिली है। इस प्रकार से वापस की जाने वाली रकमों को घटाने के बाद भारत को वास्तव में प्राप्त होने वाली रकम काफी कम हो गयी। वर्ष 1967-68 में यह राशि 863 करोड़ रुपये थी जो घटकर 1972-73 में 159 करोड़ रुपये हो गयी। वर्ष 1973-74 में यह राशि बढ़कर 254 करोड़ रुपये हो गयी और अनुमान है कि 1974-75 में यह 480 करोड़ रुपये हो जायेगी, हालांकि इस मौज पर भी वह 1968-69 की निवल राशि से 48 करोड़ रुपये कम है। इसके अलावा, दाना देशों में मुद्रा-स्कैन के कारण, 1973-74 से ग्राहन होने वाली सहायता की निवल राशि का वास्तविक मूल्य अंकों में दिखायी गयी रकम से कहीं कम है। नीचे की मार्गी में भारत को मिलने वाली मकल और निवल विदेशी सहायता का क्रम दिखाया गया है।

सारणी 7.5

विदेशी सहायता की प्राप्ति : सकल और निवल

(करोड़ रुपयों में)

| माहे | 1967-68 | 1968-69 | 1969-70 | 1970-71 | 1971-72 | 1972-73 | 1973-74 | 1974-75 | (अनुमान) |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| | | | | | | | | | 9 |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 1. सकल प्राप्तियाँ जिसमें : | 1196 | 903 | 856 | 791 | 834 | 666 | 849 | 1081 | |
| (क) पी० पए० 480 के अन्तर्गत अन्न* | 285 | 131 | 128 | 57 | 112 | 4 | -- | -- | |
| (ख) पी० पए० 480 के अन्तर्गत अन्नाज से भिन्न पदार्थ | 57 | 27 | 41 | 32 | | | | | 21 |
| (ग) अन्य अन्नाज सहायता | 45 | 55 | 19 | 36 | 32 | -- | -- | | |
| 2. कुल क्रृष्ण परियोग्यता जिसमें : | 333 | 375 | 412 | 450 | 479 | 507 | 595 | 601 | |
| (क) मूलधन की अदायगियाँ | 211 | 236 | 268 | 290 | 299 | 327 | 399 | 401 | |
| (ख) व्याज की अदायगियाँ | 122 | 139 | 144 | 160 | 180 | 180 | 196 | 200 | |
| 3. विदेशी सहायता की निवल प्राप्ति (1-2) | 863 | 528 | 444 | 341 | 355 | 159 | 254 | 480 | |

*इसमें रुपयों में अदायगी करने की शर्ती और परिवर्तीय मुद्रा क्रृष्णों के अन्तर्गत आयात के रूप में मिलने वाली विदेशी सहायता शामिल है।

टिप्पणी : 1. सकल विदेशी सहायता प्राप्तियों में क्रृष्णों के मामते में दी गई राहत को, जिसमें क्रृष्णों के भुगतान की अवधि का पुनः निर्धारण/स्थगन आदि शामिल है, भी हिमाचल में लिया गया है। क्रृष्ण परियोग्यता में वही अदायगियाँ शामिल हैं जो विदेशी मुद्रा में और माल के निर्भर द्वारा की जानी है।

2. सहायता की सकल प्राप्तियों में गहरे के रूप में मिलने वाली सहायता और ईरान तथा ईराक से किये जाने वाले तेल के आयात की व्यवस्था करने के लिए प्राप्त क्रृष्ण की सहायता की सकल राशि शामिल नहीं है। किन्तु इसमें 1974-75 में संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन योजना के अन्तर्गत उपलब्ध होने वाली सहायता की राशि शामिल है।

7.58 यित्ते कुछ वर्षों से भारत की क्रृष्ण मम्बन्डी देनशरियों में लगातार बढ़ि हो रही है जिसका उसके भूगतान शेष पर भारी बोझ पड़ रहा है। क्रृष्ण परियोग्यता मम्बन्डी अदायगियाँ जिसमें मूलधन और व्याज की अदायगियाँ भी शामिल हैं, 1961-62 में 142 करोड़ रुपये से बढ़कर 1973-74 में 595 करोड़ रुपये हो गयी। अनुमान है कि 1974-75 में यह रकम 601 करोड़ रुपये तक पहुंच जायेगी। हाल के वर्षों में क्रृष्ण परियोग्यता मम्बन्डी अदायगियों का बोझ उसकी वापिक नियंत्रित आय के 25 प्रतिशत के बराबर था। जिसका प्रभाव यह हुआ कि आयात सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विदेशों से सहायता के रूप में मिलने वाली निवल रकम कम हो रही है। उदाहरण के तौर पर 1973-74 में कुल जितनी सहायता का इस्तेमाल किया गया उसका 70 प्रतिशत भाग क्रृष्ण परियोग्यता मम्बन्डी अदायगियों करने पर खर्च हो गया। इस संदर्भ में इस बात की सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि भारत को मिलने वाली सहायता का उपयोग बहुत अधिक लचीलेपन के साथ किया जाय और उसका वितरण जीक्ष कर दिये जाय। सहायता के इस सुधार के महत्वपूर्ण पहलू के रूप में भारत ने क्रृष्ण मम्बन्डी राहत की मांग की थी, किन्तु इस प्रयास में उसे सीमित सफलता ही मिली है। 1968-69 से 1971-72 तक के चार वर्षों में भारत सहायता संघ ने भारत को प्रतिवर्ष औसत 10 करोड़ अमरीकी डालर की क्रृष्ण राहत दी। क्रृष्ण राहत के रूप में 1972-73 में 14.8 करोड़ अमरीकी डालर और 1973-74 में 13.5 करोड़ अमरीकी डालर दिये गये। 1974-75 में क्रृष्ण-राहत के रूप में 19.4 करोड़ डालर प्राप्त होने का अनुमान है। तेल, अनाज और उर्वरकों के मूलयों में तेजी से होने वाली बढ़ि के परिणाम-

स्वरूप भुगतान शेष पर पड़ने वाले दबाव में हुई बढ़ि को देखते हुए और अधिक विदेशी सहायता तथा क्रृष्ण राहत की आवश्यकता पहले से ज्यादा हो गयी है। जब संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का छठा विशेष अधिवेशन बुलाया गया था तब उसमें हाल की घटनाओं से अत्यन्त गम्भीर रूप से प्रभावित देशों की कठिनाई को दूर करने के उपाय के रूप में क्रृष्ण राहत की उपयोगिता को एक बार फिर स्वीकार किया गया। इस अधिवेशन में दाता देशों से यह मिफारिश की गयी कि वे पर्याप्त क्रृष्ण राहत की घ्यवस्था करें।

7.59 भारत महायन संघ ने रेसिस्म में जून, 1974 में हुई अपनी बैठक में यह स्वीकार किया कि भारत का 1974-75 के लिए क्रृष्ण राहत सहित लगभग 80 करोड़ अमरीकी डालरों की मैर-परियोजना सहायता, और लगभग 60 करोड़ अमरीकी डालर की परियोजना सहायता का आश्वासन दिया जाना चाहिये ताकि भारत के आर्थिक विकास को धोका न पहुंचे। 1974-75 के लिए कुल 140 करोड़ डालर देने का आश्वासन, वर्ष 1973-74 के लिए सहायता संघ द्वारा दिये गये 120 करोड़ रुपये के आश्वासन की तुलना में अधिक है, हालांकि इस बात की मंभावना है कि बढ़ि का कुछ अंश दाता देशों में हुई मूल्यबढ़ि से प्रति-संतुलित हो जायगा।

7.60 वर्ष 1974-75 के पहले नौ महीनों में 724 करोड़ रुपये की सहायता की नयी स्वीकृतियाँ दी गयी हैं जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में इससे कुछ कम अर्थात् 721 करोड़ रुपये की रवीकृतियाँ दी

गयी थीं। इसके अलावा, भारत को ईरान और ईराक द्वारा मालाई किये गये कच्चे तेल के कुछ भाग के लिये वित्त व्यवस्था करने के लिए उन देशों से आम्झगित कर्त्रियों के रूप में महायता प्राप्त हुई है।

7.61 हाल ही की आर्थिक घटनाओं से सर्वाधिक गम्भीर रूप से प्रभावित देशों को महायता देने के लिए बनायी गयी संयुक्त राष्ट्र संघीय आपातकालीन योजना के अन्तर्गत भारत को भी लाभ पहुँचा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के विषेष कोष से भारत के लिए अब तक, 3.25 करोड़ अमरीकी डालर वी राशि निर्धारित की गयी है। यूरोपीय आर्थिक सम्मान ने भी संयुक्त राष्ट्र संघीय आपातकालीन योजना के अन्तर्गत अपनी द्विपक्षीय सहायता को पहली किस्त में से भारत के लिये 5 करोड़ डालर की राशि निर्धारित की है। कुछ और दाता देशों में ब्रिटेन (200 लाख पौण्ड) तथा स्वीडेन हैं। संयुक्त राष्ट्र आपात योजना के अन्तर्गत मिलने वाली महायता सामान्य विकास सहायता के अलावा है और इसका उद्देश्य यह है कि महायता पाने वाले देशों को इन योग्य बनाया जाय कि वे हाल में हुई सूख वृद्धि के सन्दर्भ में अपने अत्यावश्यक आपातों को बराबर बनाये रख सकें किन्तु अब तक जितनी महायता मिलने की आशा है वह भारत जैसे देशों के लिए अपने अत्यावश्यक आपातों की जहरतों को पूरा करने के लिए अपनी अपार्याप्त है।

हाल की आर्थिक घटनाएँ और निर्यात नीति

7.62 ईधन, उर्वरकों तथा अनाज की कीमतों में भारी वृद्धि होने के कारण भारत के आपात खंचे में काफी वृद्धि हो गयी। यदि हमें अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं, कच्चा माल तथा पुंजी वाले सामान के आपात में कटौती किये जिना, इन अत्यावश्यक जहरतों को प्रा करना है तो हमें अपना नियंति काफी अधिक बढ़ाना होगा।

7.63 दुर्सम्भिर से, हाल ही में आर्द्धांगिक देशों में जो आर्थिक मदी आयो है वह कोई अच्छा लक्षण नहीं है। किन्तु इस बात को देखते हुए, कि निर्मित वस्तुओं के विश्व व्यापार में, भारत में वनी वस्तुओं के नियंति का अंश बहुत थोड़ा है, भारत के लिये अपने नियंति को बढ़ाने की काफी गुजाइश है। पूर्वी यूरोपीय देशों के नाथ हमारे व्यापारिक सम्बन्धों के कारण हमारे नियंति में और भी स्थिरता आयी है।

7.64 जाहिर है कि पांचवीं आयोजना में नियंति के जो लक्ष्य रखे गये हैं उन्हें काफी ऊंचा करना होगा जिससे भारत के भुगतान योग्य की क्षमता को सुनिश्चित किया जा सके और हमें यह सोचना होगा कि मात्रा के रूप में हमारे नियंति में कम से कम 10 प्रतिशत वार्षिक के हिसाब से अवश्य वृद्धि होनी चाहिए।

7.65 नियंति संबंधी सम्बन्ध नीति दैयार करने समय, जूट से बनी वस्तुओं, चाय, खेली, तम्बाकू, चीनी तथा समालों जैसे भारत के परम्परागत नियंतियों की सीमित क्षमता को स्वीकार करना होगा। इन वस्तुओं की दुनिया में मांग कम होने या भारत में इनकी अपेक्षाकृत कम उपज होने के परिणामस्वरूप इनकी मालाई की स्थिति की अनिश्चित सम्बन्धनाओं के कारण इनका नियंति बढ़ाने में रुकावट आ सकती है। फिर भी, इन सभी वस्तुओं के मामले में हमें पर्याप्त उपाय करने की आवश्यकता है जिससे यह सुनिश्चित हो। सके कि विश्व व्यापार में हमारी वर्तमान मात्रा और कम न हो जाय। जहां तक चीनी का सम्बन्ध है इसके नियंति की सम्भावनाएँ अब भी काफी उज्जवल हैं यदि हम अपना उत्पादन बढ़ाने में सफर्य हों जायें। हमें यह नहीं कि गन्हे की पैदावार का क्षेत्र बढ़ाने की कुछ अपनी सीमा है। लेकिन इस बात का विचार

करते हुए कि लगभग 30 प्रतिशत गन्हा ही चीनी तैयार करने के काम आता है गुड़ तथा खण्डमारी उद्योग से गन्हे की खपत को घटाकर चीनी का उत्पादन बढ़ाने की व्यवस्था करना संभव होना चाहिए।

7.66 जिन चीजों का हम शुल्क दिनों से नियंति करते आ रहे हैं उनमें से सूती कपड़े के नियंति में वृद्धि इस स्थिति को स्वीकार करते हुए की जा सकती है कि आर्द्धांगिक देशों में दीर्घकाल तक आर्द्धांगिक मदी के बने रहने की सभावना नहीं है। हमारी पांचवीं आयोजना में सूती कपड़े के नियंति के लिए काफी ऊंचा लक्ष्य रखा गया है जिसमें पांच वर्ष की अवधि में नियंति को दुगने से भी अधिक कर देने की व्यवस्था है। यदि हम नियंति की जाने वाली उन किस्मों के उत्पादन को तेजी से बढ़ाने की व्यवस्था कर रखे कि जिनका मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य की अपेक्षा कुछ कम हो तो निश्चित ही यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। पिछले तीन या चार वर्षों में भारत से मिल-मिलाये कपड़ों के नियंति में तेजी से वृद्धि हुई है। किन्तु, इस अवधि में जहां विश्व व्यापार लगभग 30 करोड़ रुपये का है, वह हमारे नियंति का मूल्य केवल लगभग 50 करोड़ रुपये है। यह एक ऐसा अवधि है जहां काफी मात्रा में बुनियादी कच्चा माल उत्पादन के साथ-साथ उचित प्रोत्साहन देकर हम पांचवीं आयोजना के अन्त तक अपने नियंति को लगभग 250 करोड़ रुपये तक बढ़ा सकते हैं।

7.67 चमड़े और चमड़े के सामान के नियंति में भी वृद्धि की काफी संभावनाएँ मौजूद हैं। विकास की इस क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए बढ़िया किस्म का चमड़ा तैयार करने की दिशा में जोरदार कदम उठाये जाने की जहरत है। मछली आदि समुद्री खाद्य वस्तु उद्योग एक और ऐसा क्षेत्र है जिसके विकास की संभावनाएँ बड़ी उज्ज्वल हैं।

7.68 निस्सन्देह हमारे नियंति का तेजी से विकास करने की दिशा में इंजीनियरी के सामान तथा रसायनों व सम्बद्ध पदार्थों के नियंति से बहुत महायता मिल सकती है। इंजीनियरी के सामान के उत्पादन में हमें अपेक्षाकृत काफी फायदे हैं और यदि यह निश्चित ही जाय कि देश में इन वस्तुओं की दिक्री के मुकाबले अन्ततः नियंति अधिक लाभदायक है तो हम इंजीनियरी के सामान के नियंति में आमानी से लगभग 20 से 30 प्रतिशत तक की वार्षिक वृद्धि कर सकते हैं। इस समय भारत की इंजीनियरी सम्बन्धी वस्तुओं के उत्पादन का लगभग 4 प्रतिशत सामान ही नियंति किया जाता है और अधिकांश नियंति बहुत थोड़ी-भी फर्में ही करती हैं। निस्सन्देह यह सामना पड़ेगा कि यदि नियंति से अधिक कायदा होता है तो अधिक से अधिक फर्में नियंति को ही अपना सामान्य धधा बना लेंगी। खनिज लोहे के नियंति को बढ़ाने की भी संभावनाएँ काफी हैं। इस समय जो अवसर उपलब्ध है, उनका पूरा-पूरा लाभ उठाने के लिए यह जहरी है कि खनिज लोहे और उसकी गोलियां, खनन और बन्दरगाह सम्बन्धी सुविधाओं के विकास की एक समन्वित योजना तैयार की जाय।

7.69 उपर्युक्त विवरण से यह पता चलता है कि सूती कपड़े, इंजीनियरी के सामान, मछली आदि समुद्री पदार्थ, चमड़े की वस्तुओं और रसायन तथा सम्बद्ध पदार्थ जैसी वस्तुओं के नियंति के लिए काफी व्यापक अवसर हैं। इन सभी उद्योगों में बड़ी-बड़ी फर्मों को जो अधिक नियंति करती हैं, अगले पांच वर्षों में अपने नियंति को बढ़ाने के लिए टोम कार्पेंट्रस बनाने की आवश्यकता है और इन फर्मों के लिये आवश्यक आपातों और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये स्थायी तौर पर दीर्घकाल के लिए कारगर प्रबन्ध करने की आवश्यकता है जिसमें उनमें नियंति के वितार के लिए आवश्यक वित्तीय की भावना पैदा हो सके।

श्रेष्ठाय-आठ

वर्ष 1975-76 की संभावनाएँ

8.1 राष्ट्रीय आय में वृद्धि की दर के बारे में ऐसी अर्थव्यवस्था में अनुमान लगाना जिसमें उसकी लगभग आधी आय वैपि में प्राप्त होती है, हमेशा एक जोखिम का कम होता है। इस तरह का कोई मूल्यांकन करते समय लगातार रहने वाली घेरेलू कठिनाइयों और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक बातावरण की बड़ती हुई अनिवार्यता को ध्यान में रखना चाहिए जो 1975-76 में राष्ट्रीय आय की दर में उल्लेखनीय वृद्धि करने में बाधक हो सकती है। किर भी अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में जो सूचना उपलब्ध है उससे यह संकेत मिलता है कि आने वाले वर्ष में अर्थव्यवस्था में कुल मिलाकर सुधार होने की संभावना है हालांकि थोड़े समय में अर्थव्यवस्था में कोई नाटकीय परिवर्तन होने की आशा नहीं की जा सकती।

8.2 इस समीक्षा में पहले भी बताया जा चुका है कि हरित क्रांति से कृषि की उपज में बहुत थोड़ी वृद्धि हुई और बीजों की किस्म के भी कुछ अटिया होने से 1971-72 से गेहूं की पैदावार गिर गयी है। लेकिन यदि इस तथ्य पर ध्यान दिया जाय कि 1970-71 से 30 से 40 लाख हेक्टेयर अधिक भूमि पर मिवाई की जाने लगी है तथा पहले से बहुत अधिक खेत में, अधिक उपज देने वाली फसलें उगाई जाने लगी हैं तो लगता है कि आने वाले वर्षों में कृषि की उपज में और वृद्धि बनाये रखना शायद संभव हो सके। किर भी उत्तरकां के मिल मरने में अनियमितता आ जाने तथा मई, 1974 से इनकी कीमतों में भारी वृद्धि होने से स्थिति जटिल हो गयी है जिसके कारण आने वाले वर्षों में कृषि की संभावित पैदावार के बारे में टीकटीक अनुमान लगाना मुश्किल हो गया है। किर भी यह स्पष्ट है कि अनाज की पैदावार में वृद्धि की दर का अधिक होना चावल और मैटे अनाज की पैदावार में तेजी से वृद्धि के लाये जाने पर निर्भर है। वाणिज्यिक कफलों में से केवल कपास की कफल ऐसी है जिसमें वृद्धि होने की संभावना है हालांकि एम०सी०य००-५ व हाईब्रिड-४ जैसी नयी किस्मों के बीज की खोज से इसकी पैदावार में जितनी वृद्धि का अनुमान लगाया गया था उसमें पर्याप्त संशोधन करना पड़ा है।

8.3 जहां तक आर्द्धांशिक उत्पादन का संबंध है, यदि वर्षों सामान्य रूप से हुई तो 1975-76 में पावर की समाई में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। कोयला और इस्पात के उत्पादन में भी वृद्धि होने की संभावना है और इससे उद्योगों को अपने उत्पादन में वृद्धि करने में पर्याप्त सहायता मिलेगी बास्तें कि परिवहन संबंधी कठिनाइयाँ इन्हीं चिन्ताजनक न बनी रहें जितनी कि पहले थीं। लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक परिस्थितियाँ पहले से ज्यादा प्रतिकूल हो गयी हैं और इससे हमारी कुछ आर्द्धांशिक वस्तुओं के नियांत पर बुरा आर पड़ सकता है। आर्द्धांशिक क्षमता का अधिक से अधिक उपयोग करने से आर्द्धांशिक उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि करने में सहायता मिलेगी। किर भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि पूँजीवाले माल व अन्तर्र्वर्ती वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों की उत्पादन क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग, महत्वपूर्ण रीति से, सरकारी क्षेत्र में अधिक से अधिक पूँजी लगाने से संबंध है। अगर वित्तीय साधनों की कमी के कारण सरकारी क्षेत्र में अधिक पूँजी लगाने में सकारात्मक पड़ी तो इससे उत्पादन-क्षमता पर बुरा असर पड़ेगा। इसके अलावा हमें उद्योगों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण कृषि-जन्य कच्चे माल के उत्पादन में निरन्तर हानि बाली घटाई-बढ़ाती को ध्यान में रखना

होगा। किर भी वर्तमान अनुमानों के आधार पर ऐसा नहगता है कि 1975-76 में आर्द्धांशिक उत्पादन कुल मिलाकर 1974-75 के मुकाबले अधिक होगा।

8.4 थोड़े ली भी समय में विकास की गति का एकदम से तेज़ करने के लिए हमारे पास जो साधन हैं वह सीमित है। किन्तु आर्थिक नीति का निर्धारण करने वालों को 1975-76 में राष्ट्रीय आय के विकास की दर को ऊंचा करने के काम में जुट जाना चाहिए जिसमें यह 3 से 3.5 प्रतिशत की दर की अपेक्षा जो पिछले पद्धति से बराबर चली आ रही है, अधिक दर से बढ़ सके। यह कोई आपात काम नहीं होगा क्योंकि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियाँ अभी भी बहुत अविनाशिती हैं और जो भी विस्तारवादी नीति होगी वह ऐसी बनानी पड़ेगी कि जिसमें अर्थव्यवस्था में मौजूदा दबाव और अधिक न बढ़ सके। यदि मांग में समय से पहले मामान्य सुधार होने लगे तो इससे मुद्रास्फीति की संभावनाओं को नये सिरे से और बल मिलेगा और ऐसा होने पर कीमतें पिछले दो वर्षों की अपेक्षा और भी तेजी से बढ़ने लगेंगी। इसलिए यह जल्दी है कि अर्थव्यवस्था के लिए विकास की जो योजनाएँ जल्दी हैं उनको वित्तीय और सैद्धांतिक नियंत्रणों पर व्यापक तरीके से लगातार जोर देने रहने के सइमें में बनाया जाय।

8.5 हालांकि हाल में आर्थिक शिथिलता की काफी चर्चा हुई है तो भी भी उत्तरव्य आंकड़ों से अपने महोनों में आर्द्धांशिक उत्पादन में धीरे धीरे वृद्धि होने के मंहूत मिलते हैं। किर भी उत्पादनात्मकों के न चाहने के बावजूद अगर कुछ उद्योगों ने कीमतों को उसी स्तर पर कावय रखने पर जोर दिया जिससे कि उन्हें पिछले दो वर्षों में अमावास्य हप से अधिक लाभ प्राप्त हुआ है तो हो सकता है कि कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए क्षमता का पूरा पूरा उपयोग न हो सके। लेकिन इन सभी मामलों में इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि उद्योग अपेक्षाकृत अधिक वास्तविक आधार पर कीमतें निर्धारित करने की नीति अपनायें न कि सरकार द्वारा भमय से पूर्व ही वित्तीय और ऋण नियंत्रणों में ढील दें दी जाय। किर भी इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि हमारे देश के कुछ उद्योगों के नियांत का भवित्व अनिवार्य होने के साथ व्यापार के क्षेत्र में मौजूदा मनोवृत्ति और सरकारी क्षेत्र में लगाई जाने वाली पूँजी की धीमी गति के कारण मौजूदा नीतियों में भवित्व में कुछ केर बदल करने की आवश्यकता हो सकती है। यह फेर बदल कर और कितना करना पड़ेगा यह इस बात पर निर्भर करेगा कि विदेशों में हमारी वस्तुओं की कितनी मांग होती है और देश के अन्दर खाद्य की हमारी स्थिति कैसी रहती है। लेकिन ऐसा लगता है कि पिछले दो वर्षों में जो मुद्रा स्फीतिकारी भारी दबाव रहा है उसको देखते हुए हमारी कोणिश यह होनी चाहिए कि हम मांग में सामान्य सुधार की ओरका कुछ विधिश्वास त्रांत्माहन देकर पूँजी लगाने और नियांत बढ़ाने के लिए व्यापारियों के मन में विश्वास बनाये रखें।

8.6 हाल के वर्षों में सरकार ने कर लगा कर तथा बाजार-ऋण लेकर, दानों तरीकों से, अतिरिक्त रकम जुटाने के लिए प्रमावणाली कदम उठाये हैं। दुर्भाग्य से इस प्रकार से जुटायी गयी रकम का अधिकांश गैर-विकासात्मक कार्यों के बड़े हुए खर्च, खास तौर से बेतन और भत्तों

पर ही खर्च हो गया। इस वजह से, अतिरिक्त माध्यम जुड़ने का प्रयत्न करने से सरकारी खर्च में जितनी बचत होने की संभावना थी, उननी बचत नहीं हई। चूंकि पूँजी निवेश की दर लगातार उंची बनाये रखने के लिए बचत की दर में वृद्धि करना बहुत जटिल होता है इसलिए बचत की दर को बढ़ाने के लिए नयी युक्तियां निकालनी होंगी। पिछले दो वर्षों में कीमतों के तेजी से बढ़ जाने के कारण यह काम निस्संदेह आसान नहीं है। फिर भी, अतिरिक्त क्षमता जो इस समय सरकारी क्षेत्र में ही उपलब्ध है, उसका पूरा पूरा उपयोग करने से इस क्षेत्र की बचतों में वृद्धि करने में विशेष सहायता मिलेगी। सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए अधिक वास्तविक मूल्य-नीति अपनाने से भी बचत करने में सहायता मिलेगी। इसी प्रकार कर की चीरों को रोकते के उद्देश्य से कशायत के अधिक कारगर तरीके अपनाने से न केवल सरकारी क्षेत्र की बचतों में वृद्धि होने में सहायता मिलेगी बल्कि आप और मम्पति की अराधागा को कम करने में हमारी कर-प्रणाली का प्रभाव भी बढ़ जायगा। इसके अतिरिक्त आम तौर से औद्योगिक वस्तुओं की कीमतें निर्धारित करने के लिए वास्तविक मूल्य-नीतियां अपनाने से हमारी अर्थव्यवस्था पर काने धन के प्रभाव को कम करने में सहायता ही नहीं मिलेगी बल्कि इसने सरकारी राजस्व व सरकारी बचतों में भी वृद्धि दी।

8.7 सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में अधिक प्राथमिकता वाली मर्दों में पूँजी लगाने के लिए उपलब्ध बचतों की रकमों को उपयोग में लाने की भी काफी गुजाइश है। इस समय राष्ट्रीय बचतों की अधिकांश रकम घरेलू क्षेत्रों से ही मिलती है और इसका केवल आधा भाग ऐसी विनीय परिस्थितियों में लगाया जाता है जिनके उपयोग पर प्रायः सामाजिक नियंत्रण होता है। संभव है कि पिछले दो वर्षों में भारी मुद्रास्फीति होने से बचतों को ऐसी विनीय परिस्थितियों जैसे बैंक-जमा के स्पष्ट में रखने का आकर्षण कम हो गया हो। अतः यह आवश्यक है कि ऐसी मिश्रित नीति अपनाकर इस प्रवृत्ति को एक ऐसा मोड़ दिया जाय जो स्वीकृत विनीय परिस्थितियों के रूप में अधिक बचतों करने के लिये अनुकूल हो। ऐसे तरीके भी ढूँढ़ने होये जिनमें इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था की जा सके कि निगमित क्षेत्र से प्राप्त होने वाली बचत की रकमों को उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में ही लगाया जाय, ऐसी परियोजनाओं में नहीं जो राष्ट्रीय प्राथमिकता की दृष्टि से काफी कम महत्व की हैं।

8.8 जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने के लिए चाहे जैसी भी प्रभावकारी नीति हो, जनसंख्या की वृद्धि की दर को कम करने की आवश्यकता पर जितना भी बल दिया जाय वह थोड़ा ही होगा। परिवार नियोजन कार्यक्रमों ने देश की जनसंख्या की समस्याओं के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने में महायाता प्रदान की है। अनुमान है कि संतान पैदा करने को आयु वाले इस समय लगभग 15 प्रतिशत दम्पति ऐसे हैं जो परिवार नियोजन के तरीकों को अपनाते हैं। जन्म दर में भी कमी होने लगी है। फिर भी कुल मिलाकर प्रगति मूल अनुमानों से काफी कम है। इसलिए हाँ प्राने परिवार नियोजन कार्यक्रम को फिर से ठीक ठीक बनाना होगा जिससे इसमें आवश्यक प्रगति प्राप्त की जा सके।

8.9 जनवरी, 1974 से पैट्रोलियम के मूल्यों में भारी वृद्धि होने से अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के स्वस्थ में भागी परिवर्तन होने के संकेत मिलते हैं। स्पष्ट है कि आने वाले वर्षों में भारत के भुगतान-संबंदल की स्थिति की लगातार भजदूत बनाये रखने की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए हमें ज केवल विदेशों से मिलने वाले तेल के बारे में कम निर्भर रहने की कोशिश करनी होगी बल्कि अपने निर्यात बढ़ाने

के लिए पहले की अपेक्षा अधिक प्रयाग भी करने होंगे। तल का मूल्य अधिक बढ़ जाने के कारण हमें अपने निर्यात में कम से कम 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि करने के बारे में विचार करना होगा। पिछले दो वर्षों में हमारे निर्यात के मूल्यों में जो लगातार वृद्धि हुई है उसका मुद्य कारण हमारी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होना था। जहाँ तक निर्यात की मात्रा का संबंध है उसमें 1968-69 से लगभग 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हुई है जो इस दिशा में कोई बहुत अलग नहीं है। वर्ष 1974-75 में चुकायी जाने वाली बाकी रकमों की कमी को पूरा करने के लिए हमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से काफी अधिक रकमें निकालनी पड़ी। आशा है कि 1975 में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष त्रिम्ति तेल सुविधाओं को लागू करेगा और इससे हमें नयी परिस्थितियों के अनुहृत अपने आपको ढालने के लिए कुछ और समय मिल जायगा। लेकिन हमें आगे के लिए भी सोचता हूँ कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष द्वारा दी जाने वाली तेल संबंधी सुविधा नहीं रहेगी और हमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से लिये गये मौजूदा भारी क्रहों को चुकाना शुरू करना पड़ेगा। इस बात को सोचते हुए निर्यात को बढ़ावा देने के काम को और भी अधिक महत्व देना जरूरी हो जाता है। पिछले पन्द्रह वर्षों में भारत के आर्थिक ढाँचे को काफी बहु खींचा गया है। इसलिए अब हमारे पास निर्यात में भारी वृद्धि करने की क्षमता है, बशर्ते कि भुगतान-शेष के दृष्टिकोण से यह निर्यात चाहे ज्यादा आकर्षक न हो तो भी वह देश में बिकी से होने वाले लाभ जैसा लाभदायक अवश्य हो। विश्व में हमें अपना व्यापार बढ़ाने में संभवतः 1975 में विश्व व्यापार का वातावरण महायक नहीं रहेगा। फिर भी, चूंकि मैन्युफेक्चर की गयी वस्तुओं के कुल विश्व निर्यात में इन वस्तुओं का हमारा निर्यात नगण्य है, इसलिए अगर हम निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई कारगर नीति अपनायें तो हम निर्यात से होने वाली अपनी आय में भारी वृद्धि कर सकते हैं।

8.10 जहाँ तक कृषि क्षेत्र का संबंध है उसमें प्रतिवर्ष लगभग 3 प्रतिशत की होने वाली वृद्धि की दर में उल्लेखनीय वृद्धि करने के लिए हमें अपने कृषि कार्यक्रमों को फिर से तैयार करना और पुष्ट करना होगा। साथ ही हमें इस भ्रम का शिकार भी नहीं बनना चाहिए कि कृषि का आधुनीकरण करने के लिए कोई निश्चित फारमूले बने हुए हैं जिनसे लक्ष्य की तुरत प्राप्ति की जा सकती है। थोड़े समय में अनाज की पैदावार में वृद्धि करने की अपनी सीमाएँ हैं। इसके अलावा, प्रत्येक वर्ष पैदावार में अनिवार्य रूप से जो घट-बढ़ होती रहती है उसे भी ओझल नहीं किया जा सकता। इसलिए अब भी उपज को बढ़ाने के लिए हर संभव उपाय को अपनाने के साथ-साथ अन्न की सरकारी खीद और इसके वितरण की सरकारी प्रणाली को मजबूत बनाने पर सर्वसे ज्यादा जोर देना चाहिए।

8.11 जैसा कि इस 'समीक्षा' के पहले के अध्यायों में किये गये विश्लेषणों से स्पष्ट है, देश में दीज उद्योग के ढाँचे को फिर से सुदृढ़ करने की तत्काल आवश्यकता है। भारी पैदावार देने वाली बीजों के उत्पादन की व्यवस्था में अधिक विस्तार करने की भी आवश्यकता है और इसके लिए यह जरूरी है कि हम कृषि-अनुसंधान के लिए नियत की जाने वाली धनराशि पर नये मिरे से विचार करें। राष्ट्रीय बीज निगम और अन्य सरकारी क्षेत्र के अधिकरणों की क्षमता में भी वृद्धि की जानी चाहिए, जिससे बढ़िया बीजों की बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सके।

8.12 यह भी कम आवश्यक नहीं है कि पिछले पांच वर्षों में प्रतिवर्ष जी लगभग दस-दस 'लाख हैक्टेएर भूमि के लिए मिलाई का प्रबन्ध किया जाता रहा है उसमें वृद्धि की जाय और अबन

वाले वर्षों में प्रतिवर्ष बीम बीम लाख हैकटेयर भूमि के लिए। मिचाई का प्रबन्ध किया जाये। इसके लिए यह जरूरी है कि बड़े और मध्यम दर्जे के मिचाई संबंधी निर्माण कार्य जो या तो निर्माणाश्रीन हैं या जिनकी आयोजना का काम अन्तिम चरणों में है उनको पूरा करने में लागत बढ़ जाने के कारण कोई रुकावट न आने दी जाय। नदियों के पानी के वितरण के अन्तर्जित विवादों को अधिक नेत्री तथा कुशलता से निपटाया जाना आवश्यक है। इन विवादों के न मुलझाये जाने के कारण अनाज की पैदावार में कमी होने से जो मिचाई का क्षेत्र और अधिक बढ़ा कर पूरी की जा सकती है, राष्ट्र को भारी नुकसान पहुंचता है। इसके अन्तरिक्ष भारत के पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भागों में बड़ी मात्रा में उपलब्ध भूमिगत जल का अधिक नेत्री से उपयोग करने के लिए काफी कारण प्रबन्ध करने होंगे।

8.13 पौजूदा मिचाई क्षमता का पूरा पूरा इस्तेमाल करने का काम भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। मिचाई क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जिसकी कल्पना पांचवीं पंचवर्षीय आयोजना के मसौदे में की गयी है, कृषि की पैदावार बढ़ाने में काफी योगदान दे सकता है बशर्ते कि प्रशासनिक ढांचा आवश्यक सीमा तक लकीला और अनुकूल बना रहे। इस कार्यक्रम का आयोजन धीमी गति से होता रहा है। इसलिए यह आवश्यक है कि इस कार्यक्रम के आयोजन में तेजी लायी जाये जिससे विभिन्न संगठनात्मक व तकनीकी समस्याओं का व्यावहारिक हल जल्दी ढूँढ़ा जा सके।

8.14 जब हमें विदेशों से मंगाये जाने वाले उर्वरकों पर काफी बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती है तब आन्तरिक उत्पादन-क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग नहीं किया जाना एक दुर्भाग्य की बात है। यह स्थिति पावर की मप्लाई अपर्याप्त होने के कारण पैदा हो रही है। फिर भी इस बात के भी प्रमाण हैं कि उपलब्ध क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग न किये जाने का कारण केवल विजली की कमी नहीं है। उर्वरक तैयार करने के कई कारबानों की उत्पादन-क्षमता और उनके वास्तविक उत्पादन में काफी अन्तर है। यह देखते हुए कि इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में बेकार पड़ी क्षमता समाज के लिये भारी पड़ रही है, उत्पादन क्षमता और वास्तविक उत्पादन के बीच के अन्तर को नेत्री से मिटाया जाना चाहिए। नवी उर्वरक परियोजनाओं को भी जो इस समय विचाराधीन है, शीघ्र लागू करना होगा। अगर नवी उर्वरक परियोजनाओं को पूरा करने में कोई विलम्ब हुआ तो पांचवीं आयोजना की अवधि के अन्त तक उर्वरकों की खपत में वृद्धि करने के लगभग 70 लाख मैट्रिक टन के हमारे लक्ष्य पर बहुत बुरा अमर पड़ेगा।

8.15 अन्त में, वर्ष 1975-76 में भारतीय अर्थ-व्यवस्था का मूल्यांकन अत्यधिक अनिश्चित अन्तरिक्षीय बातावरण को ध्यान में रख कर करना होगा। फिर भी, कूल मिलाकर, भारतीय अर्थ-व्यवस्था की स्थिति पर खेती की पैदावार में होने वाली घट-बढ़ का बहुत ज्यादा अमर पड़ेगा। इस प्रकार विकास की मुनियोजित प्रतिया को दृष्टापूर्वक फिर से आरम्भ करना बुनियादी तौर पर भारतीय कृषि को नये नगीकों के अनुसार ढालने की हमारी योग्यता पर निर्भर है।

परिशिष्ट

आंकड़ों सम्बन्धी सारणियां

1. राष्ट्रीय आय तथा उत्पादन

| | | |
|--------|---|----|
| 1. 1. | सकल राष्ट्रीय उत्पाद तथा निवल राष्ट्रीय उत्पाद (अर्थात् राष्ट्रीय आय) | 63 |
| 1. 2. | मूल उद्योगों के अनुसार निवल राष्ट्रीय उत्पाद के अनुमान—प्रतिशत विभाजन (1960-61 के मूल्यों पर) | 64 |
| 1. 3. | कृषि उत्पादन : क्षेत्रफल और उपज के सूचक अंक | 65 |
| 1. 4. | कृषि उत्पादन के सूचक अंक | 66 |
| 1. 5. | कृषि उत्पादन | 67 |
| 1. 6. | अन्न के उत्पादन के राज्यवार अनुमान (1968-69 से 1973-74 तक) | 68 |
| 1. 7. | चुने हुए प्रत्यक्ष कृषि विकास कार्यक्रमों की प्रगति | 72 |
| 1. 8. | दालें और अन्य अनाज की निवल उपलब्ध मात्रा | 73 |
| 1. 9. | अन्न की निवल उपलब्धता, वसूली और सरकारी वितरण | 74 |
| 1. 10. | दैनिक उपयोग की कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं की प्रति व्यक्ति उपलब्धता | 75 |
| 1. 11. | उर्वरकों का उत्पादन, आयात और कुल उपलब्धता | 76 |
| 1. 12. | आवौधागिक उत्पादन के सूचक अंकों में प्रतिशत परिवर्तन | 77 |
| 1. 13. | चुने हुए उद्योगों का उत्पादन | 79 |

2. बजट संबंधी लेन-देन

| | | |
|-------|--|----|
| 2. 1. | केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और संघ क्षेत्रों के बजट सम्बन्धी लेन-देन | 82 |
| 2. 2. | केन्द्रीय सरकार का कुल व्यय | 84 |
| 2. 3. | केन्द्रीय सरकार के बजट सम्बन्धी साधनों में से सकल पूँजी निर्माण | 86 |
| 2. 4. | विकास शीर्षों के अनुसार केन्द्र, राज्यों तथा संघ क्षेत्रों का आयोजनाभृत परिव्यय | 88 |
| 2. 5. | विकास शीर्षों के अनुसार केन्द्र, राज्यों और संघ क्षेत्रों का आयोजनागत परिव्यय—प्रतिशत विभाजन | 89 |

3. रोजगार

| | | |
|-------|-------------------------------|----|
| 3. 1. | सरकारी क्षेत्र में रोजगार | 90 |
| 3. 2. | गैर-सरकारी क्षेत्र में रोजगार | 91 |

4. मुद्रा संबंधी प्रवृत्तियां

| | | |
|-------|---|-----|
| 4. 1. | मुद्रा में घट-बढ़ का विश्लेषण | 92 |
| 4. 2. | अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक—व्यस्त व मंदी के मौसम में दिये गये ऋण | 94 |
| 4. 3. | अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक—चुनी हुई मदों में घट-बढ़ | 95 |
| 4. 4. | सरकारी क्षेत्र के बैंकों और अन्य वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं का विस्तार | 96 |
| 4. 5. | सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि और अब तक उपेक्षित अन्य क्षेत्रों को दिये गये अग्रिम | 97 |
| 4. 6. | सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यालयों, इनमें जमा कुल राशियों और इन बैंकों द्वारा दिये गये कुल ऋणों तथा इन ऋणों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये गये ऋणों के प्रतिशतांश का राज्यवार विवरण | 98 |
| 4. 7. | पूँजी बाजार : कुल निदेशांक | 99 |
| 4. 8. | पूँजी बाजार : वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता | 101 |

5. मूल्य

| | | |
|-------|--|-----|
| 5. 1. | थोक भावों के सूचक अंक | 102 |
| 5. 2. | थोक भावों के सूचक अंक—चुनी हुई वस्तुएँ/वस्तु समूह | 104 |
| 5. 3. | अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक | 106 |
| 5. 4. | थोक भावों के सूचक अंक : निर्मित वस्तुओं और कृषि वस्तुओं के सामेक्ष मूल्य | 108 |

6. भुगतान-शेष

| | | |
|-------|----------------------------------|-----|
| 6. 1. | भारत की प्रारक्षित विदेशी मुद्रा | 110 |
| 6. 2. | भारत का भुगतान-शेष (समंजित) | 112 |
| 6. 3. | भारत का भुगतान-शेष (समंजित) | 114 |

| | पृष्ठ संख्या |
|--|--------------|
| 6. 4. भारत का भुगतान-शेष : चालू खाते की अदृश्य मर्दे | 116 |
| 6. 5. भारत का भुगतान-शेष : पूँजी खाते की कुछ मर्दे | 118 |
| 6. 6. आयात की गयी मुख्य वस्तुएं | 119 |
| 6. 7. निर्यात की गयी मुख्य वस्तुएं | 120 |
| 6. 8. कुल अनुमानित सप्लाई में आयात का अंश | 122 |

7. विदेशी सहायता

| | |
|---|-----|
| 7. 1. कुल विदेशी सहायता | 124 |
| 7. 2. स्रोतों के अनुसार वर्णीकृत, स्वीकृत विदेशी सहायता | 125 |
| 7. 3. स्रोतों के अनुसार वर्णीकृत विदेशी सहायता का उपयोग | 128 |
| 7. 4. विदेशी सहायता में अनुदानों तथा अप्रतिबद्ध ऋणों का अंश | 131 |
| 7. 5. 1974-75 में विदेशी सहायता | 132 |
| 7. 6. विदेशी ऋण पर ब्याज आदि का भुगतान | 133 |

1. राष्ट्रीय आय तथा उत्पादन

1.1 : सकल राष्ट्रीय उत्पाद तथा निवल राष्ट्रीय उत्पाद(अर्थात् राष्ट्रीय आय)

| | सकल राष्ट्रीय उत्पाद (करोड़ रुपयों में) | | निवल राष्ट्रीय उत्पाद (करोड़ रुपयों में) | | प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय (रुपये) | निवल राष्ट्रीय उत्पाद प्रतिव्यक्ति निवल राष्ट्रीय उत्पाद का सूचकांक (आधार 1960-61) | निवल राष्ट्रीय उत्पाद का सूचकांक (आधार 1960-61) | | | |
|---|--|--------------------------|---|--------------------------|---|--|--|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| | चालू मूल्यों पर | 1960-61 के मूल्यों पर | चालू मूल्यों पर | 1960-61 के मूल्यों पर | | | चालू मूल्यों पर | 1960-61 के मूल्यों पर | चालू मूल्यों पर | 1960-61 के मूल्यों पर |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1960-61 . | 14003 | 14003 | 13267 | 13267 | 305.7 | 305.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 1961-62 . | 14803 | 14516 | 13991 | 13732 | 315.1 | 309.3 | 105.5 | 103.5 | 103.1 | 101.2 |
| 1962-63 . | 15728 | 14881 | 14796 | 13994 | 325.9 | 308.2 | 111.5 | 105.5 | 106.6 | 100.8 |
| 1963-64 . | 17976 | 15684 | 16975 | 14769 | 365.8 | 318.3 | 127.9 | 111.3 | 119.7 | 104.1 |
| 1964-65 . | 21112 | 16869 | 20000 | 15884 | 421.9 | 335.1 | 150.7 | 119.7 | 138.0 | 109.6 |
| 1965-66 . | 21865 | 16112 | 20636 | 15081 | 425.5 | 310.9 | 155.5 | 113.7 | 139.2 | 101.7 |
| 1966-67 . | 25198 | 16348 | 23810 | 15257 | 481.0 | 308.2 | 179.5 | 115.0 | 157.3 | 100.8 |
| 1967-68 . | 29714 | 17788 | 28166 | 16616 | 556.6 | 328.4 | 212.3 | 125.2 | 182.1 | 107.4 |
| 1968-69 . | 30560 | 18431 | 28859 | 17180 | 557.1 | 331.7 | 217.5 | 129.5 | 182.2 | 108.5 |
| 1969-70 . | 33883 | 19444 | 31968 | 18152 | 604.3 | 343.1 | 241.0 | 136.8 | 197.7 | 112.2 |
| 1970-71* . | 36730 | 20365 | 34627 | 19035 | 640.1 | 351.8 | 261.0 | 143.5 | 209.4 | 115.1 |
| 1971-72* . | 38899 | 20672 | 36599 | 19299 | 660.6 | 348.4 | 275.9 | 145.5 | 216.1 | 114.0 |
| 1972-73* . | 42136 | 20574 | 39592 | 19130 | 698.3 | 337.4 | 298.4 | 144.2 | 228.4 | 110.4 |
| 1973-74 † . | 52193 | 21214 | 49290 | 19724 | 849.8 | 340.1 | 371.5 | 148.7 | 278.0 | 111.3 |
| तीसरी योजना में वार्षिक वृद्धि | | | | | | | | | | |
| दर . | 9.3 | 2.8 | 9.2 | 2.6 | 6.9 | 0.3 | | | | |
| 1966-67 . | 15.2 | 1.5 | 15.4 | 1.2 | 13.0 | (-) 0.9 | | | | |
| 1967-68 . | 17.9 | 8.8 | 18.3 | 8.9 | 15.7 | 6.6 | | | | |
| 1968-69 . | 2.8 | 3.6 | 2.5 | 3.4 | 0.09 | 1.0 | | | | |
| 1969-70 . | 10.9 | 5.5 | 10.8 | 5.7 | 8.5 | 3.4 | | | | |
| 1970-71 . | 8.4 | 4.7 | 8.3 | 4.9 | 5.9 | 2.5 | | | | |
| 1971-72 . | 5.9 | 1.5 | 5.7 | 1.4 | 3.2 | (-) 1.0 | | | | |
| 1972-73 . | 8.3 | (-) 0.5 | 8.2 | (-) 0.9 | 5.7 | (-) 3.2 | | | | |
| 1973-74 . | 23.9 | 3.1 | 24.5 | 3.1 | 21.7 | 0.8 | | | | |
| चौथी योजना में वार्षिक वृद्धि | | | | | | | | | | |
| दर . | 11.3 | 2.9 | 11.3 | 2.8 | 8.7 | 0.5 | | | | |

*अनन्तिम

†तुरत अनमान

1 राष्ट्रीय आय तथा उत्पादन

1.2 : मूल उद्योगों के अनुसार निवल राष्ट्रीय उत्पाद के अनुमान-प्रतिशत विभाजन

(1960-61 के मूल्यों पर)

| उद्योग समूह | 1960-61 | 1965-66 | 1966-67 | 1967-68 | 1968-69 | 1969-70 | 1970-71* | 1971-72* | 1972-73* | 1973-74† |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. कृषि, वन पालन, और लार्गिंग मीनक्षेत्र, खनन और पत्थर की खुदाई | 52.5 | 44.2 | 43.0 | 45.9 | 44.9 | 45.1 | 46.2 | 44.8 | 42.1 | 43.2 |
| 2. उत्पादन, नियाण, बिजली, गैस तथा जलपूर्ति | 19.2 | 23.6 | 24.1 | 22.9 | 23.4 | 23.3 | 22.3 | 22.4 | 23.5 | 22.6 |
| 3. परिवहन, संचार और व्यापार | 14.1 | 16.4 | 16.6 | 15.9 | 16.1 | 16.1 | 15.8 | 16.1 | 16.8 | 16.3 |
| 4. बैंक व्यवसाय और बीमा, वास्तविक सम्पदा तथा आवासों का स्वामित्व और व्यापारिक सेवाएं | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.3 |
| 5. सरकारी प्रशासन और रक्षा तथा अन्य सेवाएं | 10.5 | 12.4 | 12.9 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 12.6 | 13.4 | 14.2 | 14.5 |
| 6. अभिकर्ता मूल्य पर वास्तविक घरेलू उत्पाद | 100.5 | 101.0 | 101.0 | 101.1 | 101.0 | 101.0 | 100.9 | 100.9 | 101.0 | 100.9 |
| 7. विदेशों से वास्तविक अभिकर्ता आय | (-) 0.5 | (-) 1.0 | (-) 1.0 | (-) 1.0 | (-) 1.0 | (-) 1.0 | (-) 0.9 | (-) 0.9 | (-) 1.0 | (-) 0.9 |
| 8. अभिकर्ता मूल्य पर वास्तविक राष्ट्रीय उत्पाद | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

*अनन्तिम

†तुरत अनुमान

1. राष्ट्रीय आय तथा उत्पादन

1.3: कृषि उत्पादन : क्षेत्रफल और उपज के सूचक अंक

(आधार : 1961-62 को समान्त होने वाले तीन वर्ष = 100)

(निम्नलिखित के सूचक अंक)

| वर्ष | 1 | क्षेत्रफल* | उत्पादन** | प्रति हेक्टर | |
|---------|---|------------|-----------|--------------|-------|
| | | | | उपज@ | उपज |
| 1960-61 | . | . | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 1961-62 | . | . | 101.0 | 102.4 | 101.4 |
| 1962-63 | . | . | 101.9 | 102.8 | 100.9 |
| 1963-64 | . | . | 102.6 | 106.8 | 104.1 |
| 1964-65 | . | . | 102.1 | 104.9 | 102.7 |
| 1965-66 | . | . | 101.6 | 102.2 | 100.6 |
| 1966-67 | . | . | 102.2 | 102.8 | 100.6 |
| 1967-68 | . | . | 103.0 | 109.1 | 105.9 |
| 1968-69 | . | . | 104.8 | 118.0 | 112.6 |
| 1969-70 | . | . | 105.6 | 122.9 | 116.4 |
| 1970-71 | . | . | 106.7 | 128.3 | 120.2 |
| 1971-72 | . | . | 105.7 | 127.6 | 120.7 |
| 1972-73 | . | . | 106.2 | 127.7 | 120.2 |

*कृषि वर्ष जुलाई से जून तक है

**तीन-तीन वर्षों अर्थात् एक वर्ष संबद्ध वर्ष का, दूसरा उससे पहले और तीसरा उससे बाद का वर्ष के, कुल औसत

@कालम 2 और 3 के आधार पर

1 राष्ट्रीय आय तथा उत्पादन

1.4 कृषि उत्पादन के सूचक अंक

(आधार: 1961-62 को समाप्त होने वाले तीन वर्ष = 100)

| वर्ग/वस्तुएँ | भार | 1960- | 1965- | 1966- | 1967- | 1968- | 1969- | 1970- | 1971- | 1972- | 1973- | |
|--------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 61 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| क. ग्रन्त | . | 65.9 | 102.1 | 89.9 | 91.9 | 117.1 | 115.7 | 123.5 | 133.9 | 132.0 | 121.2 | 130.3 |
| (क) दालों से भिन्न | . | 57.9 | 101.6 | 90.9 | 95.1 | 119.5 | 120.0 | 127.2 | 138.9 | 137.5 | 126.6 | 137.1 |
| चावल | . | 34.8 | 101.8 | 90.0 | 89.6 | 110.7 | 116.5 | 118.5 | 123.8 | 127.0 | 115.7 | 129.0 |
| गेहूं | . | 8.4 | 98.8 | 93.4 | 102.4 | 148.7 | 157.1 | 180.6 | 214.2 | 237.3 | 222.3 | 198.4 |
| मोटा ग्रन्ताज | . | 14.7 | 102.8 | 91.8 | 104.0 | 123.5 | 107.4 | 117.4 | 131.4 | 105.8 | 98.0 | 121.6 |
| (ख) दाले | . | 8.0 | 105.5 | 82.4 | 68.9 | 100.0 | 84.3 | 96.7 | 97.7 | 91.7 | 80.3 | 80.5 |
| जिसमें चना | . | 3.9 | 106.2 | 71.7 | 61.5 | 101.4 | 70.2 | 94.2 | 88.3 | 86.3 | 77.1 | 68.1 |
| ख. ग्रन्त से भिन्न | . | 34.1 | 103.8 | 107.1 | 103.7 | 115.6 | 113.2 | 120.5 | 126.6 | 128.9 | 119.4 | 134.1 |
| (क) तिलहन जिसमें | . | 11.4 | 102.7 | 98.0 | 99.4 | 121.0 | 105.7 | 117.1 | 133.4 | 131.0 | 109.1 | 129.2 |
| मूँगफली | . | 5.4 | 101.5 | 92.1 | 95.3 | 123.8 | 100.0 | 110.8 | 132.0 | 133.5 | 84.4 | 125.3 |
| तोरिया और सरसों | . | 1.7 | 107.7 | 103.8 | 98.2 | 125.4 | 107.7 | 125.1 | 158.0 | 114.6 | 144.6 | 135.4 |
| (ख) रेश | . | 5.0 | 106.6 | 98.8 | 109.0 | 121.8 | 97.5 | 114.6 | 100.2 | 133.8 | 112.8 | 126.7 |
| कपास | . | 3.3 | 119.1 | 104.1 | 113.0 | 123.9 | 116.9 | 119.4 | 102.2 | 149.1 | 123.0 | 132.1 |
| जूट | . | 1.3 | 82.8 | 89.6 | 107.3 | 126.6 | 58.7 | 113.2 | 99.1 | 114.1 | 99.9 | 123.9 |
| मेस्ता | . | 0.3 | 81.5 | 95.3 | 89.4 | 93.2 | 66.3 | 82.7 | 91.8 | 84.2 | 81.4 | 107.0 |
| (ग) बागानी कसले | . | 3.3 | 96.7 | 112.8 | 118.1 | 118.4 | 126.3 | 123.9 | 138.8 | 138.3 | 148.3 | 153.5 |
| चाय | . | 2.9 | 96.2 | 109.7 | 112.6 | 115.2 | 120.5 | 117.9 | 125.4 | 130.5 | 136.5 | 141.4 |
| कहवा | . | 0.3 | 100.4 | 114.9 | 141.2 | 103.2 | 132.3 | 114.5 | 198.5 | 124.1 | 163.9 | 154.9 |
| रबड़ | . | 0.1 | 99.3 | 188.3 | 204.3 | 240.3 | 264.9 | 305.5 | 343.6 | 377.3 | 419.1 | 466.8 |
| (घ) विविध जिसमें | . | 9.4 | 106.4 | 115.6 | 93.7 | 97.3 | 118.9 | 126.3 | 122.1 | 113.4 | 119.7 | 135.1 |
| गन्ना (गुड़) | . | 7.8 | 108.1 | 121.0 | 90.0 | 92.7 | 121.5 | 130.6 | 122.3 | 109.6 | 120.3 | 132.9 |
| तम्बाकू | . | 1.4 | 97.7 | 95.3 | 114.9 | 119.9 | 117.4 | 109.6 | 117.7 | 136.2 | 121.0 | 143.5 |
| ग. सभी वस्तुएँ | . | 100.0 | 102.7 | 95.8 | 95.9 | 116.6 | 114.8 | 122.5 | 131.4 | 130.9 | 120.6 | 131.6 |

टिप्पणी : 1966-67 और उसके बाद के आंकड़े अनन्तिम हैं और इसलिए उनमें फेर-चदल हो सकता है।

1. राष्ट्रीय आय तथा उत्पादन

1.5. कृषि उत्पादन*

| | इकाई | 1955- | 1960- | 1965- | 1967- | 1968- | 1969- | 1970- | 1971- | 1972- | 1973- |
|-----------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|
| | | 56 | 61 | 66 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| क. अन्न | दस लाख मेट्रिक टन | 69.34 | 82.33 | 72.35 | 95.05 | 94.01 | 99.50 | 108.42 | 105.17 | 97.03 | 103.61 |
| (क) दालों से भिन्न अनाज | " | 57.63 | 69.59 | 62.40 | 82.95 | 83.60 | 87.81 | 96.60 | 94.07 | 87.12 | 93.86 |
| चावल | " | 28.65 | 34.60 | 30.59 | 37.61 | 39.76 | 40.43 | 42.23 | 43.07 | 39.25 | 43.74 |
| गेहूं | " | 8.87 | 11.00 | 10.39 | 16.54 | 18.65 | 20.09 | 23.83 | 26.41 | 24.73 | 22.07 |
| जवार | " | 6.74 | 9.90 | 7.58 | 10.05 | 9.80 | 9.72 | 8.10 | 7.72 | 6.97 | 8.99 |
| बाजरा | " | 3.46 | 3.29 | 3.75 | 5.19 | 3.80 | 5.33 | 8.03 | 5.32 | 3.93 | 7.09 |
| दूसरे अनाज | " | 9.91 | 10.81 | 10.09 | 13.56 | 11.58 | 12.24 | 14.42 | 11.56 | 12.24 | 11.97 |
| (ख) दाले जिसमें चना | " | 11.71 | 12.73 | 9.94 | 12.10 | 10.42 | 11.69 | 11.82 | 11.09 | 9.91 | 9.75 |
| चना | " | 5.42 | 6.26 | 4.22 | 5.97 | 4.31 | 5.55 | 5.20 | 5.08 | 4.54 | 4.01 |
| ख. अनाज से भिन्न | " | | | | | | | | | | |
| (क) तेलहन जिसमें** | " | 5.50 | 6.87 | 6.40 | 8.30 | 6.85 | 7.73 | 9.26 | 8.75 | 6.86 | 8.68 |
| मूँगफली | " | 3.68 | 4.70 | 4.26 | 5.73 | 4.63 | 5.13 | 6.11 | 6.18 | 4.09 | 5.80 |
| तोसिया और सरसों | " | 0.86 | 1.35 | 1.30 | 1.57 | 1.35 | 1.56 | 1.98 | 1.43 | 1.81 | 1.69 |
| (ख) गन्ना (गुड़ के रूप में) | " | 7.43 | 11.41 | 12.77 | 9.79 | 12.83 | 13.78 | 12.98 | 11.63 | 12.76 | 14.05 |
| (ग) कपास दस लाख गांठ (@) | दस लाख गांठ (रुपी) | 3.99 | 5.24 | 4.58 | 5.45 | 5.14 | 5.26 | 4.50 | 6.56 | 5.42 | 5.82 |
| (घ) जूट | " | 4.47 | 4.14 | 4.48 | 6.32 | 2.93 | 5.66 | 4.94 | 5.68 | 4.98 | 6.18 |
| (क) मेस्ता | " | 1.15 | 1.11 | 1.30 | 1.27 | 0.91 | 1.13 | 1.26 | 1.15 | 1.11 | 1.46 |

* 1955-56 से 1965-66 तक के ग्रांकड़े, 1965-66 के पूर्णतः संशोधित अनुमानों को आधार मान कर संमायोजित कर दिये गये हैं। 1966-67 और उसके बाद के ग्रांकड़े अनन्तिम हैं और उनमें संशोधन हो सकता है।

** इसमें मूँगफली, तोसिया और सरसों, तिल, ग्रलमी तथा रेडी शामिल हैं।

(@) गांठ—180 किलोग्राम।

टिप्पणी : संभव है कि पूर्णीकरण के कारण ग्रांकड़ों के जोड़ आपस में मेल न खांपे।

1. राष्ट्रीय आय तथा उत्पादन

1.6 : अन्न के उत्पादन के राज्यवार अनुमान 1968-69 से 1973-74 तक

(हजार मेट्रिक टन)

| राज्य | वर्ष | चावल | गेंड़ | मोटा अनाज | | दालों से | कुल दालें | कुल ग्रन्त |
|---------------|---------|--------|--------|--------------|-------|----------|-----------|------------|
| | | | | ज्वार, बाजरा | अन्य | | | |
| | | | | ओर मक्का | भिन्न | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| आनंद प्रदेश | 1968-69 | 4340.5 | 3.0 | 1817.8 | 435.5 | 6596.8 | 250.1 | 6846.9 |
| | 1969-70 | 4700.0 | 4.0 | 1980.9 | 452.1 | 7137.0 | 262.6 | 7399.6 |
| | 1970-71 | 4786.4 | 10.3 | 1601.5 | 558.0 | 6956.2 | 449.5 | 7405.7 |
| | 1971-72 | 4717.1 | 10.8 | 1661.3 | 521.7 | 6910.9 | 379.6 | 7290.5 |
| | 1972-73 | 4256.5 | 9.7 | 1702.4 | 439.7 | 6408.3 | 299.4 | 6707.7 |
| | 1973-74 | 5352.2 | 13.0 | 2041.7 | 543.0 | 7949.9 | 380.8 | 8330.7 |
| असम | 1968-69 | 2250.8 | 4.7 | 14.0 | 3.0 | 2272.5 | 31.9 | 2304.9 |
| | 1969-70 | 2057.5 | 6.9 | 6.5 | 2.3 | 2073.2 | 35.7 | 2108.9 |
| | 1970-71 | 1980.5 | 12.1 | 6.7 | 2.7 | 2002.0 | 32.3 | 2034.3 |
| | 1971-72 | 1908.1 | 48.0 | 6.4 | 2.9 | 1965.4 | 30.9 | 1996.3 |
| | 1972-73 | 2177.1 | 160.4 | 5.9 | 4.9 | 2348.3 | 48.0 | 2396.3 |
| | 1973-74 | 2066.3 | 48.2 | 7.6 | 4.4 | 2126.5 | 44.7 | 2171.2 |
| बिहार | 1968-69 | 5197.4 | 1259.0 | 1029.3 | 378.0 | 7863.7 | 1006.2 | 8869.9 |
| | 1969-70 | 4009.0 | 1200.0 | 878.2 | 350.3 | 6437.5 | 1108.2 | 7545.7 |
| | 1970-71 | 4154.3 | 1258.9 | 1128.9 | 351.7 | 6893.8 | 987.4 | 7881.2 |
| | 1971-72 | 5273.2 | 2493.7 | 139.4 | 271.3 | 8177.6 | 889.3 | 9066.9 |
| | 1972-73 | 4464.5 | 3136.4 | 811.6 | 251.0 | 8663.5 | 656.0 | 9319.5 |
| | 1973-74 | 4140.2 | 1650.0 | 954.5 | 261.3 | 7006.0 | 673.1 | 7679.1 |
| गुजरात | 1968-69 | 230.0 | 620.5 | 1265.7 | 105.9 | 2222.1 | 123.8 | 2345.9 |
| | 1969-70 | 447.4 | 591.6 | 1880.1 | 172.3 | 3091.4 | 129.6 | 3221.0 |
| | 1970-71 | 597.5 | 939.4 | 2516.4 | 187.6 | 4240.9 | 165.2 | 4406.1 |
| | 1971-72 | 517.5 | 897.4 | 2459.8 | 186.0 | 4060.7 | 161.3 | 4222.0 |
| | 1972-73 | 147.9 | 547.6 | 1312.8 | 94.1 | 2102.4 | 112.0 | 2214.4 |
| | 1973-74 | 467.9 | 905.9 | 1937.7 | 151.8 | 3463.3 | 165.2 | 3628.5 |
| हरियाणा | 1968-69 | 265.0 | 1522.0 | 399.0 | 195.0 | 2381.0 | 625.2 | 3006.2 |
| | 1969-70 | 371.0 | 2119.5 | 709.0 | 180.1 | 3379.6 | 1187.8 | 4567.4 |
| | 1970-71 | 460.0 | 2342.0 | 1013.0 | 123.1 | 3938.1 | 813.2 | 4751.3 |
| | 1971-72 | 536.0 | 2402.0 | 808.0 | 115.1 | 3861.1 | 684.3 | 4545.4 |
| | 1972-73 | 462.0 | 2231.0 | 646.0 | 149.0 | 3488.0 | 589.8 | 4077.8 |
| | 1973-74 | 540.0 | 1810.0 | 863.0 | 136.0 | 3349.0 | 489.5 | 3838.5 |
| हिमाचल प्रदेश | 1968-69 | 98.5 | 259.1 | 500.0 | 81.2 | 938.8 | 22.1 | 960.9 |
| | 1969-70 | 113.8 | 300.0 | 443.7 | 103.6 | 961.1 | 21.2 | 982.3 |
| | 1970-71 | 123.9 | 246.2 | 482.6 | 65.4 | 918.1 | 31.6 | 949.7 |
| | 1971-72 | 103.6 | 394.5 | 330.3 | 87.8 | 916.2 | 29.1 | 945.3 |
| | 1972-73 | 85.7 | 333.1 | 392.8 | 73.9 | 885.5 | 28.2 | 913.7 |
| | 1973-74 | 117.5 | 282.8 | 435.5 | 71.6 | 907.4 | 29.6 | 937.0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| जम्मू और कश्मीर | 1968-69 | 487.3 | 210.0 | 332.6 | 35.0 | 1064.9 | 34.3 | 1099.2 |
| | 1969-70 | 482.1 | 250.0 | 370.1 | 18.3 | 1120.5 | 31.0 | 1151.5 |
| | 1970-71 | 396.9 | 124.8 | 377.4 | 14.9 | 914.0 | 30.4 | 944.4 |
| | 1971-72 | 370.1 | 168.0 | 374.3 | 17.1 | 929.5 | 29.1 | 958.6 |
| | 1972-73 | 342.7 | 174.3 | 389.6 | 19.0 | 925.6 | 28.8 | 954.4 |
| | 1973-74 | 460.1 | 174.3 | 324.6 | 21.6 | 980.6 | 29.8 | 1010.4 |
| कर्नाटक | 1968-69 | 2001.1 | 160.0 | 1917.4 | 585.3 | 4663.8 | 385.6 | 5049.4 |
| | 1969-70 | 2290.0 | 136.3 | 2131.5 | 931.3 | 5489.1 | 401.6 | 5890.7 |
| | 1970-71 | 1952.9 | 94.6 | 2492.5 | 1018.7 | 5558.7 | 403.6 | 5962.3 |
| | 1971-72 | 2097.1 | 187.2 | 2343.6 | 970.5 | 5598.4 | 466.1 | 6064.5 |
| | 1972-73 | 1748.8 | 109.2 | 1586.0 | 917.1 | 4361.1 | 238.9 | 4600.0 |
| | 1973-74 | 2068.8 | 188.7 | 2366.0 | 1030.3 | 5653.8 | 497.4 | 6151.2 |
| केरल | 1968-69 | 1400.0 | — | 0.5 | 10.2 | 1410.7 | 16.7 | 1427.4 |
| | 1969-70 | 1214.9 | — | 0.6 | 11.1 | 1226.6 | 16.0 | 1242.6 |
| | 1970-71 | 1298.0 | — | 0.8 | 8.1 | 1306.9 | 14.0 | 1320.9 |
| | 1971-72 | 1351.7 | — | 0.8 | 7.6 | 1360.1 | 13.1 | 1373.2 |
| | 1972-73 | 1376.4 | — | 0.6 | 7.5 | 1384.5 | 12.8 | 1397.3 |
| | 1973-74 | 1353.9 | — | 0.6 | 7.5 | 1362.0 | 13.7 | 1375.7 |
| मध्य प्रदेश | 1968-69 | 3004.6 | 2007.5 | 2311.1 | 490.3 | 7813.5 | 1646.5 | 9460.0 |
| | 1969-70 | 3201.6 | 2216.0 | 2053.0 | 540.9 | 8011.5 | 1757.6 | 9769.1 |
| | 1970-71 | 3697.3 | 2592.2 | 2083.4 | 557.1 | 8930.0 | 1991.6 | 10921.6 |
| | 1971-72 | 3702.4 | 3189.2 | 1847.5 | 542.1 | 9281.2 | 2353.1 | 11634.3 |
| | 1972-73 | 3083.5 | 2284.8 | 2507.8 | 499.5 | 8375.6 | 2255.6 | 10631.2 |
| | 1973-74 | 3537.3 | 2601.3 | 1788.1 | 550.1 | 8476.8 | 1935.7 | 10412.5 |
| महाराष्ट्र | 1968-69 | 1368.8 | 428.1 | 4198.2 | 288.5 | 6283.6 | 873.6 | 7157.2 |
| | 1969-70 | 1431.3 | 390.5 | 4034.6 | 218.1 | 6074.5 | 839.4 | 6913.9 |
| | 1970-71 | 1662.9 | 451.1 | 2420.5 | 279.6 | 4814.1 | 775.9 | 5590.0 |
| | 1971-72 | 1368.5 | 502.8 | 2188.8 | 249.9 | 4310.0 | 642.9 | 4952.9 |
| | 1972-73 | 745.8 | 248.5 | 1465.7 | 139.7 | 2599.7 | 451.0 | 3050.7 |
| | 1973-74 | 1640.5 | 536.0 | 3763.7 | 309.7 | 6249.9 | 986.5 | 7236.4 |
| मणिपुर | 1968-69 | 300.0 | — | 18.7 | — | 318.7 | — | 318.7 |
| | 1969-70 | 232.0 | — | 12.8 | — | 244.8 | — | 244.8 |
| | 1970-71 | 159.8 | — | 6.8 | — | 166.6 | — | 166.6 |
| | 1971-72 | 158.6 | 4.2 | 17.1 | — | 179.9 | — | 179.9 |
| | 1972-73 | 152.2 | 0.2 | 22.0 | — | 174.4 | — | 174.4 |
| | 1973-74 | 238.6 | 0.1 | 27.2 | — | 265.9 | — | 265.9 |
| मेघालय | 1968-69 | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② |
| | 1969-70 | ② | 0.2 | 8.0 | 0.8 | 9.0 | 0.8 | 9.8 |
| | 1970-71 | 113.9 | 0.2 | 7.1 | 0.3 | 121.5 | 0.9 | 122.4 |
| | 1971-72 | 108.0 | 0.2 | 7.5 | 0.9 | 116.6 | 0.9 | 117.5 |
| | 1972-73 | 110.0 | 0.2 | 8.0 | 1.0 | 119.2 | 1.0 | 120.2 |
| | 1973-74 | 99.4 | 0.2 | 8.0 | 1.0 | 101.4 | 0.8 | 102.2 |

(@) असम में शामिल है।

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------------|---|---------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|
| नागालैण्ड | . | 1968-69 | 52.9 | -- | -- | -- | 52.9 | -- | 52.9 |
| | . | 1969-70 | 49.8 | -- | -- | -- | 49.8 | -- | 49.8 |
| | . | 1970-71 | 54.1 | -- | -- | -- | 54.1 | -- | 54.1 |
| | . | 1971-72 | 33.2 | -- | -- | -- | 33.2 | -- | 33.2 |
| | . | 1972-73 | 34.7 | -- | 6.3 | 11.5 | 52.5 | 1.2 | 53.7 |
| | . | 1973-74 | 36.5 | -- | 6.1 | 11.5 | 54.1 | 1.5 | 55.6 |
| उडीसा | . | 1968-69 | 4698.6 | 17.4 | 67.9 | 245.5 | 5029.4 | 400.0 | 5429.4 |
| | . | 1969-70 | 4316.6 | 18.9 | 76.8 | 221.5 | 4633.8 | 399.1 | 5032.9 |
| | . | 1970-71 | 4341.1 | 18.5 | 71.6 | 206.3 | 4637.5 | 466.6 | 5104.1 |
| | . | 1971-72 | 3619.5 | 38.7 | 79.6 | 225.8 | 3963.6 | 390.2 | 4353.8 |
| | . | 1972-73 | 3983.1 | 85.1 | 76.8 | 226.6 | 4371.6 | 488.8 | 4860.4 |
| | . | 1973-74 | 4439.1 | 82.7 | 81.5 | 221.9 | 4825.2 | 484.5 | 5309.7 |
| पंजाब | . | 1968-69 | 460.0 | 4520.0 | 954.0 | 70.2 | 6004.2 | 247.9 | 6252.1 |
| | . | 1969-70 | 572.9 | 4800.0 | 1051.7 | 80.2 | 6504.8 | 431.9 | 6936.7 |
| | . | 1970-71 | 688.0 | 5145.0 | 1106.8 | 57.4 | 6997.2 | 309.1 | 7306.3 |
| | . | 1971-72 | 920.0 | 5618.0 | 1029.8 | 55.3 | 7623.1 | 305.2 | 7928.3 |
| | . | 1972-73 | 955.0 | 5368.0 | 1017.4 | 59.2 | 7399.6 | 294.0 | 7693.6 |
| | . | 1973-74 | 1163.0 | 5257.0 | 868.3 | 89.2 | 7377.5 | 342.7 | 7720.2 |
| राजस्थान | . | 1968-69 | 57.0 | 1178.1 | 1321.9 | 593.2 | 3150.2 | 856.6 | 4006.8 |
| | . | 1969-70 | 98.9 | 1275.3 | 1739.7 | 531.0 | 3644.9 | 1104.6 | 4749.5 |
| | . | 1970-71 | 134.5 | 1951.2 | 4176.3 | 798.8 | 7060.8 | 1777.3 | 8838.1 |
| | . | 1971-72 | 159.4 | 1888.7 | 2366.9 | 602.1 | 5017.1 | 1317.7 | 6334.8 |
| | . | 1972-73 | 80.0 | 1753.5 | 1833.2 | 496.2 | 4162.9 | 994.9 | 5157.8 |
| | . | 1973-74 | 117.6 | 1789.2 | 2910.6 | 607.3 | 5424.7 | 1291.5 | 6716.2 |
| तमில்நாடு | . | 1968-69 | 3940.0 | 0.4 | 730.5 | 652.3 | 5323.2 | 92.1 | 5415.3 |
| | . | 1969-70 | 4532.2 | 0.4 | 898.9 | 698.0 | 6129.5 | 109.5 | 6239.0 |
| | . | 1970-71 | 5303.4 | 0.5 | 883.3 | 670.4 | 6857.6 | 116.5 | 6974.1 |
| | . | 1971-72 | 5302.0 | 0.7 | 826.1 | 660.6 | 6789.4 | 153.7 | 6943.1 |
| | . | 1972-73 | 5569.1 | 0.4 | 844.1 | 561.5 | 6975.1 | 192.0 | 7167.1 |
| | . | 1973-74 | 5595.0 | 0.4 | 875.6 | 596.8 | 7067.8 | 190.2 | 7258.0 |
| त्रिपुरा | . | 1968-69 | 205.1 | -- | -- | -- | 205.1 | 1.1 | 206.2 |
| | . | 1969-70 | 234.7 | -- | -- | -- | 234.7 | 1.1 | 235.8 |
| | . | 1970-71 | 256.1 | -- | -- | -- | 256.1 | 1.3 | 257.4 |
| | . | 1971-72 | 270.8 | 0.9 | -- | -- | 271.7 | 1.4 | 273.1 |
| | . | 1972-73 | 183.3 | 1.4 | -- | -- | 184.7 | 0.9 | 185.6 |
| | . | 1973-74 | 362.0 | 0.8 | -- | -- | 362.8 | 0.9 | 363.7 |
| उत्तर प्रदेश | . | 1968-69 | 2922.1 | 6086.8 | 2368.6 | 1634.6 | 13012.0 | 3284.2 | 16296.2 |
| | . | 1969-70 | 3532.9 | 6314.3 | 2376.3 | 1979.8 | 14203.3 | 3343.9 | 17547.2 |
| | . | 1970-71 | 3700.9 | 7689.5 | 3164.3 | 1960.8 | 16515.5 | 3078.2 | 19593.7 |
| | . | 1971-72 | 3776.5 | 7550.1 | 1599.7 | 1851.3 | 14777.6 | 2919.9 | 17697.5 |
| | . | 1972-73 | 3273.0 | 7515.2 | 2600.2 | 1842.9 | 15231.3 | 2923.0 | 18154.3 |
| | . | 1973-74 | 3840.4 | 6014.4 | 2391.5 | 1633.8 | 13880.1 | 1849.8 | 15729.9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|----------|
| पश्चिम बंगाल | 1968-69 | 6250.0 | 300.0 | 40.2 | 63.8 | 6654.0 | 508.3 | 7162.3 |
| | 1969-70 | 6350.0 | 400.0 | 45.9 | 64.9 | 6860.8 | 503.0 | 7363.8 |
| | 1970-71 | 6140.1 | 868.1 | 48.5 | 59.3 | 7116.0 | 375.0 | 7491.0 |
| | 1971-72 | 6508.4 | 921.2 | 38.2 | 71.1 | 7538.9 | 317.0 | 7855.9 |
| | 1972-73 | 5715.3 | 688.0 | 38.8 | 45.4 | 6487.5 | 284.8 | 6772.3 |
| | 1973-74 | 5798.9 | 629.9 | 38.8 | 56.9 | 6524.5 | 340.1 | 6864.6 |
| अखिल भारतीय | 1968-69 | 39761.2 | 18651.6 | 19306.5 | 5875.5 | 83594.8 | 10417.8 | 94012.6 |
| | 1969-70 | 40429.7 | 20093.3 | 20722.1 | 6565.5 | 87810.6 | 11690.7 | 99501.3 |
| | 1970-71 | 42225.2 | 23832.5 | 23619.3 | 6927.2 | 96604.2 | 11817.8 | 108422.0 |
| | 1971-72 | 43068.0 | 26409.9 | 18141.5 | 6454.9 | 94074.3 | 11093.4 | 105167.7 |
| | 1972-73 | 39245.3 | 24734.6 | 17285.5 | 5854.2 | 87119.6 | 9906.7 | 97026.3 |
| | 1973-74 | 43741.7 | 22072.5 | 21720.7 | 6322.5 | 93857.4 | 9753.7 | 103611.1 |

टिप्पणी :— 1968-69 से उत्पादन के आंकड़े अनन्तिम हैं और उनमें फेर-बदल हो सकता है।

1. राष्ट्रीय आय तथा उत्पादन

1.7: चुने हुए प्रत्यक्ष कृषि विकास कार्यक्रमों की प्रगति

इन वर्षों के दौरान उपलब्धियां

| कार्यक्रम | इकाई | इन वर्षों के दौरान उपलब्धियां | | | | | | | | | | लक्ष्य |
|--|-------------------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--------|
| | | 1966-67 | 1967-68 | 1968-69 | 1969-70 | 1970-71 | 1971-72 | 1972-73 | 1973-74 | 1974-75 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| अधिक उपज वाली किस्मों से संबंधित कार्यक्रम : | | | | | | | | | | | | |
| धान | | | | | | | | | | | | |
| गेहूं | दस लाख हेक्टेएर | 0.88 | 1.78 | 2.60 | 4.25 | 5.45 | 7.20 | 8.11 | 9.40 | 11.00 | | |
| मक्का | " | 0.54 | 2.94 | 4.80 | 5.00 | 6.54 | 7.86 | 10.00 | 11.30 | 12.20 | | |
| ज्वार | " | 0.21 | 0.29 | 0.40 | 0.42 | 0.47 | 0.49 | 0.61 | 0.65 | 0.75 | | |
| बाजरा | " | 0.19 | 0.60 | 0.70 | 0.55 | 0.80 | 0.69 | 0.87 | 1.10 | 1.35 | | |
| जोड़ (अतिक्रमित उपज वाली किस्मों से सम्बन्धित कार्यक्रम) | 1.88 | 6.03 | 9.20 | 11.36 | 15.29 | 18.01 | 22.09 | 25.45 | 28.70 | | | |
| बड़ी और दरमियानी सिंचाई | \ | | | | | | | | | | | |
| (अतिरिक्त क्षेत्र) | " | -- | -- | 1.57† | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.74 | 19.40@ | 20.20@ | | |
| लघु सिंचाई | | | | | | | | | | | | |
| (अतिरिक्त क्षेत्र) | " | 1.36 | 1.27 | 1.37 | 1.35 | 1.56 | 1.51 | 1.57 | 23.50@ | 24.90@ | | |
| भूमि संरक्षण | | | | | | | | | | | | |
| (अतिरिक्त अंत्र) | " | 1.45 | 1.42 | 1.33 | 1.28 | 1.33 | 1.49 | 2.17 | 1.60 | 0.69 | | |
| रामायनिक खाद की खपत | | | | | | | | | | | | |
| नाइट्रोजनस (एन) | दस लाख मेट्रिक टन | 0.74 | 1.04 | 1.21 | 1.36 | 1.48 | 1.80 | 1.84 | 1.83 | 2.79 | | |
| फास्फेटिक (पी२ और ५) | " | 0.25 | 0.84 | 0.38 | 0.42 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.65 | 0.93 | | |
| पोटाशियम युक्त (के २ओ०) | " | 0.11 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 0.30 | 0.35 | 0.36 | 0.52 | | |
| जोड़ एन०पी०के० | " | 1.10 | 1.55 | 1.76 | 1.99 | 2.26 | 2.66 | 2.77 | 2.84 | 4.24 | | |

@वर्ष के अन्त में कूल स्तर

†1966-69 के तीन वर्षों से सम्बन्धित।

1. राष्ट्रीय आय तथा उत्पादन

1.8 : दालें और अन्य अनाज की निवल उपलब्ध मात्रा

| वर्ष | जन संख्या (दस लाख) | अन्य अनाज | | | | दालें | | प्रति व्यक्ति दैनिक निवल उपलब्धता | | | | | |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|--|---|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------|
| | | निवल निवल (दस लाख) | सरकारी स्टाक में (दस लाख टन) | निवल** उपलब्धता (दस लाख टन) | निवल उपलब्धता (दस लाख टन) | अन्य अनाज (दस लाख टन) | दालें कुल (ग्राम) | अन्य अनाज (दालें कुल | अन्य अनाज (दालें कुल | अन्य अनाज (दालें कुल | अन्य अनाज (दालें कुल | अन्य अनाज (दालें कुल | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1956 | . | 397.3 | 50.43 | 1.39 (—) | 0.60 | 52.42 | 10.23 | 12.72 | 2.48 | 15.20 | 360.5 | 70.4 | 430.9 |
| 1961 | . | 442.4 | 60.89 | 3.49 (—) | 0.17 | 64.55 | 11.14 | 14.10 | 2.43 | 16.53 | 399.7 | 69.0 | 468.7 |
| 1962 | . | 452.2 | 61.85 | 3.64 (—) | 0.36 | 65.85 | 10.24 | 14.07 | 2.19 | 16.26 | 399.0 | 62.0 | 461.0 |
| 1963 | . | 462.0 | 60.19 | 4.55 (—) | 0.02 | 64.76 | 10.08 | 13.54 | 2.11 | 15.65 | 384.0 | 59.8 | 443.8 |
| 1964 | . | 472.1 | 61.79 | 6.26 (—) | 1.24 | 69.29 | 8.81 | 14.14 | 1.80 | 15.94 | 401.0 | 51.0 | 452.0 |
| 1965 | . | 482.5 | 67.33 | 7.45 (+) | 1.06 | 73.72 | 10.85 | 14.77 | 2.17 | 16.94 | 418.6 | 61.6 | 480.2 |
| 1966 | . | 493.2 | 54.60 | 10.34 (+) | 0.14 | 64.80 | 8.68 | 12.70 | 1.70 | 14.40 | 360.0 | 48.2 | 408.2 |
| 1967* | . | 504.2 | 57.65 | 8.66 (—) | 0.26 | 66.57 | 7.30 | 12.76 | 1.40 | 14.16 | 361.7 | 39.7 | 401.4 |
| 1968* | . | 515.4 | 72.58 | 5.69 (+) | 2.04 | 76.23 | 10.57 | 14.25 | 1.98 | 16.23 | 404.1 | 56.0 | 460.1 |
| 1969* | . | 527.0 | 73.14 | 3.85 (+) | 0.46 | 76.53 | 9.09 | 14.04 | 1.67 | 15.71 | 397.9 | 47.3 | 445.2 |
| 1970* | . | 538.9 | 76.83 | 3.58 (+) | 1.12 | 79.29 | 10.20 | 14.22 | 1.83 | 16.05 | 403.1 | 51.9 | 455.0 |
| 1971* | . | 550.8 | 84.53 | 2.03 (+) | 2.57 | 83.99 | 10.32 | 14.74 | 1.81 | 16.55 | 417.8 | 51.3 | 469.1 |
| 1972* | . | 562.5 | 82.31 | 0.49 (—) | 4.69 | 86.53 | 9.70 | 14.82 | 1.66 | 16.48 | 420.2 | 47.1 | 467.3 |
| 1973* | . | 574.2 | 76.23 | 3.59 (—) | 0.44 | 80.27 | 8.67 | 13.51 | 1.46 | 14.97 | 383.4 | 41.4 | 424.5 |
| 1974* | . | 586.1 | 82.13 | 4.78@(—) | 0.47 | 87.38 | 8.53† | 14.41 | 1.41 | 15.82 | 408.5 | 39.9 | 448.4 |

*अनन्तिम

**निवल उपलब्धता = कालम (3+4-5)

† केवल निवल उत्पादन से संबंधित है।

@ सकल आयात

टिप्पणियां : 1. जन संख्या के आंकड़ों का आधार आपोजना आपोग की विशेषज्ञ समिति के नवीनतम आंकड़े हैं।

2. उत्पादन के आंकड़े जुलाई से शुरू और जून में खत्म होने वाले कृषि वर्ष के बारे में हैं। है 1956 के आंकड़े 1955-56 के उत्पादन के सूचक हैं और इसी भक्ति वाद के वर्षों के बारे में है। 1965-66 तक के आंकड़े अनुमानित उत्पादन के आंकड़े हैं जिन्हें 1965-66 के पूर्ण संशोधित अनुमानों को आधार मान कर संशोधित कर दिया गया है। 1966-67 से बाद के आंकड़े अनन्तिम हैं और ये घट बढ़ सकते हैं।

3. सकल उत्पादन का 87.5 प्रतिशत उत्पादन निवल उत्पादन माना गया है, बाकी 12.5 प्रतिशत अंश चारे, बीज की आवश्यकता व नष्ट होने आदि के लिए आंका गया है।

4. व्यापारियों और उत्पादकों के स्टाक की घटती बढ़ती के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए निवल उपलब्धता के अनुमानों को खपत के आंकड़ों के सटीक बराबर नहीं समझना चाहिए।

1. राष्ट्रीय आय तथा उत्पादन

1.9 : अन्न की निवल उपलब्धता, वसूली और सरकारी वितरण

| वर्ष | अनाज का निवल उत्पादन (दस लाख मैट्रिक टनों में) | आयात (दस लाख मैट्रिक टनों में) | अनाज की उपलब्धता(@) (दस लाख मैट्रिक टनों में) | वसूली (दस लाख मैट्रिक टनों में) | सरकारी वितरण (दस लाख मैट्रिक टनों में) | कालम 4 की तुलना में कालम 3 का प्रतिशत | कालम 2 की तुलना में कालम 5 का प्रतिशत | कालम 4 की तुलना में कालम 6 का प्रतिशत | | |
|-------|--|--------------------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 1956 | . | . | 60.67 | 1.44 | 62.65 | 0.04 | 2.08 | 2.3 | 0.1 | 3.3 |
| 1961 | . | . | 72.04 | 3.50 | 75.69 | 0.54 | 3.98 | 4.6 | 0.7 | 5.3 |
| 1962 | . | . | 72.10 | 3.64 | 76.09 | 0.48 | 4.37 | 4.8 | 0.7 | 5.7 |
| 1963 | . | . | 70.29 | 4.56 | 74.84 | 0.75 | 5.18 | 6.1 | 1.1 | 6.9 |
| 1964 | . | . | 70.61 | 6.27 | 78.10 | 1.43 | 8.67 | 8.0 | 2.0 | 11.1 |
| 1965 | . | . | 78.20 | 7.46 | 84.57 | 4.03 | 10.08 | 8.8 | 5.2 | 11.9 |
| 1966 | . | . | 63.30 | 10.36 | 73.48 | 4.01 | 14.09 | 14.1 | 6.3 | 19.2 |
| 1967† | . | . | 64.95 | 8.67 | 73.87 | 4.46 | 13.17 | 11.7 | 6.9 | 17.8 |
| 1968† | . | . | 83.17 | 5.69 | 86.80 | 6.81 | 10.22 | 6.6 | 8.2 | 11.8 |
| 1969† | . | . | 82.26 | 3.87 | 85.62 | 6.38 | 9.39 | 4.5 | 7.8 | 11.0 |
| 1970† | . | . | 87.06 | 3.63 | 89.49 | 6.71 | 8.84 | 4.1 | 7.7 | 9.9 |
| 1971† | . | . | 94.87 | 2.05 | 94.31 | 8.86 | 7.82 | 2.2 | 9.3 | 8.3 |
| 1972† | . | . | 92.02 | 0.45 | 96.21 | 7.67 | 10.48† | 0.5 | 8.3 | 10.9 |
| 1973† | . | . | 84.90 | 3.61 | 88.98 | 8.42 | 11.40 | 4.1 | 9.9 | 12.8 |
| 1974† | . | . | 90.66 | 4.78 | 95.91 | 5.68 | 10.61 | 5.0 | 6.3 | 11.1 |

†अनन्तिम।

@निवल उपलब्धता=निवल उत्पादन+निवल आयात—सरकारी भंडार में अटटी बहती।

†वर्षना देश को किया गया नियंत्रित शामिल नहीं है।

1. राष्ट्रीय आय तथा उत्पादन

1.10 : देनिक उपयोग की कुछ महत्वपूर्ण वस्त्रों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता

| वर्ष | खाद्य तेल@ (किलोग्राम) | बनस्पति (किलोग्राम) | चीनी अक्टूबर (किलोग्राम) | सूती कपड़ा@@ (मीटर) | कृतिश रेशे से बुना कपड़ा@@ (मीटर) | चाय (ग्राम) | काफी* (ग्राम) | विजली (घरेलू उपयोग के लिए) (किलोवाट घण्टे) |
|------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|--|----------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1955-56 | . | . | 2.5 | 0.7 | 5.0 | 14.4 | उपलब्ध नहीं | 257 |
| 1960-61 | . | . | 3.2 | 0.8 | 4.7 | 13.8 | 1.2 | 287 |
| 1961-62 | . | . | 3.2 | 0.7 | 5.8 | 14.8 | 1.2 | 309 |
| 1962-63 | . | . | 3.1 | 0.8 | 5.4 | 14.4 | 1.2 | 294 |
| 1963-64 | . | . | 2.7 | 0.8 | 4.9 | 14.7 | 1.2 | 298 |
| 1964-65 | . | . | 3.6 | 0.8 | 5.1 | 15.2 | 1.6 | 309 |
| 1965-66 | . | . | 2.6 | 0.8 | 5.7 | 14.7 | 1.7 | 337 |
| 1966-67 | . | . | 2.5 | 0.7 | 5.1 | 14.0 | 1.7 | 365 |
| 1967-68 | . | . | 3.2 | 0.8 | 4.3** | 13.6 | 1.7 | 351 |
| 1968-69 | . | . | 2.4 | 0.9 | 5.0 | 14.4 | 1.9 | 353 |
| 1969-70 | . | . | 2.8 | 0.9 | 6.1 | 13.6 | 1.8 | 377 |
| 1970-71 | . | . | 3.3 | 1.0 | 7.3 | 13.6 | 1.7 | 387 |
| 1971-72 | . | . | 2.9 | 1.1 | 6.7 | 12.4 | 1.7 | 392 |
| 1972-73 | . | . | 2.1 | 1.0 | 6.1 | 13.2 | 1.6 | 404 |
| 1973-74(अ) | | | 3.0 | 0.8 | 6.0 | 12.1 | 1.5 | 413 |
| | | | | | | | 67† | उपलब्ध नहीं |

अ—अनन्तिम।

@इसमें मूँगफली, तोरिया और सरसों का तेल, नारियल का तेल और तिल का तेल शामिल है किन्तु बनस्पति बनाने के काम आने वाला तेल शामिल नहीं है। 1973-74 के नियंत्रित तेल के अंकड़े उपलब्ध न होने के कारण, 1972-73 के अंकड़ों को ही ले लिया गया है।

@@कैलेण्डर वर्षों से सम्बद्ध 1955 के अंकड़े 1955-56 के सामने दिये गये हैं और आगे के वर्षों के अंकड़े भी इसी प्रकार दिये गये हैं।

*अंकड़े काफी के मौसम से सम्बद्ध हैं।

**1967-68 से चीनी का मौसम अक्टूबर-सितम्बर है।

£ 1956 से सम्बद्ध।

†जैसा 30 नवम्बर 1974 को था।

1. राष्ट्रीय आय तथा उत्पादन

1.11 : उर्वरकों का उत्पादन, आयात और कुल उपलब्धता

(हजार मेट्रिक टन पदार्थों के स्पष्ट में)

| वर्ष | नाइट्रोजनी उर्वरक (एन) | | | फास्फोरसी उर्वरक (P_2O_5) | | | पोटाशी उर्वरक* कै ₂ ओ |
|-----------|------------------------|------|--------------|-------------------------------|------|--------------|-------------------------------------|
| | उत्पादन | आयात | कुल उपलब्धता | उत्पादन | आयात | कुल उपलब्धता | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1955-56 . | 80 | 54 | 134 | 12 | — | 12 | 10 |
| 1956-57 . | 79 | 56 | 135 | 15 | — | 15 | 15 |
| 1957-58 . | 78 | 111 | 189 | 26 | — | 26 | 11 |
| 1958-59 . | 81 | 99 | 180 | 30 | 2 | 32 | 22 |
| 1959-60 . | 81 | 164 | 245 | 49 | 9 | 58 | 34 |
| 1960-61 . | 98 | 119 | 217 | 52 | — | 52 | 23 |
| 1961-62 . | 145 | 142 | 287 | 66 | — | 66 | 32 |
| 1962-63 . | 178 | 252 | 430 | 80 | 10 | 90 | 40 |
| 1963-64 . | 222 | 226 | 448 | 107 | 12 | 119 | 64 |
| 1964-65 . | 240 | 233 | 473 | 131 | 12 | 143 | 57 |
| 1965-66 . | 233 | 326 | 559 | 111 | 14 | 125 | 85 |
| 1966-67 . | 308 | 632 | 940 | 145 | 148 | 293 | 118 |
| 1967-68 . | 367 | 867 | 1234 | 194 | 349 | 539 | 270 |
| 1968-69 . | 543 | 842 | 1385 | 210 | 138 | 348 | 213 |
| 1969-70 . | 716 | 667 | 1383 | 222 | 94 | 316 | 120 |
| 1970-71 . | 830 | 477 | 1307 | 229 | 32 | 261 | 120 |
| 1971-72 . | 952 | 481 | 1433 | 278 | 248 | 526 | 268 |
| 1972-73 . | 1060 | 665 | 1725 | 326 | 204 | 530 | 325 |
| 1973-74 . | 1060 | 659 | 1719 | 323 | 215 | 538 | 370 |

*इनका देश में उत्पादन नहीं होता।

@ 1964-65 तक कै₂ओ के आयात के आंकड़े जूलाई-जून के आधार पर हैं और उसके बाद के आंकड़े वित्तीय वर्ष के आधार पर।

1. राष्ट्रीय आय तथा उत्पादन

1.12 औद्योगिक उत्पादन के सूचक अंकों में प्रतिशत परिवर्तन (आधार 1960-100)

| भार | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972* | 1973* | जन०जून 74* | |
|-------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--------|------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| I खनन और पत्थर की खुदाई | 9.72 | + 5.4 | + 9.3 | + 6.9 | - 3.1 | + 10.3 | + 3.3 | - 0.2 | + 6.2 | + 2.2 | + 1.1 | + 3.0 | + 7.0 | - 0.4 | + 5.0 |
| कोयला | 6.71 | + 7.0 | + 9.3 | + 10.3 | - 4.7 | + 8.9 | + 2.2 | + 0.7 | + 5.8 | + 5.5 | - 3.2 | - 1.3 | + 2.0 | + 3.3 | + 3.1 |
| कच्चा लेहा | 0.59 | + 13.0 | + 5.3 | + 4.2 | + 4.0 | + 11.6 | + 11.8 | - 3.1 | + 7.7 | + 6.0 | + 6.2 | + 9.5 | + 3.4 | - 1.4 | - 3.1 |
| II वस्तु निर्माण | 84.91 | + 9.2 | + 9.5 | + 7.9 | + 9.4 | + 9.1 | - 1.5 | - 1.4 | + 6.1 | + 7.5 | + 4.9 | कोई परिवर्तन नहीं | + 7.0 | + 1.0 | + 0.6 |
| (क) उपभोक्ता वस्तु | 32.61 | + 7.4 | + 1.6 | + 1.6 | + 6.9 | + 4.3 | + 5.5 | - 4.0 | + 9.0 | + 8.6 | + 6.5 | + 0.3 | + 7.1 | - 4.1 | + 2.0 |
| खाद्य पदार्थ | 12.09 | + 8.6 | + 1.5 | - 1.5 | + 8.9 | + 3.3 | + 6.8 | - 12.3 | + 4.1 | + 18.6 | + 13.2 | - 1.5 | + 3.2 | - 4.9 | + 0.5 |
| चाप्र** | 5.12 | + 11.6 | - 3.0 | + 0.1 | + 8.9 | - 3.4 | - 2.6 | + 2.3 | + 4.7 | - 2.2 | + 6.3 | + 2.2 | + 5.3 | + 3.9 | + 9.3 |
| वनस्पति | 1.09 | + 0.4 | + 9.0 | + 3.8 | - 6.5 | + 19.7 | - 16.4 | + 9.6 | + 20.6 | + 1.6 | + 8.2 | + 13.2 | + 2.1 | - 22.6 | - 10.3 |
| चीनी | 3.58 | + 10.0 | - 1.8 | - 17.4 | + 13.8 | + 22.9 | + 4.1 | - 35.3 | + 0.6 | + 76.4 | + 10.9 | - 14.3 | - 6.5 | + 7.5 | + 10.8 |
| सूती कपड़ा | 9.39 | + 0.2 | - 2.1 | - 2.3 | + 5.3 | - 0.9 | - 7.1 | - 3.0 | + 6.8 | - 4.9 | + 1.3 | - 3.5 | + 4.6 | - 0.2 | - 2.5 |
| दिवासलाई | 0.50 | - 2.9 | - 6.0 | - 5.9 | + 1.4 | + 6.1 | + 2.6 | - 5.7 | + 18.2 | + 0.4 | - 22.5 | - 2.4 | - 8.9 | + 2.1 | + 11.2 |
| रेडियो सिसीवर | 0.61 | + 21.6 | + 5.2 | + 21.8 | + 13.0 | + 23.4 | + 22.2 | + 19.5 | + 60.7 | + 26.8 | + 2.0 | + 10.1 | - 0.7 | - 14.4 | + 22.6 |
| मोटर साइकिल और स्कूटर | 0.11 | + 44.8 | - 5.1 | + 7.4 | + 36.5 | + 23.8 | + 8.8 | + 18.5 | + 21.2 | + 27.8 | + 21.1 | + 5.1 | + 4.4 | + 13.7 | - 0.2 |
| बाइसिकिल | 0.51 | - 0.1 | + 6.4 | + 4.4 | + 18.4 | + 11.6 | + 6.0 | + 3.8 | + 15.3 | - 1.0 | + 8.0 | - 9.5 | + 18.7 | + 13.1 | + 3.3 |
| (ख) अन्तर्वर्ती वस्तुएं | 35.94 | + 8.3 | + 11.0 | + 12.3 | + 6.3 | + 5.6 | - 0.1 | + 0.5 | + 6.6 | + 6.0 | + 2.3 | + 3.1 | + 6.7 | + 1.0 | + 0.7 |
| सूती धागा | 11.79 | + 8.4 | + 0.8 | + 3.6 | + 8.0 | - 1.1 | - 3.0 | - 0.5 | + 6.3 | - 0.7 | + 3.1 | - 7.3 | + 8.5 | + 2.2 | + 5.5 |
| जूट से बनी वस्तुएं | 3.97 | - 10.9 | + 24.4 | + 7.2 | - 3.0 | + 4.4 | - 16.5 | + 3.7 | - 7.4 | - 19.3 | + 9.4 | + 11.3 | + 2.2 | - 1.8 | - 19.5 |
| टायर और ट्यूब | 1.48 | + 14.2 | + 9.0 | + 14.1 | + 9.3 | + 11.8 | + 0.3 | + 6.5 | + 22.7 | + 12.0 | + 1.4 | + 14.2 | + 6.0 | - 0.5 | + 15.9 |
| बुनियादी औद्योगिक रसायन | 2.20 | + 13.6 | + 13.5 | + 9.0 | + 18.8 | + 8.4 | + 6.7 | + 8.5 | + 6.8 | + 11.3 | + 3.0 | + 5.9 | + 7.9 | + 10.5 | - 1.0 |
| उर्वरक | 0.46 | + 38.9 | + 20.8 | + 33.4 | + 7.9 | + 4.5 | + 10.1 | + 26.6 | + 28.4 | + 28.1 | + 11.3 | + 30.8 | + 16.2 | + 4.6 | + 3.4 |
| पेट्रोलियम शोधनशाला के | | | | | | | | | | | | | | | |
| उत्पाद | 1.34 | + 6.0 | + 8.1 | + 16.1 | + 10.2 | + 8.2 | + 23.4 | + 19.5 | + 10.9 | + 8.8 | + 5.8 | + 6.0 | + 0.1 | + 4.9 | + 14.4 |
| विजली के केबल और तार | 0.68 | + 4.2 | + 26.0 | + 15.1 | + 13.7 | + 15.4 | - 1.2 | + 4.4 | - 6.9 | + 5.5 | + 10.0 | + 16.1 | + 13.1 | - 0.6 | - 24.6 |
| सीमेन्ट | 1.17 | + 5.1 | + 4.2 | + 8.9 | + 3.5 | + 9.1 | + 4.6 | + 2.2 | + 5.6 | + 14.1 | + 2.4 | + 7.0 | + 5.5 | - 4.7 | - 6.1 |
| समझारीय (वेसिक) धातुएं | 7.38 | + 18.7 | + 20.5 | + 20.0 | + 1.6 | + 3.7 | + 5.9 | - 4.0 | + 5.9 | + 9.8 | - 1.7 | - 0.7 | + 8.0 | - 4.0 | - 8.9 |
| कागज और कागज से बनी | | | | | | | | | | | | | | | |
| वस्तुएं | 1.61 | + 5.8 | + 3.4 | + 19.0 | + 5.5 | + 7.1 | + 8.7 | + 4.4 | + 10.7 | + 9.0 | + 7.6 | + 4.0 | + 0.2 | + 7.2 | + 4.8 |
| (ग) पूर्जीगत वस्तुएं | 10.98 | + 17.3 | + 28.4 | + 10.3 | + 20.8 | + 18.4 | - 13.5 | - 5.3 | - 1.0 | + 3.6 | + 6.7 | - 4.5 | + 5.5 | + 9.0 | - 5.2 |
| डीजल इंजन (गाड़ियों के) | 0.10 | - 8.9 | - 19.5 | + 13.6 | - 8.9 | + 0.7 | - 29.5 | - 58.3 | - 19.1 | + 9.9 | + 32.0 | - 34.8 | - 47.7 | + 27.8 | + 5.2 |
| डीजल इंजन (स्थिर) | 0.14 | + 9.6 | - 3.6 | + 20.9 | + 10.3 | + 19.2 | + 20.7 | + 12.3 | - 1.6 | + 13.3 | - 38.7 | - 9.9 | + 4.7 | + 51.0 | - 9.9 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| आौद्योगिक मशीनें | . | 0.93 | + 11.0 | + 15.0 | + 15.0 | + 7.2 | - 2.3 | - 4.8 | - 8.6 | + 18.1 | + 11.9 | + 6.8 | - 54.3 | + 38.2 | + 50.0 | + 25.0 |
| विजली के ट्रान्सफार्मर | . | 0.38 | + 40.1 | + 28.5 | + 13.9 | + 26.0 | + 30.3 | + 11.0 | + 9.3 | - 7.7 | + 4.3 | + 50.9 | + 15.5 | + 9.1 | + 23.2 | - 19.0 |
| विजली के मोटर | . | 0.27 | + 19.3 | + 19.0 | + 20.4 | + 10.6 | + 29.3 | + 17.1 | + 3.4 | - 7.3 | + 8.9 | + 37.5 | - 19.0 | + 10.6 | + 16.6 | - 0.7 |
| रेल सड़क उपकरण | . | 3.50 | + 26.3 | + 45.7 | + 10.1 | + 20.1 | + 5.8 | + 29.8 | - 21.5 | - 11.8 | - 6.6 | - 19.7 | - 26.4 | + 13.6 | + 11.5 | - 3.4 |
| मोटर गाड़ियाँ | . | 2.51 | + 4.2 | + 4.8 | - 9.7 | + 27.4 | + 8.3 | + 0.1 | - 3.2 | + 13.4 | - 2.9 | + 8.7 | + 6.7 | - 1.4 | + 6.9 | - 2.4 |
| III विजली उत्पादित | . | 5.37 | + 16.3 | + 12.4 | + 15.5 | + 15.0 | + 10.0 | + 8.9 | + 11.0 | + 15.6 | + 12.9 | + 11.1 | + 7.2 | + 9.0 | - 1.8 | + 10.1 |
| IV सब उद्योग | . | 100.00 | + 9.2 | + 9.7 | + 8.3 | + 8.6 | + 9.2 | - 0.4 | - 0.4 | + 6.8 | + 7.5 | + 5.1 | + 1.0 | + 7.1 | + 0.7 | + 1.7 |

*अनन्तिम

**1964 तक के सूचक अंक चाय के कुल उत्पादन के आंकड़ों पर आधारित हैं जो दक्षिण भारत के युनाइटेड प्लांटस एसोसियेशन तथा इंडियन टी एसोसियेशन ने दिये हैं और शेष सूचक अंक चाय बोर्ड द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों पर आधारित हैं।

रेल के माल डिव्हों के सम्बन्ध में 1964 तक के सूचक अंक केवल गैर-सरकारी क्षेत्र के उत्पादन के आंकड़ों पर आधारित हैं। उसके बाद सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के उत्पादन के आंकड़े शामिल हैं।

टिप्पणी:—उपभोक्ता वस्तुओं, अन्तर्वर्ती वस्तुओं और पूँजीगत वस्तुओं की प्रत्येक श्रेणी के सामने दिखाया गया भार उस श्रेणी के कुल भार के लगभग 90 प्रतिशत के बराबर है। उक्त तीनों श्रेणियों के अन्तर्गत बनाई जाने वाली वस्तुओं का कुल भार, निर्मित वस्तुओं के समूह के कुल भार के 90 प्रतिशत से अधिक है।

1. राष्ट्रीय आय तथा उत्पादन

1.13 : चुने हए उद्योगों का उत्पादन

| विवरण | इकाई | | | | | | | | | | | | | 1973-74* | | 1974-75* | |
|--|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|----------|------|----------|-------|
| | | 1960- | 1965- | 1966- | 1967- | 1968- | 1969- | 1970- | 1971- | 1972- | 1973- | पहली | दूसरी | तीसरी | चौथी | पहली | दूसरी |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | *16 | 17 | 18 |
| I खनन | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. कोयला (विनाइट सहित) | दस लाख मेट्रिक टन | 55.7 | 70.3 | 70.9 | 72.0 | 75.4 | 80.0 | 74.3 | 74.0 | 79.3 | 81.2 | 20.2 | 19.7 | 19.6 | 21.7 | 20.8 | 21.3 |
| 2. कच्चा लोहा@. | दस लाख मेट्रिक टन | 11.0 | 18.1 | 19.3 | 19.1 | 21.2 | 21.3 | 22.5 | 23.2 | 24.0 | 22.8 | 6.1 | 5.1 | 5.5 | 6.1 | 4.9 | 5.2 |
| II धातु उद्योग | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. दाता लोहा . | दस लाख मेट्रिक टन | 4.31 | 7.09 | 7.00 | 6.89 | 7.29 | 7.39 | 6.99 | 6.80 | 7.27 | 7.00 | 1.77 | 1.78 | 1.71 | 1.74 | 1.61 | 1.84 |
| 4. इसात के डले@. | दस लाख मेट्रिक टन | 3.42 | 6.53 | 6.60 | 6.33 | 6.51 | 6.43 | 6.14 | 6.41 | 6.28 | 5.76 | 1.46 | 1.49 | 1.43 | 1.38 | 1.32 | 1.58 |
| 5. तैयार इसात . | दस लाख मेट्रिक टन | 2.39 | 4.51 | 4.49 | 4.05 | 4.70 | 4.80 | 4.48 | 4.79 | 5.02 | 4.53 | 1.06 | 1.13 | 1.13 | 1.21 | 1.01 | 1.26 |
| 6. इसात की ढाई ट्रॅक्टर बत्तुएं | हजार मेट्रिक टन | 34 | 57 | 53 | 51 | 49 | 46 | 62 | 54 | 70 | 55 | 12 | 15 | 14 | 14 | 14 | 16 |
| 7. एल्युमिनियम (प्राकृतिक धातु) . | हजार मेट्रिक टन | 18.3 | 62.1 | 72.9 | 100.4 | 125.3 | 135.1 | 166.8 | 181.5 | 173.7 | 147.9 | 34.5 | 35.8 | 41.7 | 35.9 | 26.2 | 27.8 |
| 8. तामा (प्राकृतिक धातु) | हजार मेट्रिक टन | 8.5 | 9.4 | 9.1 | 9.3 | 9.5 | 9.8 | 9.3 | 8.3 | 12.1 | 12.1 | 2.3 | 2.3 | 3.7 | 3.9 | 2.2 | 2.2 |
| III. योग्यिक इंस्ट्रीशन्सी उद्योग | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. मशीनी औजार . | दस लाख रुपये | 70 | 294 | 354 | 285 | 254 | 329 | 430 | 550 | 626 | 692 | 151 | 161 | 187 | 192 | 211 | 222 |
| 10. चीनी गिरों की मशीनें . | दस लाख रुपये | 44 | 77 | 94 | 85 | 115 | 139 | 139 | 177 | 182 | 211 | 54 | 72 | 42 | 53 | 61 | 73 |
| 11. सूखी कलड़ा बनाने की मशीनें | दस लाख रुपये | 104 | 216 | 169 | 158 | 143 | 196 | 303 | 338 | 309 | 456 | 89 | 101 | 126 | 138 | 153 | 159 |
| 12. सीमेंट बनाने की मशीनें . | दस लाख रुपये | 6 | 49 | 64 | 79 | 74 | 101 | 42 | 22 | 41 | 70 | 12 | 19 | 17 | 22 | 12 | 33 |
| 13. रेल के डिव्हें@® . | हजार की संख्या में | 11.9 | 33.5 | 21.2 | 17.6 | 16.5 | 14.9 | 11.1 | 8.5 | 10.8 | 12.2 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.2 | 2.5 | 2.7 |
| 14. मोटर गाड़ियां (कुल) | हजार की संख्या में | 55.0 | 70.7 | 75.1 | 69.5 | 79.5 | 79.8 | 87.9 | 91.3 | 89.4 | 99.4 | 24.9 | 22.4 | 25.4 | 26.7 | 21.4 | 21.1 |
| (i) वाणिज्यिक गाड़ियां@ | हजार की संख्या में | 28.4 | 35.3 | 35.5 | 30.8 | 35.9 | 35.5 | 41.2 | 30.5 | 38.1 | 42.5 | 9.9 | 10.0 | 11.1 | 11.5 | 9.5 | 9.8 |
| (ii) कारें, जीपें और लैण्ड | रेल | 26.6 | 35.4 | 39.6 | 38.7 | 43.6 | 44.3 | 46.7 | 51.8 | 51.3 | 56.9 | 15.0 | 12.4 | 14.3 | 15.2 | 11.9 | 11.3 |
| 15. मोटर साइकिल और स्कूटर | हजार की संख्या में | 19.4 | 40.7 | 47.8 | 56.9 | 70.8 | 91.0 | 97.0 | 112.7 | 116.7 | 124.0 | 30.2 | 33.5 | 30.4 | 29.9 | 34.1 | 35.1 |
| 16. शक्ति चालित दम्प | हजार की संख्या में | 109 | 244 | 311 | 288 | 317 | 359 | 259 | 208 | 278 | 331 | 84 | 87 | 91 | 69 | 49 | 60 |
| 17. शीज़र इंजन (स्प्रिंग) | हजार की संख्या में | 44.7 | 93.1 | 112.2 | 114.0 | 119.5 | 134.2 | 65.7 | 69.9 | 92.8 | 137.2 | 32.5 | 35.1 | 36.2 | 33.4 | 22.7 | 22.9 |
| 18. शीज़र इंजन (मोटरगाड़ियों के) | हजार की संख्या में | 10.8 | 8.1 | 6.7 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 1.5 | 2.2 | 2.6 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.9 |
| 19. वाइसिकिल | हजार की संख्या में | 1071 | 1574 | 1719 | 1684 | 1954 | 1976 | 2042 | 1766 | 2400 | 2581 | 632 | 612 | 686 | 651 | 614 | 644 |
| 20. सिलाई की मशीनें | हजार की संख्या में | 303 | 430 | 400 | 370 | 420 | 340 | 235 | 312 | 334 | 258 | 28 | 36 | 99 | 95 | 77 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

IV विजली इंजीनियरी उद्योग

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 21. विजली के ट्रान्सफार्मर | हजार किलोवाट एम्पियर | 1413 | 4458 | 4949 | 5329 | 4729 | 5663 | 8086 | 8871 | 9712 | 11631 | 3292 | 3031 | 2802 | 2506 | 2282 | 1987 |
| 22. विजली की मोटरें | हजार अश्व शक्ति | 728 | 1753 | 2095 | 2028 | 1865 | 2283 | 2721 | 2348 | 2768 | 2908 | 701 | 728 | 691 | 788 | 765 | 753 |
| 23. विजली के पंखे | हजार की संख्या में | 1059 | 1358 | 1364 | 1376 | 1480 | 1551 | 1716 | 2067 | 2467 | 2230 | 499 | 535 | 579 | 617 | 624 | 587 |
| 24. विजली की वस्तियां | दस लाख की संख्या में | 43.5 | 72.1 | 83.3 | 73.9 | 97.8 | 98.8 | 119.3 | 120.6 | 143.6 | 133.2 | 37.6 | 30.8 | 33.2 | 31.6 | 32.7 | 39.6 |
| 25. रेहिंग सिसीवर | हजार की संख्या में | 282 | 606 | 761 | 929 | 1485 | 1746 | 1794 | 2004 | 1826 | 1776 | 419 | 392 | 477 | 498 | 513 | 523 |
| 26. विजली के केबल | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | नियम के तार | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (कल्डकटर) | हजार मेट्रिक टन | 23.6 | 40.6 | 52.9 | 72.6 | 56.1 | 61.2 | 64.2 | 79.7 | 77.0 | 47.6 | 13.5 | 14.1 | 11.5 | 8.5 | 4.3 | 7.2 |
| (ii) ताम्बे के खुले तार | हजार मेट्रिक टन | 10.1 | 3.1 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |

V रासायनिक और सम्बद्ध उद्योग

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 27. नाइट्रोजनी उर्वरक (एन०) | हजार मेट्रिक टन | 98 | 233 | 308 | 367 | 543 | 716 | 830 | 952 | 1059 | 1060 | 200 | 291 | 275 | 294 | 274 | 236 |
| 28. फास्टेटी उर्वरक (पी२ और५) | हजार मेट्रिक टन | 52 | 111 | 145 | 191 | 210 | 222 | 229 | 278 | 326 | 323 | 84 | 82 | 82 | 75 | 80 | 77 |
| 29. गोधक का तेजाव | हजार मेट्रिक टन | 368 | 662 | 702 | 853 | 1034 | 1197 | 1053 | 975 | 1226 | 1326 | 320 | 339 | 345 | 322 | 294 | 356 |
| 30. सोडा ऐश | हजार मेट्रिक टन | 152 | 331 | 348 | 371 | 408 | 427 | 449 | 489 | 483 | 488 | 110 | 114 | 133 | 131 | 111 | 127 |
| 31. कारिंटक सोडा | हजार मेट्रिक टन | 101 | 218 | 233 | 278 | 314 | 354 | 371 | 385 | 391 | 424 | 95 | 110 | 112 | 107 | 95 | 105 |
| 32. कालज थ्रीर गता | हजार मेट्रिक टन | 350 | 558 | 580 | 660 | 658 | 723 | 755 | 803 | 733 | 722 | 170 | 180 | 185 | 187 | 189 | 206 |
| 33. ट्रक्स के टायर और ट्यूब | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) मोटरगाड़ियोंके टायर | दस लाख की संख्या में | 1.44 | 2.31 | 2.43 | 2.47 | 3.41 | 3.62 | 3.79 | 4.33 | 4.30 | 4.59 | 1.03 | 1.21 | 1.16 | 1.19 | 1.16 | 1.20 |
| (2) मोटरगाड़ियोंके ट्यूब | दस लाख की संख्या में | 1.35 | 2.27 | 2.40 | 2.77 | 3.04 | 2.90 | 3.45 | 4.24 | 4.29 | 4.28 | 0.96 | 1.18 | 1.06 | 1.08 | 0.98 | 1.09 |
| (3) वाइनिकिलों के टायर | दस लाख की संख्या में | 11.15 | 18.46 | 20.34 | 22.79 | 24.58 | 21.32 | 19.20 | 22.36 | 20.86 | 23.08 | 4.79 | 5.70 | 5.76 | 6.83 | 6.11 | 6.28 |
| (4) वाइनिकिलों के ट्यूब | दस लाख की संख्या में | 13.27 | 18.62 | 20.75 | 18.63 | 17.73 | 16.79 | 13.81 | 14.35 | 13.81 | 15.50 | 2.84 | 3.85 | 3.96 | 4.85 | 4.53 | 4.6 |
| 34. सीमेट | हजार मेट्रिक टन | 8.0 | 10.8 | 11.1 | 11.5 | 12.2 | 13.8 | 14.4 | 15.0 | 15.5 | 14.7 | 3.3 | 3.9 | 4.1 | 3.4 | 3.2 | 3.6 |
| 35. उच्चतापस्त वस्तुएं | हजार मेट्रिक टन | 567 | 695 | 730 | 749 | 630 | 635 | 623 | 808 | 773 | 697 | 179 | 184 | 177 | 157 | 173 | 206 |
| 36. परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद | दस लाख मेट्रिक टन | 5.8 | 9.4 | 11.9 | 13.8 | 15.4 | 16.6 | 17.1 | 18.6 | 17.9 | 19.7 | 4.5 | 5.0 | 5.3 | 4.9 | 5.3 | 4.4 |

VI वस्त्र उद्योग

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|-------------|
| 37. जूट वे वनी वस्तुएं | हजार मेट्रिक टन | 1097 | 1302 | 1117 | 1150 | 998 | 944 | 958 | 1129 | 1074 | 949 | 252 | 255 | 269 | 173 | 240 | 263 |
| 38. सूती धागा | दस लाख किलोग्राम | 801 | 907 | 902 | 926 | 972 | 962 | 929 | 902 | 972 | 1000 | 229 | 269 | 270 | 232 | 257 | 268 |
| 39. सूती कागड़ा (कुन) | दस लाख मीटर | 6738 | 7440 | 7303 | 7511 | 7902 | 7753 | 7596 | 7547 | 7879 | 7946 | 1748 | 2184 | 2020 | 1994 | 2045 | 2165 |
| (1) मिल क्षेत्र | दस लाख मीटर | 4649 | 4401 | 4202 | 4258 | 4297 | 4192 | 4055 | 4039 | 4210 | 4083 | 1020 | 1079 | 1055 | 929 | 1104 | 1178 |
| (2) विकेन्ड्रीकृत क्षेत्र | दस लाख मीटर | 2089 | 3039 | 3101 | 3253 | 3605 | 3561 | 3541 | 3503 | 3663 | 3863 | 728 | 1105 | 965 | 1065 | 941 | 987 |
| 40. रेयन का धागा | हजार मेट्रिक टन | 43.8 | 75.6 | 80.6 | 92.2 | 99.2 | 98.8 | 98.1 | 102.3 | 113.1 | 101.3 | 26.3 | 24.7 | 21.8 | 29.0 | 29.1 | 27.0 |
| 41. नकली रेयन का कपड़ा | दस लाख मीटर | 544+ | 878 | 862 | 917 | 1011 | 863 | 947 | 968 | 918 | 846 | 223 | 231 | 201 | 191 | 211 | उपलब्ध नहीं |

VII. खाद्य उद्योग

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 42. चीनी ** | हजार मेट्रिक टन | 3029 | 3510 | 2147 | 2249 | 3558 | 4261 | 3740 | 3110 | 3875 | 3967 | 473 | 90 | 982 | 2216 | 679 | 89 | |
| 43. चाय . | दस लाख किलोग्राम | 322 | 376 | 369 | 387 | 398 | 401 | 421 | 430 | 446 | 467 | 127 | 194 | 128 | 18 | 142 | 195 | |
| 44. काफी . | हजार मेट्रिक टन | 54.1 | 62.1 | 71.0 | 72.6 | 66.6 | 64.6 | 72.7 | 95.6 | 71.8 | 87.0 | 29.5 | 16.4 | 11.8 | 29.3 | 31.0 | 14.2 | |
| 45. बनास्पती . | हजार मेट्रिक टन | 340 | 401 | 366 | 423 | 466 | 477 | 558 | 594 | 580 | 449 | 101 | 103 | 125 | 120 | 93 | 58 | |
| VIII. विजली (उत्पादित)*** | | अरब कि० वा० घं० | 16.9 | 33.0 | 36.4 | 41.2 | 47.4 | 52.0 | 55.8 | 60.7 | 63.6 | 64.6 | 14.9 | 15.9 | 16.8 | 17.0 | 16.4 | 17.4 |

*अनन्तिम

@इसमें गोआ में होने वाला उत्पादन शामिल नहीं है; यह 1973-74 के दौरान 118 लाख टन था।

@@इस उत्पादन में रेल कर्मशालाओं का उत्पादन शामिल है।

†इसमें कताई, बुनाई और संसाधन मशीनें शामिल हैं।

‡†इसमें वस्ते, टक तथा 3 और 4 पहियों वाले ट्रेम्पो शामिल हैं।

†††इसमें विस्कोस धागा, एसीटेट धागा और स्टेपल रेशे शामिल हैं।

+इसका सम्बन्ध कैलेण्डर वर्ष से है।

**वार्षिक आंकड़े चीनी उत्पादन के मौसम के हैं जो 1967-68 के मौसम से अक्टूबर से नवम्बर तक है। इससे पूर्व यह नवम्बर से अक्टूबर तक था।

***इसका सम्बन्ध केवल सरकारी उपयोग से है।

2. बजट संबंधी लेन-देन
2.1 : केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और संघ क्षेत्रों के बजट संबंधी लेन देन
 (करोड़ रुपयों में)

| | 1 | 2 | 1971-72 | 1972-73 | 1973-74 | 1974-75 |
|------|--|---------|------------------|--------------|---------|---------|
| | | | (संशोधित अनुमान) | (बजट अनुमान) | | |
| I. | कुल परिव्यय | 10068 | 11256 | 12398 | 14196 | |
| क. | विकास (क) | 5710(छ) | 6695(छ) | 6825 | 8579 | |
| ख. | विकास से भिन्न | 4358 | 4561 | 5573 | 5617 | |
| 1. | रक्षा (निवल) | 1525 | 1655 | 1753 | 1915 | |
| 2. | सरकारी क्रहण पर व्याज | 832 | 867 | 1079 | 1170 | |
| 3. | कर-संशोधन व्यय | 205 | 223 | 269 | 291 | |
| 4. | पुलिस | 389 | 424 | 469 | 520 | |
| 5. | अन्य (ग) | 1407(छ) | 1392(छ) | 2003(ब) | 1721 | |
| II. | चालू राजस्व | 7009 | 8075 | 8913 | 10607 | |
| क. | कर राजस्व | 5575 | 6441 | 7261 | 8013 | |
| 1. | आय कर और निगम कर | 1009 | 1188 | 1300 | 1370 | |
| 2. | सीमा शुल्क | 696 | 857 | 974 | 934 | |
| 3. | केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क | 2061 | 2324 | 2634 | 3044 | |
| 4. | बिक्री-कर | 860 | 989 | 1135 | 1303 | |
| 5. | अन्य | 949 | 1083 | 1218 | 1362 | |
| ख. | कर-भिन्न राजस्व (छ) | 1434(इ) | 1634(इ) | 1652(इ) | 2594(च) | |
| | (जिसमें आयोजना के लिए सरकारी उपकरणों का अंशदान/कुल अधिष्ठेष) | (303) | (296) | (179) | (1007) | |
| III. | अन्तर (1-2) | 3059 | 3181 | 3485 | 3589 | |
| | जो नीचे लिखे अनुसार पूरा किया गया | . | . | . | . | |
| IV. | पूँजीगत प्राप्तियां (निवल) (क+ख+ग) | 2321 | 2329 | 2695 | 3448 | |
| क. | आन्तरिक (निवल) | 1810 | 2029 | 2186 | 2561 | |
| 1. | बाजार क्रहण (निवल) (छ) | 488 | 737 | 772 | 788 | |
| 2. | अल्प बचतें, इनामी बांड, प्रीमियम इनामी बांड तथा स्वर्ण बांड (निवल) | 223 | 372 | 350 | 360 | |
| 3. | राज्य भविष्य निकियां तथा अनियार्थी जमा/आयकर वापिसी जमा (निवल) | 178 | 180 | 215 | 206 | |
| 4. | विविध पूँजीगत प्राप्तियां | 921(ज) | 740(ज) | 849 | 1207 | |
| ख. | विदेशी (निवल) | 378 | 286 | 509 | 887 | |
| 1. | क्रहण (निवल) (पी० एल० 480 को छोड़कर) | 249 | 283 | 470 | 552 | |
| | (1) सकल क्रहण | 437 | 494 | 712 | 849 | |
| | (2) घटाइये वापसी आदायगियां | 188 | 211 | 242 | 297 | |
| 2. | अनुदान (पी० एल० 480 को छोड़कर) | 44 | 9 | 16 | 26 | |
| 3. | पी० एल० 480 सहायता | 85 | (-) 6 | (-) 2382 | 12 | |
| | (i) पी०एल० 480 क्रहण (निवल) | 98 | 10 | (-) 1764 | — | |
| | (क) डालर क्रहण | 103 | 5 | — | — | |
| | (ख) स्पष्टा क्रहण | (-) 5 | 5 | (-) 1764 | — | |
| | (ii) संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार की प्रतिरूप निधियों की जमा राशियों का निवेश (निवल) | (-) 21 | (-) 18 | (-) 624 | — | |
| | (iii) पी० एल० 480 अनुदान | 8 | 2 | 6 | 12 | |
| 4. | भारत-संयुक्त राज्य करार के अन्तर्गत लेखे | — | — | 741 | (-) 43 | |
| 5. | विविध विदेशी पूँजीगत प्राप्तियां | — | — | — | 340 | |
| 6. | पी० एल० 480 और अन्य निधियों के संबंध में किये गये करार के अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका से अनुदान | — | — | 1664 | — | |
| ग. | बंगला देश से आये शरणार्थियों के लिए विदेशी सहायता | 133 | 14 | — | — | |
| V. | बजट संबंधी कुल घाटा (अ) | 738 | 852 | 790 | 141 | |

- (क) इसमें रेलों, डाक-तार तथा गैर-विभागीय उपक्रमों का वह आयोजनागत व्यय शामिल है जिसकी व्यवस्था उन्होंने अपने ही साधनों से की है तथा इसके अलावा केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय निकायों तथा गैर-विभागीय उपक्रमों (विजली बोर्डों सहित) तथा अन्य पक्षों को दिये गये ऋण से किया गया विकास व्यय भी शामिल है। 1974-75 से पहले, सरकारी उद्यमों के अंशदान का हिसाब उनके कुल अधिशेष (अर्थात् मूल्यहास की व्यवस्था और रखे गये लाभों) में से (i) चालू प्रतिस्थापन व्यय, (ii) इनवेंट्रीज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये उपयोग किये गये उनके साधनों तथा (iii) ऋणों की वापसी अदायगी को घटाने के बाद, लगाया गया था। लेकिन 1974-75 से इस तरह से उपर्युक्त रकमों को घटाया नहीं गया है क्योंकि पांचवीं पंचवर्षीय आयोजना के मसीदे में कुल पूँजी के आधार पर पूँजी निर्माण करने का तरीका अपनाया गया है।
- (ख) इसमें गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों को 1971-72 में दी गई 212 करोड़ रुपये की और 1972-73 की 48 करोड़ रुपये की सांकेतिक ऋण की रकम शामिल है, जिसे सामान्य शेयर पूँजी में परिवर्तित कर दिया गया था।
- (ग) इसमें, सामान्य प्रशासन, पेशन तथा भूतपूर्व नरेशों को की जाने वाली कृपापूर्ण अदायगियां, अकाल सहायता, अन्न सम्बन्धी राज-सहायता, बंगला देश सहित विदेशों को दिये गये अनुदान तथा ऋण और अन्य पार्टियों को (विकास-भिन्न प्रयोजनों के लिये) दिये गये ऋण शामिल हैं।
- (घ) इसमें (1) 1971-72 में बंगला देश से आये शरणार्थियों पर होने वाले राहत व्यय के 295 करोड़ रुपये तथा (2) आकस्मिकता निधि के लेनदेनों के 1971-72 में 67 करोड़ रुपये, 1972-73 में (—) 34 करोड़ रुपये और 1973-74 (संशोधित अनुमान) के 2 करोड़ रुपये शामिल हैं।
- (ङ) इसमें आयोजना के लिये रेल, डाक और तार विभाग तथा अन्य गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों का अंशदान शामिल है।
- (च) इसमें आयोजना के लिये रेल, डाक और तार विभाग तथा अन्य गैर विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के कुल अधिशेष शामिल हैं।
- (छ) इसमें विजली बोर्डों द्वारा लिये गये ऋण शामिल हैं।
- (ज) इसमें (1) सरकारी उपक्रमों द्वारा 1971-72 में चुकाये गये ऋणों की 212 करोड़ रुपये की और 1972-73 में चुकाये गये ऋणों की 48 करोड़ रुपये की सांकेतिक राशि तथा (2) आकस्मिकता निधि के लेनदेन के संबंध में 1971-72 की 67 करोड़ रुपये की और 1972-73 की (—) 34 करोड़ रुपये की, 1973-74 (संशोधित अनुमान) की 2 करोड़ रुपये की राशि शामिल है।
- (झ) इसमें उपहार के रूप में प्राप्त विशेष अन्न शामिल है।
- (ञ) बजट संबंधी कुल घाटे से रिजर्व बैंक के पास पड़ी राजकोष टुकड़ियों में हुए परिवर्तन, रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को दिये गये अर्थोंपाया अग्रिमों में हुई वृद्धि और केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के रोकड़ शेष में होने वाले परिवर्तनों का पता चलता है। 1973-74 के लिये 543 करोड़ रुपये के वास्तविक घाटे का अनुमान लगाया गया है।

टिप्पणी:— इस सारणी में दिये गये आंकड़े मूल बजटों के आधार पर हैं और इसमें पूरक बजटों तथा अनुदानों की पूरक मांगों में दिये गये राजस्व तथा व्यय के अनुमानों को शामिल नहीं किया गया है।

2. बजट सम्बन्धी लेन-देन

2.2 : केन्द्रीय सरकार का कुल व्यय

(करोड़ रुपये)

| 1 | जोड़-पहली आयोजना | जोड़-दूसरी आयोजना | जोड़-तीसरी आयोजना | 1950-51 | 1955-56 | 1960-61 | 1965-66 |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. अंतिम परिव्यय | . | . | . | 1853.6 | 3406.0 | 6701.1 | 314.8 |
| (क) सरकारी खपत व्यय | . | . | . | 1241.3 | 1961.5 | 4256.0 | 234.7 |
| (ख) सकल पूँजी निर्माण | . | . | . | 612.3 | 1444.5 | 2445.1 | 80.1 |
| 2. शेष अर्थव्यवस्था में अन्तरण अदायगियां | . | . | . | 931.9 | 1816.4 | 3483.8 | 116.9 |
| (क) चालू अन्तरण | . | . | . | 809.2 | 1567.1 | 2982.9 | 110.9 |
| (ख) पूँजी अन्तरण | . | . | . | 122.7 | 249.3 | 500.9 | 6.0 |
| 3. शेष अर्थव्यवस्था में वित्तीय निवेश तथा ऋण | | | | | | | |
| (सकल) | ₹ | ₹ | ₹ | 965.7 | 2600.2 | 5075.9 | 72.0 |
| 4. कुल व्यय | . | . | . | 3751.2 | 7822.6 | 15260.8 | 503.7 |
| | | | | | | 974.5 | 1805.6 |
| | | | | | | | 3940.6* |

*इसमें 1965-66 के लिए 53 करोड़ रुपये की रकम शामिल नहीं हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय यह भारत सरकार की अपरकाम्य सिक्यूरिटियों जारी करके पूरा किया जाता है।

†इसमें 33 करोड़ रुपये की वह ऋण-राशि शामिल नहीं है जिसे राज्यों के बाजार ऋणों का परिशोधन करने के लिए अनुदानों में परिवर्तित कर दिया

††इसमें खादी और आमोदोग कमीशन को वर्ष 1968-69 में दिया गया 4 करोड़ रुपयों का सांकेतिक ऋण शामिल नहीं हैं जो पिछले ऋण के आधार पर दुबारा

**इसमें राष्ट्रीयकृत बैंकों को क्षतिपूर्ति के रूप में अदा की गयी अनुमानतः 83.7 करोड़ रुपये की रकम और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा अन्तर्राष्ट्रीय जो अनुमानतः 113.6 करोड़ रुपये है।

@इसमें राज्यों को रिजर्व बैंक आफ इंडिया से लिये गये ओवर ड्राफ्ट को चुकाने के लिए दी गयी केन्द्र की सहायता के रूप में 421 करोड़ रुपये

(करोड़ रुपये)

| 1968-69 | 1969-70 | 1970-71 | 1971-72 | 1972-73 | 1973-74 संशोधित अनुमान | 1974-75 बजट अनुमान |
|----------|---------|----------|---------|---------|---------------------------|-----------------------|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1661.5 | 1870.0 | 2188.7 | 2651.9 | 2939.2 | 3098.8 | 3601.6 |
| 1385.6 | 1476.9 | 1669.4 | 2054.5 | 2262.1 | 2331.4 | 2733.7 |
| 275.9 | 393.1 | 519.3 | 597.4 | 677.1 | 767.4 | 867.9 |
| 1176.1 | 1354.7 | 1432.4 | 2006.5 | 2280.1 | 2467.3 | 2544.9 |
| 1048.0† | 1163.0 | 1239.1 | 1722.7 | 1851.5 | 2099.3 | 2204.5 |
| 128.1 | 191.7 | 193.3 | 283.8 | 428.6 | 368.0 | 340.4 |
| 1688.2†† | 1700.0 | 1758.2** | 2051.2 | 2630.0@ | 2735.3 | 2507.3 |
| 4525.8 | 4924.7 | 5379.3** | 6709.6 | 7849.3 | 8301.4 | 8653.8 |

विकास संघ तथा एशियाई विकास बैंक को रुपये के सममूल्य में हुए परिवर्तन के कारण अतिरिक्त अदा की गयी। यह परिव्यव नाममात्र का है क्योंकि

गया।

दिया गया।

पुनर्निर्माण और विकास बैंक को अपरकाल्प तथा ब्याज रहित सिश्यूरिटियों के रूप में दिये गये अतिरिक्त अंशदान की रकम शामिल नहीं है।
का सांकेतिक अन्तरण शामिल नहीं है।

2. बजट सम्बन्धी लेन देन

2.3 केन्द्रीय सरकार के बजट सम्बन्धी साधनों में से सकल पूँजी निर्माण

(करोड़ रुपये)

| | जोड़-पहली आयोजना | जोड़-दूसरी आयोजना | जोड़-तीसरी आयोजना | 1950-51 | 1955-56 | 1960-61 | 1965-66 |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------|------------------|---------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| क. केन्द्रीय सरकार द्वारा सकल पूँजी निर्माण | . | 612.3 | 1444.5 | 2445.1 | 80.1 | 152.7 | 307.4 |
| (क) अचल परिसंपत्तियाँ | . | 593.9 | 1362.3 | 2355.4 | 79.5 | 177.4 | 302.0 |
| (ख) निर्माण कार्य संबन्धी सामान | . | 9.8 | 8.3 | 99.5 | 9.9 | 5.1 (—) 38.4 | 1.2 |
| (ग) अन्न के स्टाक में वृद्धि | . | 8.6 | 73.9 | (—) 9.8 | (—) 9.3 (—) 29.8 | 43.8 (—) 29.9 | |
| ख. पूँजी निर्माण के लिए सकल वित्तीय सहायता | . | 992.7 | 2460.3 | 4706.6 | 48.7 | 330.6 | 554.6 |
| (क) राज्य सरकारों को | . | 815.7 | 1373.2 | 2837.4 | 41.1 | 275.2 | 319.3 |
| (ख) गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपकरणों को | . | 81.1 | 932.4 | 1658.8 | 5.2 | 22.0 | 210.7 |
| (ग) अन्य को† | . | 95.9 | 154.7 | 210.4 | 2.4 | 33.4 | 24.6 |
| ग. केन्द्रीय सरकार के बजट संबन्धी साधनों में से सकल पूँजी निर्माण (क+ख) | . | 1605.0 | 3904.8 | 7151.7 | 128.8 | 483.3 | 862.0 |
| | | | | | | | 1805.4 |

†स्वातंत्र नियमों और कमतियों द्वारा चलाये गये सरकारी उपकरण

†इसमें स्थानीय गतिहारणों नो पूँजी निर्माण के लिए दिये गये ऋण और अनुदान शामिल हैं।

*इसमें खाद्य नियम को अन्तरित 58 करोड़ रुपयों का अन्न शामिल नहीं है।

**इसमें भारतीय खाद्य नियम को अन्न का स्टाक रखने के लिए दिये गये 190 करोड़ रुपये के ऋणों की रकम शामिल नहीं है।

††इसमें राष्ट्रीयकृत बैंकों को मुआवजे के रूप में दी गयी 83.7 करोड़ रुपये की रकम शामिल नहीं है।

(કરોડ રૂપયે)

| 1968-69 | 1969-70 | 1970-71 | 1971-72 | 1972-73 | 1973-74 (સંશોદિત અનુમાન) | 1974-75 (બજાટ અનુમાન) |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|--------------------------|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 275.9 (333.9)* | 392.6 | 519.3 | 597.4 | 677.1 | 767.4 | 867.9 |
| 448.7 | 430.3 | 485.0 | 566.1 | 664.8 | 748.5 | 865.3 |
| (--) 10.1 | (--) 27.5 | 8.3 | 55.4 | 59.1 | (--) 13.2 | 2.4 |
| (--) 162.7 (--) 104.7* | (--) 10.2 | 26.0 | (--) 24.1 | (--) 46.8 | 32.1 | 0.2 |
| 1383.7 (1193.7)** | 1219.5 | 1285.5††† | 1604.5 | 1950.4 | 1966.4 | 2225.9 |
| 708.6 | 692.2 | 740.2 | 884.8 | 1062.3 | 1211.9 | 1091.3 |
| 623.0 (433.0)** | 444.2 | 447.0††† | 545.1 | 731.4 | 633.1 | 995.8 |
| 52.1 | 83.1 | 98.3 | 174.6 | 156.7 | 121.4 | 138.8 |
| 1659.6 (1527.6) | 1612.1 | 1804.8††† | 2201.9 | 2627.5 | 2733.8 | 3093.8 |

2 बजट संबंधी लेन-देन

2.4 विकास शीर्षों के अनुसार केन्द्र, राज्यों तथा संघ क्षेत्रों का आयोजनागत परिव्यय

(करोड़ रुपये)

| क्रम संख्या | विकास शीर्ष | तीसरी आयोजना (वास्तविक) | वार्षिक आयोजनाएं (वास्तविक) | चौथी पंच-वर्षीय आयोजना | | | | | | | पांचवीं पंच-वर्षीय आयोजना | | |
|----------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---|--------|--|
| | | | | मूल परिव्यय 1966- 67 1969-74 1967- 68 और 1968-69 (वास्तविक) | 1969- 70 (वास्त- विक) | 1970- 71 (वास्त- विक) | 1971- 72 (वास्त- विक) | 1972- 73 (प्रत्याशित व्यय) | 1973- 74 (प्रत्याशित व्यय) | चौथी आयोजना परिव्यय (परिव्यय) (प्रत्याशित व्यय) | पांचवीं आयोजना परिव्यय (परिव्यय) (प्रत्याशित व्यय) | 1974- | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1. | कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्र | 1088.9 | 1107.1* | 2728.2* | 332.7* | 374.4* | 478.0* | 579.8* | 588.6* | 2353.5* | 4730.0 | 638.4 | |
| 2. | सिचाई तथा बाढ़ | | | | | | | | | | | | |
| | नियंत्रण | 664.7 | 471.0 | 1086.6 | 193.3 | 209.7 | 247.8 | 311.6 | 309.8 | 1272.2 | 2681.0 | 385.3 | |
| 3. | पावर | 1252.3 | 1212.5 | 2447.6 | 469.7 | 514.3 | 605.7 | 645.9 | 676.2 | 2911.8 | 6190.0 | 766.6 | |
| 4. | ग्राम तथा लघु उद्योग | 240.8 | 126.1 | 293.1 | 40.3 | 43.0 | 48.4 | 58.8 | 54.2 | 244.7 | 8964.0 | 68.8 | |
| 5. | उद्योग तथा खनिज | 1726.3 | 1510.4 | 3337.7 | 444.8 | 465.1 | 590.7 | 631.3 | 741.7 | 2873.6 | | 1093.3 | |
| 6. | परिवहन तथा संचार | 2111.7 | 1222.4 | 3237.3 | 410.8 | 507.5 | 636.2 | 744.3 | 763.2 | 3062.0 | 7115.0 | 1026.6 | |
| 7. | शिक्षा | 588.7 | 306.8 | 822.6 | 86.5 | 115.3 | 158.0 | 197.4 | 225.0 | 782.2 | 1726.0 | 184.8 | |
| 8. | वैज्ञानिक अनुसंधान | 71.6 | 47.1 | 140.3 | 13.5 | 17.9 | 24.3 | 34.8 | 40.2 | 130.7 | 419.0† | 60.7† | |
| 9. | स्वास्थ्य | 225.9 | 140.2 | 433.5 | 40.3 | 51.4 | 65.9 | 84.3 | 94.8 | 336.7 | 796.0 | 82.5 | |
| 10. | परिवार नियोजन | 24.9 | 70.4 | 315.0 | 36.9 | 48.3 | 59.2 | 79.7 | 53.8 | 277.9 | 516.0 | 54.1 | |
| 11. | जलपूर्ति तथा सफाई | 105.7 | 102.7 | 407.3 | 50.7 | 66.1 | 86.5 | 130.0 | 140.5 | 473.8 | 1022.0 | 118.4 | |
| 12. | आवासन, शहरी तथा क्षेत्रीय विकास | | | | | | | | | | | | |
| | क्षेत्रीय विकास | 127.6 | 73.3 | 237.0 | 32.4 | 42.7 | 52.5 | 56.7 | 62.6 | 246.9 | 1143.0 | 110.3 | |
| 13. | पिछड़े वर्गों का कल्याण | 99.1 | 73.6 | 142.4 | 21.4 | 25.3 | 32.0 | 39.6 | 49.2 | 167.5 | 726.0** | 65.5** | |
| 14. | समाज कल्याण | 19.4 | 11.2 | 41.4 | 3.7 | 5.1 | 6.0 | 25.4 | 24.4 | 64.6 | 229.0 | 21.0 | |
| 15. | श्रमिक कल्याण तथा शिल्पियों को प्रशिक्षण | | | | | | | | | | | | |
| | श्रमिक कल्याण | 55.8 | 34.8 | 39.9 | 3.8 | 4.6 | 4.7 | 10.8 | 10.7 | 34.6 | 57.0 | 6.8 | |
| 16. | अन्य कार्यक्रम | 173.1 | 115.8 | 192.3 | 29.1 | 32.8 | 34.4 | 44.0 | 53.4 | 193.7 | 1068.0@ | 160.6@ | |
| 17. | विशेष योजनाएं : | | | | | | | | | | | | |
| | (1) विशेष कल्याण कार्य- | | | | | | | | | | | | |
| | क्रम | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 60.5 | 63.1 | 123.6 | — | — | |
| | (2) शिक्षित बेरोजगारों के लिए फ़ौरी योज- नाएं | .. | .. | .. | .. | .. | .. | — | 54.0 | 54.0 | — | — | |
| | (3) पांचवीं आयोजना के लिए अग्रिम कार्रवाई | .. | .. | .. | .. | .. | .. | — | 120.0 | 120.0 | — | — | |
| 18. | जोड़ | 8576.5 | 6625.4 | 15902.2 | 2209.9 | 2523.5 | 3130.3 | 3734.9 | 4125.4 | 15724.0 | 37250.0†† | 4843.7 | |

*इसमें अनाज का भंडार रखने के लिए खर्च शामिल है—1968-69 के लिए 140 करोड़ रुपये, 1969-70 के लिए 25 करोड़ रुपये, 1971-72 के लिए 50 करोड़ रुपये, 1972-73 के लिए 25 करोड़ रुपये तथा 1973-74 के लिए 24 करोड़ रुपये। इस प्रकार चौथी आयोजना में अनाज के भंडार के लिए अनुमानित खर्च 124 करोड़ रुपये बैठता है जब कि इसके लिए मूलतः 255 करोड़ रुपये रखे गये थे।

**इसमें पहाड़ी और आदिम जाति क्षेत्रों के लिए व्यवस्था शामिल है।

@इसमें पोषाहार के लिए रकम शामिल है।

† विज्ञान और प्रौद्योगिकी से सम्बद्ध

†† क्षेत्रीय परिव्यय की कुल रकम 37382 करोड़ रुपये हैं। कुल रकम की 37250 करोड़ रुपये तक रखने के लिए 132 करोड़ रुपये की कटौती की जायेगी या इतनी रकम के लिए अतिरिक्त साधन ढंढने होंगे।

2. बजट सम्बन्धी लेन-देन

2.5 : विकास शीर्षों के अनुसार केन्द्र, राज्यों और संघ क्षेत्रों का आयोजनागत परिव्यय-प्रतिशत विभाजन

| विकास शीर्ष | तीसरी वार्षिक चौथी 1969-70 1970-71 | चौथी पंचवर्षीय आयोजना | | | | पांचवीं पंचवर्षीय आयोजना | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------|---------|--------------------------|--|-------|-------|-------|-------|
| | | (वास्त- 1966-67, मूल परिव्यय विक) | (वास्त- 1967-68 और 1969-74 1968-69 (वास्तविक)) | 1971-72 | 1972-73 | 1973-74 | जोड़ चौथी पांचवीं 1974-75 आयोजना आयोजना (परि- (अनुमा- अनुमा- आयोजना आयोजना (परि- नित व्यय) नित व्यय) 1969-74 का परिव्यय व्यय) (अनुमा- 1974-79 नित) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्र | 12.7 | 16.7 | 17.2 | 15.1 | 14.9 | 15.3 | 15.5 | 14.3 | 15.0 | 12.6 | 13.2 |
| 2. सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण | 7.8 | 7.1 | 6.8 | 8.7 | 8.3 | 7.9 | 8.3 | 7.5 | 8.1 | 7.2 | 8.0 |
| 3. विजली | 14.6 | 18.3 | 15.4 | 21.3 | 20.4 | 19.3 | 17.3 | 16.4 | 18.5 | 16.6 | 15.8 |
| 4. ग्राम तथा लघु उद्योग | 2.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 24.0 | 1.4 |
| 5. उद्योग तथा खनिज | 20.1 | 22.8 | 21.0 | 20.1 | 18.4 | 18.9 | 16.9 | 18.0 | 18.3 | 22.6 | |
| 6. परिवहन तथा संचार | 24.6 | 18.5 | 20.3 | 18.6 | 20.1 | 20.3 | 19.9 | 18.5 | 19.5 | 19.0 | 21.2 |
| 7. शिक्षा | 6.9 | 4.6 | 5.2 | 3.9 | 4.6 | 5.0 | 5.3 | 5.4 | 5.0 | 4.6 | 3.8 |
| 8. वैज्ञानिक अनुसंधान | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 1.3 |
| 9. स्वास्थ्य | 2.6 | 2.1 | 2.7 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 1.7 |
| 10. परिवार नियोजन | 0.3 | 1.1 | 2.0 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 1.1 |
| 11. जल पूर्ति तथा सफाई | 1.2 | 1.6 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.5 | 3.4 | 3.0 | 2.7 | 2.4 |
| 12. आवासन, शहरी तथा क्षेत्रीय विकास | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 3.1 | 2.3 |
| 13. पिलड़े वर्गों का कल्याण | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.9 | 1.4 |
| 14. समाज कल्याण | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 |
| 15. श्रमिक कल्याण तथा शिल्पियों का प्रशिक्षण | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| 16. अन्य कार्यक्रम | 2.0 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 2.8* | 7.0** | 3.1 | 2.9 | 3.3 |
| जोड़ | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

*इसमें विशेष कल्याण योजनाएं शामिल हैं।

**इसमें विशेष कल्याण योजनाओं के अलावा, शिक्षित बेरोजगारों के लिए फोरी योजना और पांचवीं आयोजना के सम्बन्ध में अग्रिम कार्रवाई भी शामिल है। इन योजनाओं के आयोजना परिव्यय के लिए कृपया सारणी 2.4 देखिये।

3. रोजगार

3.1 : सरकारी क्षेत्र में रोजगार

(आंकड़े लाख में)

| मार्च 1961 | मार्च 1966 | मार्च 1967 | मार्च 1968 | मार्च 1969 | मार्च 1970** | मार्च 1971** | मार्च 1972** | मार्च 1973 \$ (संशोधित) | मार्च 1974 £ | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| क-सरकारी क्षेत्र | | | | | | | | | | |
| के वर्गों के अनु- | | | | | | | | | | |
| सार : | | | | | | | | | | |
| 1. केन्द्रीय सरकार . | 20.90 | 26.36 | 26.88 | 27.15 | 27.13 | 27.25 | 27.71 | 28.54 | 29.18 | 29.42 |
| 2. राज्य सरकार . | 30.14 | 37.23 | 37.67 | 38.03 | 39.01 | 39.97 | 41.52 | 43.57 | 45.79 | 46.86 |
| 3. अर्द्ध सरकारी . | 7.73 | 13.18 | 14.02 | 14.84 | 16.55† | 17.94 | 19.29 | 21.75 | 25.78 | 29.30 |
| 4. स्थानीय निकाय . | 11.73 | 17.01 | 17.78 | 18.00 | 18.25 | 18.58 | 18.78 | 19.19 | 19.00 | 19.30 |
| जोड़ . . | 70.50 | 93.78 | 96.34 | 98.02 | 100.95† | 103.74 | 107.31 | 113.05@ | 119.75 | 124.87 |
| ख-श्रृंखलिक वर्गीकरण के | | | | | | | | | | |
| अनुसार संक्षिप्तव्यौरा : | | | | | | | | | | |
| ग. बागान, वनपालन आदि . | 1.80 | 2.26 | 2.32 | 2.46 | 2.61 | 2.64 | 2.76 | 2.89 | 3.05 | 3.24 |
| 1. खानों और पत्थर की खानों की सुदाई . | 1.29 | 1.60 | 1.76 | 1.74 | 1.74 | 1.77 | 1.82 | 2.55† | 4.36 | 6.14 |
| 2. और 3. वन्तु निर्माण : | 3.69 | 6.70 | 6.95 | 7.31 | 7.57 | 7.82 | 8.06 | 8.85 | 9.62 | 10.27 |
| 4. निर्माण . . | 6.03 | 7.66 | 7.63 | 7.56 | 7.88 | 7.97 | 8.80 | 9.22 | 10.17 | 9.96 |
| 5. बिजली, गैस, जल आदि . | 2.24 | 3.03 | 3.37 | 3.46 | 3.69 | 4.02 | 4.35 | 4.63 | 4.94 | 5.34 |
| 6. व्यापार और वाणिज्य . | 0.94 | 1.55 | 1.66 | 1.77 | 2.64† | 2.88 | 3.28 | 3.78 | 4.16 | 4.45 |
| 7. परिवहन और संचार . | 17.24 | 20.94 | 21.15 | 21.37 | 21.60 | 21.88 | 22.16 | 22.56 | 23.03 | 23.37 |
| 8. सेवाएं . . | 37.27 | 50.04 | 51.50 | 52.36 | 53.21 | 54.75 | 56.07 | 56.57 | 60.41 | 62.09 |
| जोड़ . . | 70.50 | 93.78 | 96.34 | 98.02 | 100.95† | 103.74 | 107.31 | 113.05 | 119.75 | 124.87 |

ईनन्तिम,

ये आंकड़े 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के रोजगार संबंधी आंकड़ों को गैर-सरकारी क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र में अन्तरित किये जाने के बाद के हैं।

*सरकारी क्षेत्र में रोजगार में अकस्मात् वृद्धि मुख्यतः सरकार द्वारा कोर्किंग कोयला खाने हाथ में लिये जाने तथा तपश्चात् रोजगार संबंधी आंकड़ों को गैर-सरकारी क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र को अन्तरित किये जाने के कारण हुई थी।

**संघ क्षेत्र गोआ, दमन और दीव के संबंध में मार्च 1970 और उसके बाद के रोजगार संबंधी आंकड़े शामिल हैं।

@विवरणियां न प्राप्त होने के कारण मणिपुर से संबंधित आंकड़ों को दुहराया गया है और मिजोराम से संबंधित आंकड़ों को हिसाब में नहीं लिया गया है।

\$मार्च 1972 से इन आंकड़ों में जम्मू और काश्मीर राज्य के आंकड़े शामिल हैं।

टिप्पणी—पूर्णांक के कारण यह आवश्यक नहीं है कि इन आंकड़ों का जोड़ दिये गये जोड़ से मेल खाये।

३. रोजगार

गैर-सरकारी क्षेत्र में रोजगार

(आंकड़े लाख में)

| उद्योग प्रभाग संक्षिप्त व्यौथा | मार्च 1961 | मार्च 1966 | मार्च 1967 | मार्च 1968 | मार्च 1969 | मार्च 1970** | मार्च 1971** | मार्च 1972** | मार्च (₹) \$ | मार्च 1973** | मार्च (₹) † | मार्च 1974† |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| ०. बागान और बनधालन | | | | | | | | | | | | |
| आदि@ @ | 6.7 | 9.0 | 8.7 | 8.5 | 8.1 | 8.2 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.0 |
| १. खानों और पत्थर की खानों की खुदाई | 5.5 | 5.1 | 4.8 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 3.5†† | 2.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| २. और ३. बस्तु निर्माण | 30.2 | 38.8 | 37.5 | 37.1 | 37.8 | 39.0 | 39.7 | 39.8 | 41.0 | 41.7 | 41.7 | 41.7 |
| ४. इमारतों आदि का निर्माण* | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| ५. विजयी, नीम और जल आदि | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| ६. व्यापार और विभिन्न परिवहन | 1.6 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 2.9‡ | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| ७. सेवाएं | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| ८. सेवाएं | 2.8 | 8.0 | 8.5 | 8.8 | 9.2 | 9.6 | 10.0 | 10.4 | 10.8 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
| जोड़ | 50.4 | 68.1 | 66.8 | 65.2 | 65.3‡ | 67.0 | 67.6 | 67.7@ | 68.5 | 67.7 | | |

स : संबंधित। †अनन्तिम।

@ @इसमें अधिकतर बागान शामिल हैं लेकिन काफी के बागान शामिल नहीं हैं जिनका क्षेत्र काफी बड़ा नहीं है।

*निर्माण कार्यों, खास तौर पर गैर-सरकारी निर्माण कार्य के संबंध में जानकारी अपर्याप्त है।

**इसमें मार्च, 1970 के बाद के गोआ, दमन और दीव संघ क्षेत्र के संबंध में रोजगार संबंधी आंकड़े शामिल हैं।

†गैर-सरकारी क्षेत्र में रोजगार के आंकड़ों में अनानक कमी का मध्य कारण सरकार द्वारा कीर्किंग कोर्सों की खानों को अपने अधिकार में लिये जाने और उसके परिणामस्वरूप रोजगार संबंधी आंकड़ों को गैर-सरकारी क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र में अन्तरित किये जाने के कारण हुई।

‡ये आंकड़े 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के रोजगार संबंधी आंकड़ों को गैर-सरकारी क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र में अन्तरित किये जाने के बाद के हैं।

@विवरणियां प्राप्त न होने के कारण मणिपुर से संबंधित आंकड़े दोहराये गये हैं और मिजोरम के लिये आंकड़ों को हिसाब में नहीं लिया गया है।

\$मार्च 1972 से इन आंकड़ों में जम्मू और कश्मीर राज्य के आंकड़े शामिल हैं।

टिप्पणी: (1) मार्च, 1961 से आंकड़ों का संबंध गैर-सरकारी क्षेत्र के दृष्टि से भिन्न प्रतिष्ठानों से है जिनमें 25 अथवा उससे अधिक मजदूर काम करते हैं। मार्च 1966 से इन आंकड़ों का क्षेत्र व्यापक बना दिया गया है ताकि इनमें उन प्रतिष्ठानों को भी शामिल कर लिया जाये जिनमें ऐचिक आधार पर काम करने वाले 10 से 24 तक मजदूर भी मजदूरी करते हैं।

(2) पूर्णकाल के कारण यह आवश्यक नहीं है कि इन आंकड़ों का जोड़ दिये गये जोड़ से मेल खाये।

4. मुद्रा सम्बन्धी प्रवृत्तियां

4.1. मुद्रा में घट-बढ़ का विश्लेषण

(करोड़ रुपये)

| | निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़ | | | | | | | | | 17 जनवरी, बकाया (क) | | |
|---|---------------------------------------|---|---|---|---|---|-----------------|--|------|---------------------------|------|-------|
| | 31 मार्च, 1969 को बकाया 1970 | 31 मार्च, 1969 से 31 मार्च, 1970 | 31 मार्च, 1970 से 31 मार्च, 1971 | 31 मार्च, 1971 से 31 मार्च, 1972 | 31 मार्च, 1972 से 31 मार्च, 1973 | 31 मार्च, 1973 से 31 मार्च, 1974 | 31 मार्च (क) | 1974 से 1975 को 17 जनवरी बकाया (क) | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | क. जनता के पास उपलब्ध मुद्रा (1+2) | . | . | 5838 | 632 | 723 | 945 | 1291 | 1446 | 887 | 468 | 11343 |
| 1. करेंसी | . | . | . | 3685 | 336 | 367 | 434 | 640 | 885 | 518 | —34 | 6313 |
| 2. जमारकम (ख) | . | . | . | 2153 | 295 | 357 | 510 | 651 | 560 | 369 | 502 | 5030 |
| ख. मुद्रा उपलब्धि में घट-बढ़ के कारण (1+2+3+4-5) | . | . | . | 4647 | 108 | 515 | 1147 | 1307 | 953 | 1030 | 1064 | 9741 |
| 1. बैंकों द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण क+ख | . | . | . | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| (क) रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण | . | . | 3504 | 13 | 331 | 846 | 783 | 762 | 821 | 627 | 6866 | |
| (i) + (ii) | . | . | — | — | — | — | — | — | — | — | | |
| (i) केन्द्रीय सरकार को | . | . | 3297 | 81 | 107 | 589 | 1281 | 664 | 754 | 617 | 6635 | |
| (ii) राज्य सरकारों को | . | . | 207 | —68 | 224 | 257 | —497 | 98 | 67 | 10 | 231 | |
| (ख) बैंकों के पास सरकारी सिक्यूरिटियां | . | . | 1143 | 96 | 183 | 301 | 523 | 191 | 210 | 438 | 2875 | |
| 2. बैंकों द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को दिया गया ऋण (क)+ (ख) | . | 4112 | 747 | 869 | 795 | 1153 | 1685 | 1362 | 915 | 10276 | | |
| (क) रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण | . | 74 | 7 | 51 | 100 | 34 | 294 | 155 | 45 | 605 | | |
| (ख) बैंकों द्वारा दिये गये ऋण | . | 4038 | 740 | 818 | 695 | 1119 | 1391 | 1207 | 870 | 9671 | | |
| (बैंकों द्वारा दिये गये अधिक तथा उनके पास रीर सरकारी सिक्यूरिटियां) | . | — | — | — | — | — | — | — | — | | | |
| 3. बैंकिंग क्षेत्र की विदेशी मुद्रा संबंधी निवल परिसम्पत्ति (क)+(ख) | 320 | 256 | —36 | 68 | —26 | 91 | —63 | —355 | 318 | | | |
| (क) भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा संबंधी निवल परिसम्पत्ति | . | 296 | 270 | —48 | 78 | —39 | 91 | —63 | —355 | 293 | | |
| (ख) बैंकों की विदेशी मुद्रा संबंधी निवल परिसम्पत्ति | . | 24 | —14 | 11 | —10 | 14 | — | — | — | 25 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 4. जनता को सरकार की मुद्रा-सम्बन्धी निवल देनदारी | 341 | 19 | 25 | 26 | 46 | 43 | 32 | 12 | 512 |
| 5. बैंकिंग क्षेत्र की मुद्रा-भिन्न निवल देनदारी (क+ख+ग) | 3582 | 498 | 649 | 1092 | 1188 | 1326 | 1475 | 1169 | 9504 |
| (क) बैंकों के पास सावधिक जमा | 2532 | 403 | 521 | 720 | 887 | 1061 | 1130 | 996 | 7120 |
| (ख) भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा-भिन्न निवल देनदारी | 583 | 11 | 109 | 381ग | 120 | 203 | 61 | 186 | 1593 |
| (ग) शेष | 467 | 84 | 19 | —9 | 181 | 62 | 284 | —13 | 7910 |
| ग. कुल वित्तीय साधन (क+ख+ग) | 8370 | 1035 | 1244 | 1665 | 2178 | 2506 | 2017 | 1464 | 18463 |

(क) अनन्तिम

(ख) इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के पास की 'अन्य जमा' शामिल है।

(ग) 1971-72 में लेखों में समायोजित निवल राशियों को घटाने के बाद सरकार को दिये गये निवल बैंक क्रहण में हुई वृद्धि की राशि 972 करोड़ रुपया तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिये गये क्रहण में हुई वृद्धि की राशि 671 करोड़ रुपया बैठती है। चूंकि लेखों में समायोजन इस प्रकार किया गया है कि एक का वृद्धिकारी प्रभाव दूसरे के संकोचनशील प्रभाव से दूर किया जा सके इसलिए इन समायोजनों से 'मुद्रा उपलब्धि' के आंकड़ों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। किन्तु वस्तुतः इन समायोजनों से, सरकारी क्षेत्र को दिये गये 'निवल बैंक क्रहण' में 175 करोड़ रुपये की वृद्धि हो गयी है और उसके परिणामस्वरूप 1971-72 में, भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी निवल परिसम्पत्तियों में 23 करोड़ रुपये की वृद्धि हो गयी। भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा-भिन्न देनदारियों में 198 करोड़ रुपये की वृद्धि होने के कारण उपर्युक्त राशियां प्रतिसन्तुलित हो गयी हैं जिसके परिणामस्वरूप मुद्रा उपलब्धि पर संकोचनशील प्रभाव पड़ा है।

(व) इसमें केन्द्र द्वारा राज्यों को भारतीय रिजर्व बैंक के ओवर-ड्राफ्टों की रकम को चुकाने के लिए दिये गये अर्थोंपाय अग्रिमों के 421 करोड़ रुपये के सांकेतिक अन्तरण शामिल हैं।

टिप्पणी : पूर्णांकन है कारण यह आवश्यक नहीं है कि इन आंकड़ों का जोड़ दिये गये जोड़ से मेल खाये।

4.2 : अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक : व्यस्त व मंदी के मौसम में दिये गये ऋण

4. मुद्रा संबंधी प्रवृत्तियाँ
(करोड़ रुपयों में)

| | 1969- | 1970 | 1970- | 1971 | 1971- | 1972 | 1972- | 1973 | 1973- | 1974 | 1973-74 | 1974-75 | 17 जनवरी | | | | | | |
|--|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|------------|------------|----------|------|-----|------|-----|-------|---|
| | 70 | | 71 | | 72 | | 73 | | 74 | | 26 अक्टूबर | 25 अक्टूबर | 1975 को | | | | | | |
| | व्यस्त | मंदी का | 1973 से | 1974 से | बकाया | | | | | | |
| | मौसम | मौसम | 18 जनवरी | 17 जनवरी | | | | | | | |
| 1. जमा : | | | | | | | | | | | @ | 1974 तक | 1975 तक | | | | | | |
| मांग जमा | . | . | . | . | . | 172 | 174 | 190 | 202 | 310 | 262 | 335 | 252 | 404 | 316 | 195 | 144 | 4856 | |
| सरविधि जमा | . | . | . | . | . | 149 | 274 | 245 | 422 | 314 | 443 | 476 | 647 | 266 | 564 | 227 | 267 | 6761 | |
| जोड़ | . | . | . | . | . | 321 | 448 | 435 | 624 | 624 | 705 | 811 | 899 | 670 | 880 | 422 | 411 | 11617 | |
| 2. ऋण (वृद्धि) | . | . | . | . | . | 563 | 226 | 394 | 163 | 355 | 67 | 897 | 346 | 1109 | 93 | 518 | 372 | 8077 | |
| 3. ऋण की निवल वापसी (1-2) | . | . | . | . | . | -242 | 222 | 41 | 461 | 269 | 638 | -86 | 553 | -439 | 736 | -96 | 39 | 3540 | 4 |
| 4. भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण (वृद्धि) | . | . | . | . | . | -203 | 66 | -40 | 172 | -4 | 16 | -17 | -56 | -253 | 270 | -211 | -16 | 80 | |
| 5. सिक्यूरिटियों में जमा | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (क) सरकारी सिक्यूरिटियों में | . | . | . | . | . | -101 | 155 | 39 | 209 | 144 | 519 | -89 | 187 | 73 | 326 | 35 | 47 | 2775 | |
| (ख) अनुपोदित सिक्यूरिटियों में | . | . | . | . | . | 47 | 32 | 76 | 45 | 95 | 101 | 93 | 95 | 84 | 113 | 74 | 42 | 1083 | |
| 6. अन्य साधन/स्रोत | . | . | . | . | . | 15 | -51 | -34 | 35 | 34 | 2 | -73 | 327 | -343 | 77 | | | | |
| 7. पिछले व्यस्त मौसम की घट-बढ़ के संदर्भ में मंदी के मौसम की | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| घट-बढ़, प्रतिशत में | . | . | . | . | . | 1970 | | 1971 | | 1972 | | 1973 | | 1974 | | | | | |
| (1) ऋणों की वापसी | . | . | . | . | . | -40 | | -41 | | -19 | | -39 | | -9 | | | | | |
| (2) भारतीय रिजर्व बैंक से लिये गये ऋणों की वापसी | . | . | . | . | . | 42 | | 430 | | 400 | | 329 | | 107 | | | | | |

@अनन्तिम

4. मुद्रा संबंधी प्रवृत्तियां

4.3 : अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक—भुनी हुई मदों में घट-बढ़

(करोड़ रुपये)

| 31 मार्च 1969 को बकाया | निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़ | | | | | | | | 17 जनवरी 1975 को बकाया@ |
|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------|-------------------------------|
| | 1969-70 31 मार्च से 31 मार्च | 1970-71 31 मार्च से 31 मार्च | 1971-72 31 मार्च से 31 मार्च | 1972-73 31 मार्च से 31 मार्च | 1973-74 31 मार्च से 31 मार्च | 1973-74 31 मार्च से 18 जनवरी | 1974-75 31 मार्च से 17 जनवरी | | |
| | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | | |
| | | | | | | | | | |
| मांग जमा | 1975.5 | 310.4 | 373.0 | 467.9 | 657.9 | 558.0 | 401.7 | 513.0 | 4855.7 |
| सावधि जमा | 2408.9 | 369.3 | 510.3 | 690.6 | 834.2 | 1014.1 | 1077.9 | 933.3 | 6760.8 |
| कुल जमा | 4384.4 | 679.7 | 883.3 | 1158.5 | 1492.1 | 1572.1 | 1479.6 | 1446.3 | 11616.5 |
| रिजर्व बैंक से उद्धार | 118.8 | 119.2 | 100.1 | —130.6 | —27.4 | 315.1 | 111.2 | —415.4 | 79.8 |
| रिजर्व बैंक के पास नकद और शेय | 255.3 | 73.7 | 67.4 | 50.9 | 39.0 | 344.5 | 534.5 | —17.2 | 813.6 |
| सरकारी सिक्यूरिटियों में पूँजी | 1091.2 | 89.4 | 179.9 | 289.8 | 509.9 | 188.3 | 203.5 | 426.3 | 2774.8 |
| बैंक ऋण | 3463.6 | 593.8 | 690.5 | 515.4 | 880.6 | 1353.0 | 876.9 | 579.9 | 8076.9 |
| नयी बाजार हुए योजना के अन्तर्गत फिर से भुनायी गयी हुण्डियां | — | — | 8.0 | 33.8 | —5.7 | 218.9 | 106.3 | —86.9 | 168.1 |
| कुल बैंक ऋण (फिर से भुनायी गयी हुण्डियों सहित) | 3463.6 | 593.8 | 698.5 | 549.2 | 874.9 | 1571.9 | 983.2 | 493.0 | 8245.0 |

@अनन्तिम

4. मुद्रा संबन्धी प्रवृत्तियाँ

4.4 : सरकारी खेत्र के बैंकों और अन्य वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं का विस्तार

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--------------------------------------|--|---------|-------|------|
| कार्यालयों की संख्या | कार्यालयों की संख्या वीच हुई वृद्धि* | देहाती केन्द्रों में कालम 4 के मुकाबले में कालम 5 का प्रतिशत | वृद्धि* | | |
| क. भारतीय स्टेट बैंक | 1571 | 3143 | 1572 | 706 | 44.9 |
| ख. भारतीय स्टेट बैंक के सहायक बैंक | 894 | 1670 | 776 | 382 | 49.2 |
| ग. 14 राष्ट्रीयकृत बैंक | 4168 | 9213 | 5045 | 2507 | 49.7 |
| सरकारी खेत्रों के बैंकों का जोड़ (क+ख+ग) | 6633 | 14026 | 7393 | 3595 | 48.6 |
| घ. अन्य भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक | 1340 | 3052 | 1712 | 746 | 43.6 |
| झ. विदेशी बैंक | 130 | 131 | 1 | —1 | — |
| ञ. गैर-अनुसूचित बैंक | 218 | 124 | —94** | —10** | — |
| सभी वाणिज्यिक बैंकों का जोड़ | 8321 | 17333 | 9012 | 4330 | 48.0 |

* ग्रामीण केन्द्र — 10,000 तक की जनसंख्या वाले स्थान।

** गैर-अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की संख्या में कमी के कारण ये हैं:—

(i) कुछ बैंकों का भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूचित में शामिल किया जाना।

(ii) भारतीय स्टेट बैंक और अन्य अनुसूचित बैंकों द्वारा कुछ गैर-अनुसूचित बैंकों का हाथ में लिया जाना।

टिप्पणी:—ग्रामीण केन्द्रों के कार्यालयों की संख्या में हुई वृद्धि 19 जुलाई, 1969 को (1961 की जनगणना के आधार पर वर्गीकृत) ऐसे केन्द्रों में स्थित इन कार्यालयों की संख्या वीच के अन्तर की घोतक है।

4. मुद्रा सम्बन्धी प्रवृत्तियां

4.5 : सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि और अब तक उपेक्षित अन्य क्षेत्रों को दिये गये अग्रिम

(करोड़ रुपयों में)

| | जून 1969 | | जून 1970 | | जून 1971 | | जून 1972 | | जून 1973@ | | जून 1974@ | |
|--------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| | खातों की संख्या | बकाया रकम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. कृषि : | | | | | | | | | | | | |
| (क) प्रत्यक्ष वित्त* | . | 160,020 | 40.20 | 612,477 | 160.38 | 793,100 | 206.37 | 926,583 | 231.89 | 1,246,326 | 297.86 | 1,630,127 |
| | . | | (1.4) | | (4.3) | | (4.8) | | (5.0) | | (5.5) | (6.0) |
| (ख) अप्रत्यक्ष वित्त | . | 4,461 | 122.09 | 19,076 | 141.26 | 23,811 | 134.59 | 144,205 | 156.56 | 124,361 | 170.83 | 208,651 |
| | . | | (4.1) | | (3.9) | | (3.3) | | (3.4) | | (3.1) | (2.9) |
| 2. लघु उद्योग** | . | 50,850 | 251.10 | 81,380 | 369.50 | 100,288 | 442.20 | 116,046 | 528.49 | 158,683 | 644.86 | 201,409 |
| | . | | (8.5) | | (10.3) | | (10.8) | | (11.4) | | (11.9) | (13.2) |
| 3. सहकरण व्यापार | . | 2,324 | 5.49 | 12,690 | 24.42 | 23,276 | 39.85 | 31,065 | 50.43 | 43,923 | 62.71 | 63,470 |
| | . | | (0.2) | | (0.7) | | (1.0) | | (1.1) | | (1.2) | (1.3) |
| 4. खुदरा और छोटा व्यापार | . | 33,241 | 19.37 | 125,773 | 64.45 | 147,198 | 71.98 | 165,959 | 77.43 | 231,742 | 94.76 | 320,700 |
| | . | | (0.6) | | (1.8) | | (1.8) | | (1.7) | | (1.7) | (1.8) |
| 5. ऐश्वर और आत्मनियोजित व्यक्ति] | . | 7,769 | 1.91 | 28,928 | 6.64 | 41,554 | 8.61 | 57,208 | 12.16 | 107,343 | 21.21 | 180,173 |
| | . | | (0.1) | | (0.2) | | (0.2) | | (0.3) | | (0.4) | (0.5) |
| 6. शिक्षा | . | 1,477 | 0.80 | 4,994 | 2.06 | 7,088 | 3.70 | 7,304 | 2.92 | 10,106 | 3.20 | 11,733 |
| | . | | (—) | | (0.1) | | (0.1) | | (0.1) | | (0.1) | (0.1) |
| जोड़ (1 से 6 तक) | . | 260,142 | 440.96 | 8,85,318 | 768.71 | 1,136,315 | 907.30 | 1,448,370 | 1058.51 | 1,922,484 | 1295.43 | 2,616,263 |
| | . | | (14.9) | | (21.3) | | (22.0) | | (22.9) | | (23.8) | (25.7) |
| इन बैंकों द्वारा दिये गये कुल अग्रिम | . | | 3016.76 | | 3577.60 | | 4079.76 | | 4622.00 | | 5430.00 | |
| | | | | | | | | | | | | 6563.00 |

@अनन्तिम।

*इन रकमों में बागानों को दिये गये अग्रिमों (विकास वित्त से भिन्न) को शामिल नहीं किया गया है।

**एककों की संख्या।

टिप्पणियां: (1) कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े, इन बैंकों के कुल अग्रिमों की तुलना में इन रकमों के प्रतिशत के आंकड़े हैं।

(2) हो सकता है कि पूर्णांक के कारण आंकड़ों का जोड़ दिये गये जोड़ से मेल न खाये।

4. मुद्रा संबंधी प्रवृत्तियां

4.6 : सरकारी क्षेत्रों के बैंकों के कार्यालयों, इनमें जमा कुल राशियों और इन बैंकों द्वारा दिये गये कुल ऋणों तथा
इन ऋणों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये गये ऋणों के प्रतिशतांश का राज्यवार विवरण

| राज्य/संघ क्षेत्र | बैंक कार्यालय | | जमा (करोड़ रुपयों में) | | बैंक ऋण (करोड़ रुपये) | | बैंक ऋण में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों का हिस्सा (प्रतिशत) | | कुल उत्पादन में उद्योगों का योगदान (प्रतिशत) | | |
|-----------------------|---------------|-------------|---------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--|-------------|--|-------------|-------------|
| | जून 1969 | जून 1974 | जून 1969 | जून 1974 | जून 1969 | जून 1974 | जून 1969 | जून 1974 | जून 1969 | जून 1974 | जून 1969 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1. भारत प्रदेश | . | 444 | 928 | 121.11 | 309.99 | 122.09 | 306.92 | 24.4 | 38.5 | 4.97 | |
| 2. असम | . | 67 | 170 | 33.20 | 87.39 | 12.85 | 38.90 | 10.3 | 37.2 | 1.52 | |
| 3. बिहार | . | 269 | 665 | 168.67 | 494.73 | 52.05 | 178.33 | 9.1 | 30.3 | 5.76 | |
| 4. गुजरात | . | 750 | 1425 | 401.31 | 810.89 | 194.89 | 504.04 | 15.9 | 33.7 | 8.49 | |
| 5. हरियाणा | . | 140 | 294 | 48.78 | 125.59 | 23.15 | 87.03 | 28.2 | 52.3 | 2.13 | |
| 6. हिमाचल प्रदेश | . | 41 | 143 | 12.38 | 56.00 | 3.49 | 8.72 | 2.7 | 35.6 | 0.23 | |
| 7. जम्मू और कश्मीर | . | 17 | 91 | 17.95 | 37.04 | 0.86 | 9.63 | 30.3 | 59.0 | 0.07 | |
| 8. कर्नाटक | . | 510 | 1113 | 187.79 | 405.66 | 143.04 | 394.55 | 24.8 | 33.2 | 3.89 | |
| 9. केरल | . | 331 | 640 | 116.79 | 250.97 | 76.95 | 178.72 | 27.6 | 45.2 | 2.98 | |
| 10. मध्य प्रदेश | . | 332 | 803 | 107.43 | 287.53 | 63.14 | 178.30 | 22.3 | 33.2 | 4.10 | |
| 11. महाराष्ट्र | . | 946 | 1728 | 902.67 | 1948.85 | 911.79 | 1696.10 | 12.4 | 19.9 | 26.02 | |
| 12. मणिपुर | . | 2 | 9 | 1.06 | 3.69 | 0.15 | 1.12 | .. | 89.3 | .. | |
| 13. मेघालय | . | 7 | 18 | 8.87 | 20.41 | 2.52 | 1.91 | 50.0 | 53.9 | .. | |
| 14. नागालैंड | . | 2 | 7 | 1.07 | 3.18 | 0.06 | 0.78 | 40.0 | 39.7 | .. | |
| 15. उड़ीसा | . | 96 | 241 | 29.49 | 85.72 | 14.60 | 45.89 | 11.2 | 32.5 | 2.09 | |
| 16. पंजाब | . | 290 | 611 | 185.41 | 416.87 | 50.29 | 184.11 | 27.9 | 51.1 | 2.00 | |
| 17. राजस्थान | . | 311 | 613 | 73.73 | 171.91 | 38.20 | 102.50 | 16.8 | 38.7 | 1.64 | |
| 18. तमिलनाडू | . | 721 | 1239 | 233.48 | 624.98 | 311.32 | 705.30 | 25.5 | 25.8 | 9.39 | |
| 19. त्रिपुरा | . | 5 | 18 | 3.76 | 10.65 | 0.16 | 1.28 | 9.5 | 62.5 | 0.01 | |
| 20. उत्तर प्रदेश | . | 639 | 1475 | 337.15 | 874.54 | 153.74 | 405.23 | 16.9 | 39.1 | 7.18 | |
| 21. पश्चिम बंगाल | . | 428 | 903 | 456.45 | 1040.93 | 525.80 | 892.99 | 4.4 | 12.3 | 15.41 | |
| संघ क्षेत्र | | | | | | | | | | | |
| 1. चण्डीगढ़ | . | 19 | 38 | 34.55 | 57.66 | 64.13 | 167.00 | 4.2 | 2.6 | 0.07 | |
| 2. दिल्ली | . | 207 | 396 | 359.80 | 772.46 | 244.90 | 553.30 | 10.2 | 20.1 | 1.84 | |
| 3. गोप्ता, दमन और दीव | . | 83 | 129 | 48.68 | 98.32 | 19.68 | 43.63 | 12.6 | 35.9 | 0.04 | |
| 4. पांडिचेरी | . | 11 | 24 | 5.06 | 11.76 | 4.74 | 12.51 | 12.9 | 8.8 | 0.16 | |
| 5. अन्य सभी* | . | 1 | 20 | 0.33 | 4.58 | 0.01 | 0.77 | .. | 88.3 | 0.01 | |
| जोड़ | . | 6669 | 13741 | 3896.97 | 9012.30 | 3034.60 | 6699.56 | 14.9 | 25.2 | 100.00 | |

*इसमें अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, दादरा और नगर हवेली, लक्षद्वीप और मिजोरम शामिल हैं।

4.7: पंजी बाजार : कुछ निर्देशांक

4. मुद्रा सम्बन्धी प्रवृत्तियां
(करोड़ रुपयों में)

| | गैर-सरकारी कम्पनियों को शेयर जारी करने के लिए पूंजी निर्गम नियंत्रक द्वारा दी गयी स्वीकृतियां/प्रस्तावों की अभिस्वीकृतियां ¹ | | गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा जुटाई गई पूंजी† | | | | | | संयुक्त पूंजी कंपनियों (गैर-सरकारी कंपनियों के पास जमा रकमें@ सूचकांक @@) | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--|---|--------|-------------------|------------------------|-------|-------------|---|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | (क) बोनस | (ख) अन्य (प्रारंभिक, अतिरिक्त, क्रृण पदों और क्रृणों सहित) | बोनस | क्रृण | अन्य ² | स्वीकृतियों के आधार पर | बोनस | क्रृण | अन्य ² | छूट आदेश के अन्तर्गत | जमा की रकमें स्वीकार कुल रकमें | जमा की अन्य कंपनियों की संख्या | सरकारी कंपनियों के क्रृण संख्या | संयुक्त पूंजी और सरकारी कंपनियों के शेयर संख्या | तरजीही परिवर्तनशील सूचकांक @@@ | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1961-62 | . | 10.07 | 171.23 | 181.30 | 7.46 | 15.85 | 85.19 | -- | — 15.83 | 124.06 | 1208 | 97.5 | 100.9 | 101.1 | 83.2 | 183.7 | |
| | | | | | | | | | | | (570) | | | | | | |
| 1965-66 | . | 4.90 | 209.08 | 213.98 | 6.24 | 16.64 | 83.07 | -- | — 19.55 | 125.50 | 1964 | 228.5 | 94.6 | 93.9 | 94.4 | 76.7 | 99 |
| | | | | | | | | | | | (987) | | | | | | |
| 1969-70 | . | 39.12* | 108.40 | 147.52 | 29.29 | 10.42 | 73.36 | -- | — 22.21 | 135.28 | 1535 | 451.4 | 99.0 | 93.5 | 87.6 | 92.6 ⁴ | 94.5 ⁵ |
| | | | | | | | | | | | (685) | | | | | | |
| 1970-71 | . | 40.59 | 72.16 | 112.75 | 51.80 | 6.75 | 63.15 | -- | — 26.26 | 147.96 | 1472 | 432.2 | 99.0 | 93.5 | 87.5 | 101.9 | |
| | | | | | | | | | | | (629) | | | | | | |
| 1971-72 | . | 41.19 | 141.17 | 182.36 | 31.81 | 4.04 | 50.00 | -- | — 37.39 | 123.24 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | 98.6 | 99.1 | 96.7 | 95.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1972-73 | . | 33.86 | 159.66 | 193.52 | 36.16 | 6.11 | 92.20 | -- | — 38.30 | 164.00 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | 98.7 | 98.4 | 94.3 | 96.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1973-74 | . | 66.22 | 122.21 | 182.43 | 50.00 | 4.52 | 65.45 | -- | — 46.00 | 167.95 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | 98.8 | 97.4 | 94.1 | 114.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1973-74 (सितम्बर तक) | . | 39.71 | 79.66 | 119.37 | 41.52 | 3.97 | 33.46 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | 98.8 | 97.5 | 93.9 | 112.2 | |
| 1974-75 (सितम्बर तक) | . | 39.34 | 97.99 | 137.33 | 40.46 | 0.78 | 39.92 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | 97.7 | 96.9 | 93.1 | 123.8 | |

1. ये आंकड़े कैलेण्डर वर्षों के हैं। पूंजी निर्गम (छूट) आदेश, 1966 और 1969 के अन्तर्गत किये गये परिवर्तनों के कारण 1969-70 से लेकर बाद के वर्षों के आंकड़ों की तुलना उनसे पिछले वर्षों के आंकड़ों के साथ पूरी तरह नहीं की जा सकती। 1966 के आदेश के अनुसार प्राइवेट कम्पनियों, बैंकिंग और बीमा कम्पनियों तथा सरकारी कंपनियों को बोनस शेयर जारी करने के मामले

को छोड़कर बाकी सभी मामलों में, पूजी निर्गम(छूट) अधिनियम, 1947 की धारा 3, 4, और 5 से पूरी छूट प्राप्त है। 1969 के आदेश के अनुसार पब्लिक लिमिटेड कंपनियों को पूजी जारी कर के अपने प्रस्तावों के बारे में केवल विवरण देने की जरूरत होती है, बश्यते कि ये प्रस्ताव निर्धारित वित्तीय मापदण्डों के अनुरूप हों, इसलिए अब 'अनापति पत्र' का स्थान प्रस्तावों की 'अभिस्वीकृति' ने ले लिया है।

2. प्रारंभिक, अतिरिक्त और ऋण पत्रों सहित।

*बोनस निर्गम में तीन सरकारी कंपनियों की 2.04 करोड़ रुपये की स्वीकृतियां शामिल हैं।

①कोष्ठकों से बाहर के आंकड़ों में पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड, दोनों प्रकार की कंपनियों के आंकड़े शामिल हैं। कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े केवल प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के संबंध में हैं।

@@@ 1961-62 के लिए आधार वर्ष 1952-53=100 है। 1965-66 से 1970-71 तक के लिए संशोधित वर्ष 1961-62=100 का प्रयोग किया गया है। 1971-72 से संशोधित आधार, 1970-71=100 का प्रयोग किया गया है।

+ये आंकड़े कैलेण्डर वर्ष के हैं। इन आंकड़ों में, कंपनियों द्वारा जुटाई गयी वह पूजी शामिल नहीं की गई है जिसके बारे में सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

ख. जमा की रकमों में कुछ ऐसे ऋण और अन्य प्राप्तियां भी शामिल हैं, जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी किये गये निदेशों से छूट दी गई है। मार्च, 1968, मार्च, 1969 और मार्च, 1970 के अन्त तक ये रकमें क्रमशः 113 करोड़ रुपये, 167 करोड़ रुपये और 193 करोड़ रुपये हो गयी। पहले के वर्षों के इसी प्रकार के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

ग, घ, ङ और च का संबंध क्रमशः 47, 4, 39 और 13 सप्ताहों से है।

ज. दिसम्बर तक।

छ: इनमें एक विदेशी कंपनियों की तीन शाखाएं शामिल हैं।

टिप्पणी: कुछ बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिये जाने के परिणामस्वरूप "परिवर्तनशील लाभांशों वाली प्रतिभूतियां" नामक शीर्षक के अन्तर्गत वित्तीय समूह के उप-समूह 'बक' के अन्दर सम्मिलित प्राप्तियों को मार्च, 1970 से 'अन्य उद्योग' नामक समूह के उपसमूह 'अन्य' के अन्तर्गत अन्तरित कर दिया गया है।

4. मुद्रा सम्बन्धी प्रवृत्तियाँ

4.8 : पूर्जी बाजार : वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता

(करोड़ रुपयों में)

| | अप्रैल-सितम्बर | | | | | | | | | | | | अप्रैल-सितम्बर | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|
| | 1961-62 | | | 1965-66 | | | 1969-70 | | | 1970-71 | | | 1971-72 | | | 1972-73 | | | 1973-74 | | |
| | स्वीकृत संवित- | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| 1. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम | 26.7 | 8.3 | 45.9 | 27.1 | 18.6 | 17.5 | 32.3 | 17.4 | 28.7 | 20.3 | 47.5 | 28.3 | 40.9 | 30.2 | 25.9 | 16.5 | 14.5 | 22.1 | | | |
| 2. भारतीय औद्योगिक क्रष्ण और निवेश निगम (संशोधित) * | 11.5 | 7.0 | 29.6 | 25.3 | 22.8 | 19.8 | 43.9 | 28.9 | 39.7 | 30.3 | 49.5 | 39.7 | 61.1 | 43.5 | 31.9 | 21.2 | 37.3 | 20.4 | | | |
| 3. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक | .. | .. | 63.0 | 35.3 | 51.1 | 45.1 | 73.3 | 55.8 | 140.4 | 78.8 | 92.4 | 66.6 | 184.4 | 118.3 | 78.8 | 50.6 | 110.3 | 80.9 | | | |
| 4. भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम* | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 5.9 | 1.1 | 6.4 | 3.5 | 7.4 | 5.2 | 1.2 | 1.8 | 4.6 | 3.3 | | | |
| 5. राज्यों के वित्तीय निगम | .. | 13.3 | 9.0 | 23.3 | 18.8 | 33.4 | 22.3 | 49.6 | 33.5 | 64.1 | 39.6 | 78.7 | 44.7 | 105.7 | 54.5 | 36.2 | 21.2 | 59.5@ | 32.8@ | | |
| 6. राज्यों के औद्योगिक विकास निगम | .. | .. | 1.7 | 1.4 | 25.9 | 11.6 | 19.3 | 11.0 | 23.6 | 14.4 | 33.5 | 17.7 | 26.7 | 18.5 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | | | | | |
| 7. भारतीय यूनिट इंस्ट | .. | .. | 2.1 | 1.7 | 9.9 | 8.7 | 9.2 | 5.1 | 13.0 | 1.6 | 9.6 | 5.6 | 7.9 | 7.8 | 3.1 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | | | |
| 8. भारतीय जीवन बीमा निगम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (क) निगमित क्षेत्र | .. | 5.5 | 3.9 | 25.0 | 9.7 | 13.4 | 11.8 | 17.8 | 8.1 | 13.1 | 5.3 | 18.0** | 11.8 | 21.3 | 17.9 | 9.6 | 5.4 | 5.5 | 10.1 | | |
| (ख) सहकारी क्षेत्र@@ | .. | 0.2 | — | — | 0.2 | 2.0 | 1.3 | 2.0 | — | 12.4 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 4.6 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | — | 10.7 | | |

*इनका संबंध संयुक्त पूर्जी वाली कम्पनियों के क्रष्णपत्रों, अधिकार्य शेयरों और सामान्य शेयरों से तथा सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में कम्पनियों को दिए गये क्रष्णों से भी है।

*गारंटी संबंधी सहायता को छोड़ कर।

@@आंकड़े, अप्रैल-अगस्त 1974 की अवधि से सम्बन्धित हैं।

**इसमें पहले स्वीकृत 700 लाख रुपये के क्रष्ण-पत्रों में से क्रष्णों में परिवर्तित 250 लाख रुपये की रकम शामिल नहीं है।

@@ @आंकड़े, चीनी सहकारी समितियों और औद्योगिक समिति को दिये गये क्रष्णों के सम्बन्ध में हैं।

टिप्पणियाँ— 1. औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक क्रष्ण और निवेश निगम के संबंध में 1965-66 से आंकड़े अवधूल्यन के बाद की दरों पर आधारित हैं।

- भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के गठन से पहले भारतीय पुनर्वित निगम ने अपनी स्थापना अर्थात् 1958 से 31 अगस्त 1964 तक कुल मिला कर 65.5 करोड़ रुपये की मूल्य की पुनर्वित मुनिशायें दी थीं, जिसमें कुल मिला कर 42.2 करोड़ रुपये के पुनर्वित का भुगतान कर दिया गया था। जुलाई, 1964 से जून, 1965 तक की अवधि के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने, जिसने भारतीय पुनर्वित निगम को अपने हाथ में ले लिया था, 21.2 करोड़ रुपये की पुनर्वित सुविधायें दीं।
- राज्यों के औद्योगिक विकास निगमों के आंकड़े, 1967-68 तथा 1968-69 के वर्षों में 10 निगमों और 1969-70 तथा 1970-71 के वर्षों में 16 राज्य औद्योगिक विकास निगमों तथा दो राज्य औद्योगिक निवेश निगमों और 1971-72 के वर्ष में 13 राज्य औद्योगिक विकास निगमों और 2 राज्य औद्योगिक निवेश निगमों के संबंध में हैं।
- फरवरी, 1963 से राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने रुई, जूट और कपड़े की मिलों और मणीनी औजार उद्योग के आधारिकरण तथा विस्तार के लिए कोई नये आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये हैं। किन्तु वह अपने परामर्शदाता कार्यालय के माध्यम से बराबर परामर्शदाती सेवाएं प्रदान कर रहा है।

5. मूल्य

5.1: थोक भावों के सूचक अंक

(आधार 1961-62 = 100)

| भार | वस्तुएं | खाद्य वस्तुएं | शराब, इंधन, औद्योगिक ग्रन्ति, रासायनिक और अन्य वस्तुएं | मशीन वस्तुएं | निर्मित वस्तुएं | | सभी वस्तुएं | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|---------------|--|--------------|--|------------------------|-------------|-----|------|-----|------|-------|-----|-----|-------|
| | | | | | जोड़ अन्न तम्बाकू और चिकनाने के पदार्थ | जोड़ मध्यवर्ती वस्तुएं | | | | | | | | | |
| भार | 33.2 | 41.3 | 14.8 | 2.5 | 6.1 | 12.1 | 0.7 | 7.9 | 29.4 | 5.7 | 23.7 | 100.0 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| निम्नलिखित वर्षों के अंतिम सप्ताह | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1965-66 | . | . | . | 148 | 150 | 159 | 133 | 131 | 144 | 133 | 120 | 124 | 130 | 122 | 137.5 |
| 1966-67 | . | . | . | 182 | 188 | 208 | 133 | 136 | 166 | 151 | 130 | 130 | 148 | 126 | 158.9 |
| 1967-68 | . | . | . | 173 | 194 | 207 | 167 | 147 | 141 | 162 | 132 | 130 | 144 | 127 | 160.3 |
| 1968-69 | . | . | . | 182 | 186 | 193 | 216 | 153 | 172 | 177 | 133 | 139 | 149 | 136 | 165.1 |
| 1969-70 | . | . | . | 201 | 200 | 214 | 188 | 160 | 186 | 193 | 140 | 149 | 174 | 143 | 175.7 |
| 1970-71 | . | . | . | 195 | 200 | 200 | 185 | 163 | 191 | 189 | 151 | 160 | 185 | 155 | 180.6 |
| 1971-72 | . | . | . | 198 | 216 | 223 | 209 | 178 | 179 | 199 | 163 | 173 | 208 | 165 | 192.3 |
| 1972-73 | . | . | . | 240 | 250 | 262 | 249 | 188 | 236 | 208 | 172 | 183 | 229 | 172 | 218.5 |
| 1973-74 | . | . | . | 308 | 322 | 336 | 272 | 288 | 323 | 271 | 216 | 233 | 311 | 216 | 284.0 |
| सप्ताहों का औसत | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1965-66 | . | . | . | 142 | 145 | 154 | 133 | 124 | 133 | 126 | 118 | 118 | 125 | 116 | 131.6 |
| 1966-67 | . | . | . | 167 | 171 | 183 | 134 | 134 | 158 | 144 | 126 | 128 | 140 | 124 | 149.9 |
| 1967-68 | . | . | . | 188 | 208 | 228 | 152 | 142 | 156 | 157 | 132 | 131 | 147 | 127 | 167.3 |
| 1968-69 | . | . | . | 179 | 197 | 201 | 192 | 149 | 157 | 169 | 133 | 134 | 145 | 132 | 165.4 |
| 1969-70 | . | . | . | 195 | 197 | 208 | 195 | 155 | 180 | 184 | 136 | 144 | 160 | 140 | 171.6 |
| 1970-71 | . | . | . | 201 | 204 | 207 | 185 | 162 | 197 | 188 | 148 | 155 | 179 | 149 | 181.1 |
| 1971-72 | . | . | . | 200 | 210 | 215 | 195 | 172 | 191 | 197 | 159 | 167 | 197 | 160 | 188.4 |
| 1972-73 | . | . | . | 220 | 240 | 248 | 233 | 181 | 204 | 201 | 168 | 177 | 212 | 168 | 207.1 |
| 1973-74 | . | . | . | 281 | 296 | 296 | 251 | 214 | 299 | 219 | 183 | 206 | 268 | 190 | 254.0 |
| अप्रैल | . | . | . | 243 | 257 | 264 | 245 | 188 | 247 | 208 | 172 | 186 | 233 | 175 | 222.9 |
| मई | . | . | . | 256 | 272 | 270 | 247 | 188 | 267 | 209 | 173 | 187 | 231 | 176 | 231.6 |
| जून | . | . | . | 264 | 283 | 276 | 245 | 189 | 283 | 209 | 175 | 188 | 233 | 177 | 238.6 |
| जुलाई | . | . | . | 281 | 295 | 289 | 244 | 190 | 312 | 213 | 176 | 192 | 242 | 180 | 248.4 |
| अगस्त | . | . | . | 282 | 299 | 294 | 248 | 191 | 306 | 214 | 178 | 195 | 245 | 183 | 251.0 |
| सितम्बर | . | . | . | 275 | 296 | 289 | 245 | 195 | 294 | 213 | 179 | 200 | 259 | 185 | 250.3 |
| अक्टूबर | . | . | . | 281 | 300 | 293 | 249 | 195 | 304 | 211 | 181 | 207 | 277 | 190 | 255.2 |
| नवम्बर | . | . | . | 288 | 301 | 308 | 250 | 236 | 298 | 215 | 182 | 214 | 290 | 196 | 260.0 |
| दिसम्बर | . | . | . | 288 | 301 | 305 | 252 | 235 | 308 | 216 | 188 | 216 | 299 | 199 | 262.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| जनवरी | 297 | 313 | 313 | 253 | 235 | 321 | 229 | 196 | 222 | 300 | 203 | 271.2 |
| फरवरी | 303 | 316 | 320 | 262 | 237 | 326 | 238 | 197 | 227 | 307 | 208 | 275.0 |
| मार्च | 308 | 321 | 331 | 273 | 288 | 323 | 262 | 213 | 233 | 311 | 214 | 283.3 |
| 1974-75 | | | | | | | | | | | | |
| अप्रैल | 316 | 326 | 350 | 287 | 313 | 324 | 272 | 218 | 242 | 317 | 223 | 289.9 |
| मई | 332 | 341 | 371 | 294 | 319 | 326 | 281 | 227 | 246 | 336 | 224 | 299.1 |
| जून | 342 | 351 | 376 | 305 | 313 | 335 | 287 | 233 | 249 | 339 | 228 | 306.0 |
| जुलाई | 358 | 367 | 392 | 304 | 313 | 342 | 287 | 241 | 254 | 337 | 233 | 315.1 |
| अगस्त | 368 | 376 | 412 | 300 | 313 | 353 | 291 | 256 | 261 | 339 | 242 | 323.4 |
| सितम्बर | 378 | 386 | 437 | 305 | 316 | 356 | 300 | 261 | 262 | 333 | 244 | 328.9 |
| अक्टूबर | 366 | 382 | 431 | 311 | 319 | 330 | 301 | 266 | 262 | 325 | 246 | 324.8 |
| नवंबर | 357 | 376 | 417 | 311 | 319 | 320 | 309 | 269 | 257 | 305 | 245 | 320.0 |
| दिसम्बर | 354 | 369 | 409 | 309 | 319 | 320 | 313 | 271 | 255 | 303 | 243 | 316.9 |

*अनन्तिम

*व्युत्पन्न शृंखलाएँ: (डीराइन्ड सीरीज़): चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, जौ, मक्का, रागी, चना, अरहर, मूंग, मसूर, उड्ड, आलू, प्याज, संतरे, केले, काजू, चाय, काफी, मिर्च, मसाले, सुपारी, कच्चे तम्बाकू, कपास, कच्चे जूट, मेस्ता, कच्चे सन, मूँगफली, अलसी, रेणी, तिल, तोरिया, बिनौल, गोले चमड़ा कमाने के पदार्थ, गर्मे, रबड़, लट्ठे, इमारती लकड़ी, बांस, और नारियल के रेणे के मूल्यों के सूचक अंकों के भारित ग्रौसत। इस शीर्ष के अंतर्गत वस्तों के अंतिम सप्ताह के सामने दिये गये अंकड़े प्रत्येक वर्ष के मार्च के महीने के हैं।

5.2 : थोक भावों के सूचक अंक—चुनी हुई बस्तुएँ/बस्तु समूह

(आधार: 1961-62 = 100)

| चावल | गेहूं | दालें | खाद्य तेल | कोयला | खनिज तेल | रड़ी | कच्चा जट | मंगफली और मेस्ता | सूत | धातुएं | मिल का बना कपड़ा | जूट वस्तुएं | इस्पात वस्तुएं | और लोहे से बनी वस्तुएं | साबुन |
|---------------|-------|-------|-----------|-------|----------|------|----------|------------------|------|--------|------------------|-------------|----------------|------------------------|-------|
| भार (प्रतिशत) | 6.69 | 3.22 | 2.68 | 5.37 | 1.31 | 3.02 | 2.24 | 1.16 | 2.52 | 1.69 | 2.43 | 5.59 | 2.38 | 3.59 | 0.44 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| भार (प्रतिशत) | 6.69 | 3.22 | 2.68 | 5.37 | 1.31 | 3.02 | 2.24 | 1.16 | 2.52 | 1.69 | 2.43 | 5.59 | 2.38 | 3.59 | 0.44 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

निम्नलिखित वर्षों के अंतिम सप्ताह

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1965-66 | 153 | 150 | 180 | 170 | 125 | 131 | 119 | 160 | 164 | 111 | 152 | 112 | 134 | 124 | 131 |
| 1966-67 | 180 | 216 | 259 | 206 | 131 | 133 | 134 | 124 | 205 | 133 | 165 | 118 | 119 | 128 | 141 |
| 1967-68 | 196 | 200 | 265 | 144 | 158 | 139 | 146 | 175 | 130 | 129 | 169 | 123 | 106 | 139 | 126 |
| 1968-69 | 185 | 205 | 205 | 184 | 163 | 149 | 163 | 175 | 187 | 134 | 173 | 129 | 153 | 150 | 138 |
| 1969-70 | 197 | 234 | 248 | 220 | 168 | 158 | 182 | 129 | 210 | 159 | 211 | 131 | 157 | 157 | 137 |
| 1970-71 | 195 | 208 | 228 | 209 | 168 | 157 | 239 | 135 | 187 | 197 | 204 | 152 | 172 | 166 | 145 |
| 1971-72 | 208 | 215 | 284 | 197 | 175 | 180 | 166 | 135 | 190 | 218 | 231 | 161 | 200 | 189 | 147 |
| 1972-73 | 244 | 228 | 353 | 273 | 188 | 184 | 205 | 160 | 307 | 232 | 253 | 170 | 184 | 204 | 147 |
| 1973-74 | 329 | 250 | 455 | 379 | 190 | 385 | 338 | 116 | 377 | 234 | 393 | 211 | 267 | 256 | 167 |

सप्ताहों का औसत

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1965-66 | 137 | 149 | 191 | 151 | 122 | 125 | 119 | 127 | 142 | 113 | 147 | 108 | 119 | 121 | 122 |
| 1966-67 | 169 | 178 | 225 | 196 | 128 | 133 | 127 | 141 | 188 | 123 | 160 | 116 | 124 | 126 | 144 |
| 1967-68 | 200 | 214 | 328 | 182 | 148 | 138 | 142 | 102 | 165 | 132 | 169 | 122 | 106 | 137 | 133 |
| 1968-69 | 196 | 204 | 223 | 162 | 161 | 141 | 155 | 157 | 149 | 130 | 170 | 126 | 133 | 145 | 131 |
| 1969-70 | 196 | 215 | 239 | 206 | 166 | 150 | 171 | 139 | 199 | 145 | 189 | 130 | 154 | 151 | 137 |
| 1970-71 | 201 | 209 | 240 | 232 | 168 | 157 | 209 | 141 | 215 | 174 | 207 | 139 | 171 | 164 | 142 |
| 1971-72 | 204 | 208 | 272 | 203 | 171 | 172 | 222 | 131 | 197 | 207 | 218 | 157 | 194 | 174 | 146 |
| 1972-73 | 231 | 222 | 330 | 231 | 177 | 180 | 177 | 147 | 242 | 207 | 239 | 163 | 189 | 198 | 147 |
| 1973-74 | 283 | 226 | 411 | 349 | 190 | 236 | 277 | 134 | 388 | 227 | 316 | 188 | 203 | 227 | 161 |

1973-74

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| अप्रैल | 247 | 216 | 360 | 287 | 188 | 184 | 211 | 167 | 332 | 236 | 254 | 171 | 190 | 204 | 147 |
| मई | 254 | 213 | 374 | 313 | 190 | 184 | 224 | 165 | 378 | 234 | 256 | 172 | 189 | 204 | 147 |
| जून | 262 | 211 | 377 | 325 | 190 | 187 | 238 | 154 | 408 | 225 | 258 | 176 | 178 | 206 | 147 |
| जुलाई | 272 | 212 | 411 | 362 | 190 | 188 | 271 | 121 | 471 | 225 | 268 | 178 | 171 | 206 | 157 |
| अगस्त | 287 | 212 | 405 | 359 | 190 | 190 | 272 | 131 | 391 | 224 | 277 | 180 | 178 | 212 | 166 |
| सितम्बर | 285 | 212 | 393 | 350 | 190 | 197 | 272 | 131 | 391 | 224 | 290 | 183 | 189 | 215 | 166 |
| अक्टूबर | 289 | 212 | 411 | 359 | 190 | 197 | 306 | 131 | 379 | 226 | 317 | 188 | 195 | 226 | 166 |
| नवम्बर | 295 | 237 | 439 | 336 | 190 | 280 | 307 | 126 | 340 | 229 | 351 | 196 | 202 | 241 | 166 |
| दिसम्बर | 286 | 245 | 430 | 348 | 190 | 279 | 294 | 123 | 362 | 225 | 369 | 199 | 204 | 248 | 167 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| जनवरी | 293 | 245 | 437 | 382 | 190 | 268 | 299 | 118 | 384 | 225 | 378 | 200 | 220 | 250 | 167 |
| फरवरी | 302 | 248 | 443 | 380 | 190 | 268 | 315 | 120 | 394 | 227 | 385 | 201 | 247 | 256 | 167 |
| मार्च | 318 | 250 | 455 | 380 | 190 | 385 | 335 | 117 | 380 | 231 | 391 | 211 | 267 | 256 | 167 |
| 1974-75 | | | | | | | | | | | | | | | |
| अप्रैल | 337 | 295 | 450 | 383 | 263 | 384 | 346 | 113 | 382 | 235 | 404 | 229 | 284 | 256 | 167 |
| मई | 347 | 356 | 459 | 398 | 263 | 383 | 354 | 114 | 392 | 297 | 410 | 237 | 274 | 257 | 167 |
| जून | 357 | 347 | 459 | 412 | 263 | 383 | 356 | 121 | 409 | 311 | 409 | 239 | 254 | 257 | 167 |
| जुलाई | 370 | 363 | 479 | 414 | 263 | 383 | 382 | 135 | 414 | 315 | 403 | 246 | 254 | 267 | 167 |
| अगस्त | 389 | 380 | 509 | 422 | 263 | 384 | 397 | 147 | 432 | 323 | 404 | 253 | 276 | 280 | 167 |
| सितम्बर | 404 | 407 | 554 | 418 | 263 | 384 | 411 | 176 | 415 | 312 | 394 | 253 | 282 | 295 | 167 |
| अक्टूबर | 402 | 400 | 556 | 407 | 263 | 396 | 349 | 169 | 363 | 306 | 395 | 255 | 274 | 283 | 203 |
| नवम्बर | 376 | 392 | 563 | 406 | 263 | 396 | 297 | 155 | 381 | 258 | 393 | 254 | 263 | 282 | 203 |
| दिसम्बर | 343 | 402 | 559 | 413 | 263 | 396 | 295 | 149 | 405 | 249 | 391 | 247 | 259 | 282 | 235 |

+अनन्ति

5. मूल्य

3: अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक

| वित्तीय वर्ष | कर्मचारी वर्ग | | | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------------|------------|--------------------------|-----|
| | खाद्य सूचकांक | | सामान्य सूचकांक | | शहदी गैर-श्रमिक कर्मचारी | |
| | 1949 = 100 | 1960 = 100 | 1949 = 100 | 1960 = 100 | (1960 = 100) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| वित्तीय वर्ष | | | | | | |
| 1955-56 | . | . | 94 | 96 | | |
| 1960-61 | . | . | 125 | 124 | 100* | |
| 1965-66 | . | . | 174 | 169 | 132 | |
| 1966-67 | . | . | 198 | 191 | 146 | |
| 1967-68 | . | . | 228 | 213 | 159 | |
| 1968-69 | . | . | 223@ | 212@ | 161 | |
| 1969-70 | . | . | 223 | 215 | 177 | 167 |
| 1970-71 | . | . | 233 | 226 | 186 | 174 |
| 1971-72 | . | . | 237 | 233 | 192 | 180 |
| 1972-73 | . | . | 258** | 223 | 207 | 192 |
| 1973-74 | . | . | 323 | 279 | 304 | 221 |
| कैनेंडर वर्ष | | | | | | |
| 1955 | . | . | 92 | 96 | .. | |
| 1960 | . | . | 126 | 124 | 100 | |
| 1965 | . | . | 172 | 166 | 130 | |
| 1966 | . | . | 190 | 184 | 142 | |
| 1967 | . | . | 222 | 209 | 157 | |
| 1968 | . | . | 228** | 215** | 177 | 161 |
| 1969 | . | . | 220 | 213 | 175 | 165 |
| 1970 | . | . | 231 | 224 | 184 | 173 |
| 1971 | . | . | 235 | 230 | 190 | 178 |
| 1972 | . | . | 250 | 245 | 202 | 189 |
| 1973 | . | . | 304 | 262 | 287 | 212 |
| 1973-- | | | | | | |
| जनवरी | . | . | 264 | 228 | 255 | 210 |
| फरवरी | . | . | 267 | 231 | 259 | 213 |
| मार्च | . | . | 273 | 236 | 263 | 216 |
| अप्रैल | . | . | 281 | 243 | 269 | 221 |
| मई | . | . | 293 | 253 | 277 | 228 |
| जून | . | . | 300 | 259 | 283 | 233 |
| जुलाई | . | . | 317 | 274 | 295 | 243 |
| अगस्त | . | . | 323 | 279 | 300 | 247 |
| सितम्बर | . | . | 323 | 279 | 301 | 248 |
| अक्टूबर | . | . | 331 | 286 | 309 | 254 |
| नवम्बर | . | . | 336 | 290 | 315 | 259 |
| दिसम्बर | . | . | 334 | 289 | 316 | 260 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1974-- | | | | | |
| जनवरी | 340 | 294 | 321 | 264 | 231 |
| फरवरी | 344 | 297 | 325 | 267 | 233 |
| मार्च | 353 | 305 | 334 | 275 | 238 |
| अप्रैल | 365 | 315 | 344 | 383 | 244 |
| मई | 382 | 330 | 357 | 294 | 251 |
| जून | 390 | 337 | 366 | 301 | 256 |
| जुलाई | 405 | 350 | 378 | 311 | 262 |
| अगस्त | 421 | 364 | 390 | 321 | 270 |
| सितम्बर | 442 | 382 | 406 | 334 | 279 |
| अक्टूबर | 443 | 383 | 407 | 335 | 282 |
| नवंबर | — | — | 402 | 331 | — |

*जनवरी से मार्च 1961 तक की अवधि से सम्बद्ध ।

@अन्तर्रिम शृंखला ($1949=100$) के चार महीनों तथा $1960=100$ के आधार पर सूचकांकों की नई शृंखला से अनुमित भाठ महीनों के आंकड़ों पर आधारित ।

**अन्तर्रिम शृंखला ($1949=100$) के सात महीनों के आंकड़ों तथा $1960=100$ के आधार पर नई शृंखला से अनुमित पांच महीनों के आंकड़ों पर आधारित ।

टिप्पणी-~ $1960=100$ पर आधारित अखिल भारतीय सूचकांकों की नई शृंखला अगस्त 1968 से लागू की गई है इसके साथ ही $1949=100$ पर आधारित अतिम शृंखला को बद्द कर दिया गया है। नई शृंखला के 100 को सामान्य सूचकांक के सम्बन्ध में 121.54 के तथा खाद्य सूचकांकों के सम्बन्ध में 115.74 के बराबर करके $1949=100$ के आधार पर अगस्त, 1968 से सूचकांक का अनुमान लगाया गया है।

5. मूल्य

5.4 : थोक भावों के सूचक अंक : निर्मित वस्तुओं और कृषि वस्तुओं के सापेक्ष मूल्य

(आधार: 1961-62 = 100)

| | भार | 100.00 | 32.30 | 33.20 | |
|------------------------|-----|--------|-------|-------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| निम्नलिखित | | | | | |
| वर्षों के अन्तम | | | | | |
| महीनों में | | | | | |
| 1965-66 | . | 136.8 | 121.8 | 147.4 | 82.6 |
| 1966-67 | . | 159.4 | 127.6 | 181.5 | 70.3 |
| 1967-68 | . | 159.7 | 128.9 | 172.4 | 74.8 |
| 1968-69 | . | 164.8 | 136.1 | 181.8 | 74.9 |
| 1969-70 | . | 175.9 | 142.9 | 200.7 | 71.2 |
| 1970-71 | . | 181.6 | 154.4 | 194.8 | 79.3 |
| 1971-72 | . | 192.2 | 164.9 | 197.7 | 83.4 |
| 1972-73 | . | 220.0 | 173.0 | 240.3 | 72.0 |
| 1973-74 | . | 283.3 | 215.1 | 308.4 | 69.7 |
| महीनों का औसत | | | | | |
| 1965-66 | . | 131.6 | 117.0 | 141.7 | 82.6 |
| 1966-67 | . | 149.9 | 125.3 | 166.6 | 75.2 |
| 1967-68 | . | 167.3 | 129.1 | 188.2 | 68.6 |
| 1968-69 | . | 165.4 | 132.8 | 179.4 | 74.0 |
| 1969-70 | . | 171.6 | 139.7 | 194.8 | 71.7 |
| 1970-71 | . | 181.1 | 149.7 | 201.4 | 74.3 |
| 1971-72 | . | 188.4 | 160.5 | 199.6 | 80.4 |
| 1972-73 | . | 207.1 | 168.8 | 219.7 | 76.8 |
| 1973-74 | . | 254.0 | 189.3 | 280.6 | 67.5 |
| 1973-74 | | | | | |
| अप्रैल | . | 222.9 | 175.0 | 243.0 | 72.0 |
| मई | . | 231.6 | 175.7 | 256.5 | 68.5 |
| जून | . | 238.6 | 177.2 | 264.4 | 67.0 |
| जुलाई | . | 248.4 | 179.6 | 281.4 | 63.8 |
| अगस्त | . | 251.0 | 182.0 | 281.9 | 64.6 |
| सितम्बर | . | 250.3 | 184.5 | 275.1 | 67.1 |
| अक्टूबर | . | 255.2 | 188.2 | 280.9 | 67.0 |
| नवम्बर | . | 260.0 | 194.6 | 288.0 | 67.6 |
| दिसम्बर | . | 262.1 | 196.5 | 287.9 | 68.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------|-------|-------|-------|------|
| जनवरी | 271.2 | 201.4 | 297.3 | 67.7 |
| फरवरी | 275.0 | 206.0 | 303.0 | 68.0 |
| मार्च | 283.3 | 215.1 | 308.4 | 69.7 |
| 1974-75 | | | | |
| अप्रैल | 289.9 | 223.1 | 316.0 | 70.6 |
| मई | 299.1 | 226.0 | 332.1 | 68.1 |
| जून | 306.0 | 230.2 | 341.9 | 67.3 |
| जुलाई | 315.1 | 236.2 | 357.9 | 66.0 |
| अगस्त | 323.4 | 246.4 | 367.8 | 67.0 |
| सितम्बर | 328.9 | 249.5 | 378.0 | 66.0 |
| अक्टूबर | 324.8 | 252.2 | 365.9 | 68.9 |
| नवम्बर | 320.0 | 252.3 | 356.7 | 70.7 |
| दिसम्बर† | 316.9 | 251.3 | 353.5 | 71.1 |

*सप्ताहों के औसत।

@@इसमें 'रासायनिक पदार्थ, मशीनें और परिवहन उपकरण' 'तैयार माल' शामिल हैं।

@@ अनुत्तन शृंखलाएं (डीराइन्ड सीरीज) : चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, राशी, चना, अरहर, मूँग, मसूर, उड्द, आलू, प्याज, संतरे, केले, काजू, मिर्च, मसाले, चाय, कहंवा, सुपारी, कच्चे तम्बाकू, कपास, कच्चे जूट और मैस्ता, कच्चे सन, नारियल के रेशे, मूँगफली, अलसी, रेण्डी के बीज, तोरिए के बीज, तिल, बिनौले, खोपरा, चमड़ा कमाने के पदार्थ, गन्ना, रबड़, लट्ठे और इमारती लकड़ी और बांस के मूल्य के सूचक ग्रंथकों के भारित औसत।

†ग्रनन्ति

6.1 : भारत की प्रारक्षित विदेशी मुद्रा

(करोड़ रुपये)

| निम्नलिखित वर्षों की समाप्ति पर | प्रारक्षित निधि @ | | | | ग्रन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ लेन-देन | | | |
|---------------------------------|---|-------|-------|-------|---|-----------|-----------|--------|
| | सोना एस०ड०प्रार० ** विदेशी मुद्रा*** जोड़ (2+3+4) | | | | निकासी | पुनः खरीद | पुनः खरीद | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1950-51 | . | 117.8 | — | 911.4 | 1029.2 | — | — | 47.62 |
| 1955-56 | . | 117.8 | — | 784.6 | 902.4 | — | 7.14 | 5.95 |
| 1956-57 | . | 117.8 | — | 563.3 | 681.1 | 60.71 | 5.95 | 60.71 |
| 1957-58 | . | 117.8 | — | 303.4 | 421.2 | 34.52 | — | 95.24 |
| 1958-59 | . | 117.8 | — | 261.1 | 378.9 | — | — | 95.24 |
| 1959-60 | . | 117.8 | — | 245.1 | 362.9 | — | 23.81 | 71.43 |
| 1960-61 | . | 117.8 | — | 185.8 | 303.6 | — | 10.71 | 60.72 |
| 1961-62 | . | 117.8 | — | 179.5 | 297.3 | 119.05 | 60.72 | 119.05 |
| 1962-63 | . | 117.8 | — | 177.3 | 295.1 | 11.90 | — | 130.95 |
| 1963-64 | . | 117.8 | — | 188.0 | 305.8 | — | 23.81 | 107.14 |
| 1964-65 | . | 133.8 | — | 115.9 | 249.7 | 47.62 | 47.62 | 107.14 |
| 1965-66 | . | 115.9 | — | 182.1 | 298.0 | 65.47 | 35.71 | 136.90 |
| 1966-67 | . | 182.5 | — | 295.9 | 478.4 | 89.29 | 43.09 | 313.13 |
| | | | | | (187.5) | (57.5) | (417.5) | |
| 1967-68 | . | 182.5 | — | 356.1 | 538.6 | 67.50 | 43.13 | 337.50 |
| 1968-69 | . | 182.5 | — | 394.2 | 576.7 | — | 58.50 | 279.00 |
| 1969-70 | . | 182.5 | 92.0 | 546.4 | 820.9 | — | 125.25 | 153.75 |
| 1970-71 | . | 182.5 | 111.7 | 438.1 | 732.3 | — | 153.75 | — |
| 1971-72 | . | 182.5 | 185.8 | 480.4 | 848.7 | — | — | — |
| 1972-73 | . | 182.5 | 184.9 | 478.9 | 846.3 | — | — | — |
| 1973-74 | . | 182.5 | 183.7 | 580.8 | 947.0 | 62.6 | — | 62.6 |
| 1973-74 | | | | | | | | |
| जून | . | 182.5 | 183.9 | 516.1 | 882.5 | — | — | — |
| सितम्बर | . | 182.5 | 183.9 | 496.0 | 862.4 | — | — | — |
| दिसम्बर | . | 182.5 | 183.9 | 376.8 | 743.2 | — | — | — |
| मार्च | . | 182.5 | 183.7 | 580.8 | 947.0 | 62.6 | — | 62.6 |
| 1974-75* | | | | | | | | |
| अप्रैल | . | 182.5 | 182.8 | 663.3 | 1028.6 | 72.8 | — | 135.4 |
| मई | . | 182.5 | 181.9 | 768.1 | 1132.5 | 221.4 | — | 356.8 |
| जून | . | 182.5 | 181.9 | 761.7 | 1126.1 | — | — | 356.8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------|-------|-------|-------|--------|-------|----|-------|
| जुलाई | 182.5 | 181.9 | 691.3 | 1055.7 | -- | -- | 356.8 |
| अगस्त | 182.5 | 181.9 | 653.3 | 1017.7 | -- | -- | 356.8 |
| सितम्बर | 182.5 | 181.9 | 613.7 | 978.1 | -- | -- | 356.8 |
| अक्टूबर | 182.5 | 181.9 | 717.1 | 1081.5 | 155.2 | -- | 512.0 |
| नवम्बर | 182.5 | 181.1 | 746.6 | 1110.2 | 38.7 | -- | 550.7 |
| दिसम्बर | 182.5 | 179.9 | 587.4 | 949.8 | -- | -- | 550.7 |

@सोने का मूल्य मई, 1966 तक 53.58 रुपये प्रति दस ग्राम और उसके पश्चात 84.39 रुपये प्रति दस ग्राम आंका गया है, एस०डी०आर० का मूल्य 7.50 रुपये प्रति यूनिट आंका गया है।

*अनन्तिम।

**अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि ने भारत के लिए जनवरी, 1970 में 94.50 करोड़ रुपये के, जनवरी, 1971 में 75.43 करोड़ रुपये के और जनवरी, 1972 में 74.70 करोड़ रुपये के एस०डी०आर० नियत किये थे।

***जून, 1970 से जून, 1972 तक कनाडा के डालरों में रखी रकम का मूल्यांकन, त्यूयार्क में हाजिर खरीद और बिक्री की दरों के मासिक औसत के आधार पर किया गया है। जून, 1972 तक अन्य विदेशी मुद्राओं में रखी रकम का मूल्यांकन, सम-मूल्यों/केन्द्रीय दरों के अनुसार किया गया है किन्तु मई से नवम्बर, 1971 तक ड्यूश मार्क तथा सितम्बर से नवम्बर, 1971 तक येन और पौण्ड स्टर्लिंग का मूल्यांकन लन्दन में हाजिर खरीद और बिक्री की दरों के अनुसार किया गया है। जुलाई, 1972 से पौण्ड में रखी रकम का मूल्यांकन बैंक की हाजिर खरीद और बिक्री दरों के औसत के आधार पर किया गया है अप्रैल। 1974 तक कनाडी डालरों समेत अन्य विदेशी मुद्राओं की राशियों का मूल्यांकन लन्दन की हाजिर खरीद और बिक्री की दरों के मासिक औसत पर आधारित डालर—स्टर्लिंग दरों और मई 1974 से मूल्यांकन लन्दन की हाजिर खरीद और बिक्री की दरों के मासिक औसत के अनुसार किया गया है।

टिप्पणी 1—रेखा के नीचे दिये गये आंकड़ों की तुलना जून, 1966 में रुपये का अवृमूल्यन किये जाने के परिणामस्वरूप इसके ऊपर दिये गये आंकड़ों के साथ नहीं की जा सकती।

2—अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ किये गये लेन-देनों के सम्बन्ध में कोषकों में दिवाये गये 1966-67 के आंकड़े दस लाख अमरीकी डालरों में हैं अमरीकी डालरों की दर 7.50 रुपये है।

6. भुगतान शेष

: भारत का भुगतान शेष(समंजित)*

(करोड़ रुपयों में)

| 1 | भूतिम | 1961-62 | 1965-66 | 1966-67 | 1967-68 | 1968-69 | 1969-70 | 1970-71 | 1971-72 | 1972-73 |
|--|-------|---------|---------|---------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | भूतिम | भूतिम | भूतिम | संशोधित | प्रारम्भिक | प्रारम्भिक | प्रारम्भिक | प्रारम्भिक | प्रारम्भिक |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. आयात ¹ —लागत | . | 996.3 | 1367.9 | 1991.1 | 2055.7 | 1740.5 | 1582.3 | 1720.4 | 1993.6 | 2146.5 |
| बीमा भाड़ा | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| (क) पी०एल० 480 | . | 86.3 | 250.3 | 309.0 | 292.9 | 117.9 | 94.8 | 49.9 | 8.6 | 0.1 |
| शीघ्रक I** | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| (ख) अन्य | . | 910.0 | 1117.6 | 1682.1 | 1762.8 | 1622.6 | 1487.5 | 1670.5 | 1985.0 | 2146.4 |
| 2. निर्यात—जहाज तक निःशुल्क | . | 668.3 | 784.5 | 1086.5 | 1257.9 | 1367.4 | 1403.9 | 1402.7 | 1555.4 | 1895.3 |
| 3. व्यापार शेष (2-1) | . | -328.0 | -583.4 | -904.6 | -797.8 | -373.1 | -178.7 | -317.7 | -438.2 | -251.0 |
| 4. मुद्रा से भिन्न सोने का लेन-देन (निवल) | . | . | . | . | . | . | . | 13.1 | . | . |
| 5. अद्यत्य— | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| (i) प्राप्तियाँ ² | . | 173.5 | 206.2 | 260.6 | 287.7 | 320.5 | 327.0 | 333.6 | 366.3 | 388.6 |
| (ii) अदायगियाँ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| जिसमें विदेशी क्रूणों व उधारों का व्याज व सेवा सम्बन्धी | . | 203.0 | 272.1 | 398.8 | 441.1 | 454.9 | 476.1 | 502.8 | 503.7 | 526.7 |
| अदायगियाँ ³ | . | (46.0) | (94.4) | (150.2) | (169.8) | (184.0) | (189.6) | (203.0) | (198.7) | (217.9) |
| (iii) निवल | . | -29.5 | -65.9 | -138.2 | -153.4 | -134.4 | -149.1 | -169.2 | -137.4 | -138.1 |
| 6. चानू खाता (निवल)] | . | -357.5 | -649.3 | -1042.8 | -951.2 | -507.5 | -327.5 | -473.8 | -575.5 | -389.1 |
| 7. पूंजीगत लेन-देन | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| (क) गैर-सरकारी ⁴ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| (i) प्राप्तियाँ | . | 30.4 | 34.9 | 24.5 | 29.5 | 20.1 | 11.7 | 15.7 | 13.4 | 9.9 |
| (ii) अदायगियाँ | . | 36.4 | 49.7 | 57.5 | 45.0 | 27.4 | 33.7 | 29.8 | 21.2 | 23.6 |
| (iii) शुद्ध | . | -6.0 | -14.8 | -33.0 | -15.5 | -7.3 | -22.0 | -14.1 | -7.8 | -13.7 |
| (ख) सरकारी ⁴ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| (i) प्राप्तियाँ | . | 108.4 | 178.6 | 158.3 | 250.3 | 188.4 | 175.2 | 286.4 | 231.9 | 194.7 |
| (ii) अदायगियाँ | . | 96.7 | 166.4 | 72.5 | 115.0 | 118.5 | 135.7 | 278.7 | 98.7 | 190.3 |
| (iii) निवल | . | 11.7 | 12.2 | 85.8 | 135.3 | 69.9 | 39.5 | 7.7 | 133.2 | 4.4 |
| (ग) क्रूण परिणोदित सम्बन्धी अदायगियाँ (सकल) ⁵ | . | -60.3 | -84.7 | -143.8 | -193.8 | -184.3 | -215.5 | -231.0 | -249.7 | -286.8 |
| (घ) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निविसे रुपयों की फिर से खरीद | . | -60.7 | -35.7 | -43.1 | -43.2 | -58.5 | -125.4 | -154.0 | — | — |
| (ङ) बैंकों की पूंजी (निवल) | . | -2.5 | 2.6 | 5.7 | 10.3 | -12.0 | 25.8 | 1.2 | 15.5 | -7.0 |
| 8. भूल-चूक | . | 7.8 | -12.4 | 13.4 | -74.8 | -113.7 | -14.5 | -78.7 | -65.2 | — |

(6 से 8)

जिसकी वित्त व्यवस्था इस प्रकार की जायगी :

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|--------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | -467.5 | -782.1 | -1157.8 | -1132.9 | -813.4 | -639.6 | -942.7 | -749.6 | -723.8 |
| 10. | विदेशी सहायता— | | | | | | | | | | |
| (क) | ऋण (पी० एल० 480 के ऋणों को छोड़कर) | | 225.3 | 471.1 | 598.4 | 755.0 | 637.8 | 614.7 | 632.2 | 651.9 | 611.8 |
| (ख) | अनुदान (पी० एल० 480 शीर्षक 1 के अनुदानों को छोड़कर) | | 30.5 | 43.5 | 124.6 | 88.2 | 95.8 | 73.4 | 96.5 | 112.9 | 78.5 |
| (ग) | पी० एल० 480 शीर्षक I (सकल) | | 86.3 | 250.3 | 309.0 | 292.9 | 117.9 | 94.8 | 49.9 | 8.6 | 0.1 |
| जोड़ (क+ख+ग) | | | 342.1 | 764.9 | 1032.0 | 1136.1 | 851.5 | 782.9 | 778.6 | 773.4 | 690.4 |
| 11. | अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से निकासियां (सकल) | | 119.1 | 65.5 | 89.3 | 67.6 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 12. | एस०डी०आर० का नियतन | | .. | .. | .. | .. | .. | 94.5 | 75.4 | 74.7 | .. |
| 13. | प्रारक्षित निधि में कमी (+) वृद्धि (-) | | 6.3 | -48.3 | 36.5 | -70.8 | -38.1 | -237.8 | 88.7 | -98.5 | 33.4 |
| जोड़ (10 से 13) | | | 467.5 | 782.1 | 1157.8 | 1132.9 | 813.4 | 639.6 | 942.7 | 749.6 | 723.8 |

टिप्पणी :—इस सारणी में कुछ मर्दों के संबंध में दिये गये आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित इसी प्रकार के आंकड़ों से मेल नहीं खाते। यह अन्तर उपर्युक्त सारणी में पी० एल० 480 सहायता संबंधी प्राप्तियां और अदायगियां से समायोजन करने के कारण है। ये प्राप्तियां और अदायगियां क्रमशः विदेशी सहायता और आयात के अन्तर्गत एक साथ दी गयी हैं और खाते के अन्य शीर्षकों में से निकाल दी गयी हैं। उपर्युक्त सारणी में भुगतान शेष संबंधी जो आंकड़े दिये गये हैं वे आर्थिक समीक्षा के 1966-67 से पहले के संकरणों में समायोजित भुगतान-शेष की सारणियों से मिलते हैं। उपर्युक्त सारणी में विदेशी ऋणों के ब्याज और मूल की अदायगियों में (पहले के संस्करणों के विपरीत) रूपयों में चुकाये जाने वाले ऋणों की वापसी अदायगियां शामिल हैं।

1. इसमें पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात की गयी वस्तुओं का खर्च शामिल नहीं है जो शुरू में भारत द्वारा दिया जाता है लेकिन बाद में अमरीका द्वारा लौटा दिया जाता है।
2. इसमें पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात की गयी वस्तुओं के खर्च की प्राप्ति जो शुरू में भारत द्वारा दिया जाता है लेकिन बाद में अमरीका द्वारा लौटा दिया जाता है और पी० एल० 480 के शीर्षक 1 की निधि से संयुक्त राज्य अमरीका के राजदूतावास द्वारा किया जाने वाला व्यय और पी० एल० 665 के अन्तर्गत प्राप्त विविध रकमें शामिल नहीं हैं। इनमें कोलम्बो आयोजना पी० एल० 480 शीर्षक 1, 2 और 3 आदि के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान भी शामिल नहीं हैं।
3. विदेशी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत गैर-सरकारी क्षेत्र को दिये जाने वाले ऋणों से जिनमें कूले निधि से लिये गये ऋण भी शामिल हैं, ली गयी रकमों के रूप में प्राप्तियां तथा उनके अनुरूप भुगतान संबंधी अदायगियां मद संख्या 7(क) (i) तथा 7(क) (ii) में सम्मिलित नहीं हैं और वे क्रमशः मद 10(क) तथा 7(ग) में सम्मिलित हैं।
4. इनमें वे सभी सरकारी पूँजी संबंधी लेन-देन शामिल हैं। जिन्हें अलग से नहीं दिखाया गया है परन्तु पी० एल० 480/665 की शेष जमा रकमों की घट-बढ़ शामिल नहीं है।
5. इन आंकड़ों में इस दृष्टि से समायोजन किया गया है कि कूले निधि की रकमों में, ऋणों के तौर पर तथा इस निधि में अन्य खातों में किए जाने वाले अन्तरणों के कारण होने वाले वितरणों के आधार पर जो घट-बढ़ हो, वह इनमें शामिल नहीं हो।
6. रूपयों में किये जाने वाले भुगतान का व्यौरा इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपयों में)

| रुपयों में भुगतान (रुपया अदायगी क्षेत्र से मिलते) | 1961-62 | 1965-66 | 1966-67 | 1967-68 | 1968-69 | 1969-70 | 1970-71 | 1971-72 | 1972-73 | |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1. विदेशी ऋणों पर ब्याज और सेवा प्रभार | . . . | 7.8 | 28.7 | 40.1 | 52.0 | 59.7 | 62.1 | 50.6 | 49.5 | 48.8 |
| 2. भुगतान सम्बन्धी अदायगियां | . . . | 4.1 | 14.7 | 25.3 | 28.6 | 31.1 | 33.2 | 34.5 | 46.2 | 36.9 |

*मई 1966 के अन्त तक विदेशी मुद्रा के सभी लेन-देनों को अवमूल्यन पूर्व की विनियम दरों के हिसाब से और उसके बाद के लेन-देनों को विनियम की वर्तमान दरों के हिसाब से रूपयों में परिवर्तित किया गया है।

**पी० एल० 480 शीर्षक I जिसे आयात के अन्तर्गत मद 1(क) और विदेशी सहायता मद 10(ग) के सामने दिखाया गया है, वस्तु सहायता का दोतक है, जो रूपयों में देय होती है। पी० एल० 480 परंतरनीय मुद्रा सहायता मद 10(क) में और उसके आधार पर किया गया आयात मद 10(ख) में सम्मिलित है।

6. भुगतान शेष

6.3 : भारत का भुगतान शेष (समंजित)*

| तीसरी आयोजना वार्षिक ग्रौसत | 1967-68 | | 1969-70 | | 1970-71 | | 1971-72 | | 1972-73 | | | |
|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | करोड़ रुपयों में | दस लाख डालरों में | करोड़ रुपयों में | दस लाख डालरों में | करोड़ रुपयों में | दस लाख डालरों में | करोड़ रुपयों में | दस लाख डालरों में | करोड़ रुपयों में | दस लाख डालरों में | करोड़ रुपयों में | दस लाख डालरों में |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. आयात—लागत बीमा, भाड़ा, महिने | | | | | | | | | | | | |
| (क) पी० एल० 480 शीषक | 1209.6 | 2540.2 | 2055.7 | 2740.9 | 1582.3 | 2109.7 | 1720.4 | 2293.9 | 1993.6 | 2678.0 | 2146.5 | 2862.0 |
| (ख) अन्य | 170.9 | 358.9 | 292.9 | 390.6 | 94.8 | 126.4 | 49.9 | 66.5 | 8.6 | 11.5 | 0.1 | 0.1 |
| 2. निर्यात—जहाज तक निःशुल्क | 1038.7 | 2181.3 | 1762.8 | 2350.3 | 1487.5 | 1983.3 | 1670.5 | 2227.4 | 1985.0 | 2666.5 | 2146.4 | 2861.9 |
| 3. व्यापार शेष (2-1) | 747.2 | 1569.1 | 1257.9 | 1677.2 | 1403.9 | 1871.8 | 1402.7 | 1870.3 | 1555.4 | 2090.9 | 1895.5 | 2527.3 |
| 4. मुद्रा से भिन्न सोने का लेने देन (निवल) | -462.4 | -971.1 | -797.8 | -1063.7 | -178.4 | -237.9 | -317.7 | -423.6 | -438.2 | -587.1 | -251.0 | -334.7 |
| 5. अदृश्य | | | | | | | | | | | | |
| (i) प्राप्तियां ² | 182.5 | 383.2 | 287.7 | 383.6 | 327.0 | 436.0 | 333.6 | 444.8 | 366.3 | 492.3 | 388.6 | 518.1 |
| (ii) अदायगियां ³ | 236.8 | 497.2 | 441.1 | 588.1 | 476.1 | 634.8 | 502.8 | 670.4 | 503.7 | 677.6 | 526.7 | 702.2 |
| जिनमें विदेशी क्रहणों का व्याज और सेवा सम्बन्धी अदायगियां ⁴ | (68.4) | (143.6) | (169.8) | (226.4) | (189.6) | (252.8) | (203.0) | (270.7) | (198.7) | (267.4) | (217.9) | (290.5) |
| (iii) निवल | -54.3 | -114.0 | -153.4 | -204.5 | -149.1 | -198.8 | -169.2 | -255.6 | -137.4 | -185.3 | -138.1 | -184.1 |
| 6. चालू खाता (निवल) | -513.5 | -1078.4 | -951.2 | -1268.2 | -327.5 | -436.7 | -473.8 | -631.7 | -575.6 | -772.4 | -389.1 | -518.8 |
| 7. पूँजीगत लेने-देन | | | | | | | | | | | | |
| (क) गैर सरकारी ⁵ | | | | | | | | | | | | |
| (i) प्राप्तियां | 34.4 | 72.2 | 29.5 | 39.3 | 11.7 | 15.6 | 15.7 | 20.9 | 13.4 | 17.9 | 9.9 | 13.2 |
| (ii) अदायगियां | 41.6 | 87.3 | 45.0 | 60.0 | 33.7 | 44.9 | 29.8 | 39.7 | 21.2 | 28.5 | 23.6 | 31.5 |
| (iii) निवल | -7.2 | -15.1 | -15.5 | -20.7 | -22.0 | -29.3 | -14.1 | -18.8 | -7.8 | -10.6 | -13.7 | -18.3 |
| (ख) सरकारी ⁴ | | | | | | | | | | | | |
| (i) प्राप्तियां | 99.5 | 208.9 | 250.3 | 333.7 | 175.2 | 233.6 | 286.4 | 381.9 | 231.9 | 311.7 | 194.7 | 259.6 |
| (ii) अदायगियां | 72.6 | 152.4 | 115.0 | 153.3 | 135.7 | 180.9 | 278.7 | 371.6 | 98.7 | 132.6 | 190.3 | 253.7 |
| (iii) निवल | 26.9 | 56.5 | 135.3 | 180.4 | 39.5 | 52.7 | 7.7 | 10.3 | 133.2 | 179.1 | 4.4 | 5.9 |
| (ग) परिशेष्ठन—सम्बन्धी अदायगियां | | | | | | | | | | | | |
| (कुल) ⁶ | -66.5 | -139.7 | -193.8 | -258.4 | -215.5 | -287.3 | -231.0 | -308.0 | -249.7 | -336.2 | -286.8 | -382.4 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|
| (घ) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि से रूपयों की पुनःखरीद | -33.6 | -70.5 | -43.2 | -57.6 | -125.4 | -167.2 | -154.0 | -205.3 | — | — | — | — | — | |
| (इ) बैंकों की पंजी 5 (निवल) | -0.8 | -1.7 | 10.3 | 13.7 | 25.8 | 34.4 | 1.2 | 1.6 | 15.5 | 21.0 | -7.0 | -9.3 | — | |
| 8. भूल चूक | -20.3 | -42.6 | -74.8 | -99.7 | 14.5 | 19.3 | -78.7 | 105.0 | -65.2 | -86.4 | -31.6 | -42.1 | — | |
| 9. कुल घाटा (6 से 8 तक) जिसकी वित्त व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी | • | • | -615.0 | -1291.5 | -1132.9 | -1510.5 | -639.6 | -852.7 | -942.7 | -1256.9 | -749.6 | -1005.5 | -723.8 | -965.0 |
| 10. विदेशी सहायता | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (क) ऋण (पी० एल० 480 के रूपयों को छोड़कर) | • | 364.8 | 766.1 | 755.0 | 1006.7 | 614.7 | 819.5 | 632.2 | 842.9 | 651.9 | 875.1 | 611.8 | 815.7 | — |
| (ख) अनुदान (पी० एल० 480 शीर्षक 1 के अनुदानों को छोड़कर) | 29.3 | 61.5 | 88.2 | 117.6 | 73.4 | 97.9 | 96.5 | 128.7 | 112.9 | 151.6 | 78.5 | 104.7 | — | 115 |
| (ग) पी० एल० 480 शीर्षक 1 (सकल) | • | 170.9 | 358.9 | 292.9 | 390.5 | 94.8 | 126.4 | 49.9 | 66.5 | 8.6 | 11.4 | 0.1 | 0.1 | — |
| जोड़ (क+ख+ग) | • | 565.0 | 1186.5 | 1136.1 | 1514.8 | 782.9 | 1043.8 | 778.6 | 1038.1 | 773.4 | 1038.1 | 690.4 | 920.5 | — |
| 11. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि से निकासियां (सकल) | 48.8 | 102.5 | 67.6 | 90.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12. विशेष आहरण अधिकारों का नियतन | — | — | — | — | 94.5 | 126.0 | 75.4 | 100.5 | 74.7 | 102.6 | — | — | — | — |
| 13. प्रारक्षित निधि में कमी (-) वृद्धि (+) | 1.2 | 2.5 | -70.8 | -94.4 | -237.8 | -317.1 | 88.7 | 118.3 | -98.5 | -135.2 | 33.4 | 44.5 | — | — |
| जोड़ (10 से 13) | 615.0 | 1291.5 | 1132.9 | 1510.5 | 639.6 | 852.7 | 942.7 | 1256.9 | 749.6 | 1005.5 | 723.8 | 965.0 | — | — |

1. पाद-टिप्पणियां सारणी 6, 2 में देखिए।

टिप्पणी:-डॉलर की रकम निम्नलिखित विनियम-दर के आधार पर निर्धारित की गयी है:

मई 1966 तक 1 डॉलर = 4.76 रुपये

दिसम्बर 1971 तक 1 डॉलर = 7.50 रुपये

जनवरी-मार्च 1972 के लिए 1 डॉलर = 7.28 रुपये

1972-73 के लिए 1 डॉलर = 7.50 रुपये

6. भुगतान शेष

6.4 : भारत का भुगतान शेष : चालू खाते की अदृश्य मदें
 (अनुदानों को छोड़ फ्र.)

| तीसरी आयोजना का वार्षिक औसत | 1967-68 | | 1968-69 | | 1969-70 | | 1970-71 | | 1971-72 | | 1972-73 | |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | संपोषित | | अनन्ति | |
| | करोड़ रुपये | दस लाख डालर | करोड़ रुपये | दस लाख डालर | करोड़ रुपये | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| 1. विदेश यात्रा— | . | . | | | | | | | | | | |
| प्राप्ति | . | 16.0 | 33.6 | 20.1 | 26.8 | 4.9* | 31.7@ | 27.9@ | 31.5@ | 37.9@ | | |
| अदायगी | . | 11.0 | 23.1 | 15.0 | 20.0 | 14.4 | 15.2 | 17.8 | 19.5 | 19.3 | | |
| निवल | . | 5.0 | 10.5 | 5.1 | 6.8 | —9.5 | 16.5 | 10.1 | 12.0 | 18.6 | | |
| 2. परिवहन— | . | . | | | | | | | | | | |
| प्राप्ति | . | 52.9 | 111.1 | 94.0 | 125.3 | 99.3 | 100.4 | 106.5 | 111.7 | 121.7 | | |
| अदायगी | . | 28.7 | 60.3 | 59.7 | 79.6 | 65.1 | 72.0 | 78.4 | 68.3 | 71.0 | | |
| निवल | . | 24.2 | 50.8 | 34.3 | 45.7 | 34.2 | 28.4 | 28.1 | 43.4 | 50.7 | | |
| 3. बीमा— | . | . | | | | | | | | | | |
| प्राप्ति | . | 8.4 | 17.6 | 12.4 | 16.5 | 12.7 | 12.9 | 11.7 | 13.5 | 16.7 | | |
| अदायगी | . | 5.4 | 11.3 | 6.8 | 9.0 | 9.1 | 13.4 | 12.2 | 18.5 | 12.2 | | |
| निवल | . | 3.0 | 6.3 | 5.6 | 7.5 | 3.6 | —0.5 | —0.5 | —5.0 | 4.5 | | |
| 4. पूँजी से आय | . | . | | | | | | | | | | |
| प्राप्ति | . | 11.2 | 23.5 | 20.1 | 26.8 | 25.8 | 33.8 | 48.5 | 35.0 | 29.6 | | |
| अदायगी | . | 106.4 | 223.4 | 230.6 | 307.5 | 239.7 | 251.6 | 274.2 | 262.4 | 285.7 | | |
| जिनमें से विदेशी ऋणों और | | | | | | | | | | | | |
| उद्धार ली गयी रकमों का | | | | | | | | | | | | |
| ब्याज और उनकी सेवा— | | | | | | | | | | | | |
| संबंधी अदायगियां | . | (68.4) | (143.6) | (169.8) | (226.3) | (184.0) | (189.6) | (203.0) | (198.7) | (217.9) | | |
| निवल | . | —95.2 | —199.9 | —210.5 | —280.7 | —213.9 | —217.8 | —225.7 | —227.4 | —256.1 | | |
| 5. सरकार की | | | | | | | | | | | | |
| प्राप्ति 1 | . | 15.1 | 31.7 | 24.2 | 32.3 | 24.4 | 16.6 | 16.7 | 15.9 | 21.5 | | |
| अदायगी जो अन्यतः | | | | | | | | | | | | |
| शामिल नहीं है 2 | . | 20.8 | 43.7 | 24.6 | 32.8 | 21.0 | 23.5 | 23.0 | 24.0 | 22.7 | | |
| निवल | . | —5.7 | —12.0 | —0.4 | —0.5 | 3.4 | —6.9 | —6.3 | —8.1 | —1.2 | | |
| 6. विविध— | | | | | | | | | | | | |
| प्राप्ति 3 | . | 28.2 | 59.2 | 44.3 | 59.1 | 59.7 | 41.7 | 40.8 | 45.0 | 55.1 | | |
| अदायगी | . | 44.9 | 94.3 | 67.4 | 89.9 | 72.6 | 69.4 | 77.6 | 80.4 | 84.0 | | |
| निवल | . | —16.7 | —35.1 | —23.1 | —30.8 | —12.9 | —27.7 | —36.8 | —35.4 | —28.9 | | |
| 7. अन्तरण से की गयी अदायगी | | | | | | | | | | | | |
| (क) सरकारी | | | | | | | | | | | | |
| प्राप्ति | . | 0.7 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | .. | 0.3 | 1.0 | 1.9 | 2.0 | | |
| अदायगी | . | 4.4 | 9.2 | 18.1 | 24.1 | 16.7 | 16.8 | 6.4 | 18.3 | 20.5 | | |
| निवल | . | —3.7 | —7.7 | —18.0 | —24.0 | —16.7 | —16.5 | —5.4 | —16.4 | —18.5 | | |
| (ख) गैर-सरकारी | | | | | | | | | | | | |
| प्राप्ति | . | 49.9 | 104.8 | 72.5 | 96.7 | 93.6 | 89.8 | 80.5 | 111.8 | 104.1 | | |
| अदायगी | . | 15.2 | 31.9 | 18.9 | 25.2 | 16.3 | 14.2 | 13.2 | 12.3 | 11.3 | | |
| निवल | . | 34.7 | 72.9 | 53.6 | 71.5 | 77.3 | 75.6 | 67.3 | 99.5 | 92.8 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 8. जोड़ (1 से 7 तक) | | | | | | | | | |
| प्राप्ति | 182.5 | 383.2 | 287.5 | 383.6 | 320.5 | 327.0 | 333.6 | 366.3 | 388.6 |
| अदायगी | 236.8 | 497.2 | 441.1 | 588.1 | 454.9 | 476.1 | 502.8 | 503.7 | 526.7 |
| निवल | — 54.3 | — 114.0 | — 153.6 | — 204.5 | — 134.4 | — 149.1 | — 169.2 | — 137.4 | — 138.1 |

- इसमें पी० एल० 480 के अन्तर्गत किये जाने वाले आयात का खर्च शामिल नहीं किया गया है जो शुरू में तो भारत द्वारा दिया जाता है लेकिन बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लौटा दिया जाता है। इसमें पी० एल० 480 प्रतिरूप निधि में से संयुक्त राज्य अमेरिका के दूतावास द्वारा किये जाने वाले खर्च की रकमें भी शामिल नहीं हैं।
- इसमें सिन्धु नदी जल सन्धि की शर्तों के अवधीन भारत के अंशदान के रूप में सिन्धु नदी क्षेत्र विकास निधि में 1961-62, 1962-63 और 1963-64 इन तीनों वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में 8.3 करोड़ रुपयों की दी गई धनराशि शामिल है।
- इसमें पी० एल० 665 निधि से मिलने वाली रकम शामिल नहीं की गयी है।
- इसमें सिन्धु नदी जल सन्धि की शर्तों के अनुसार सिन्धु नदी-क्षेत्र विकास निधि में भारत के अंशदान के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को 1964-65 और 1965-66 में अदा की गई 8.3 करोड़ रुपये की रकम तथा 1968-69 और 1969-70 में 11.2 करोड़ रुपये की रकम शामिल है।

टिप्पणी:— (1) इस सारणी में जो जानकारी दी गयी है वह सारणी 6.3 की मद 5 का व्यौरा है।
(2) मई, 1966 के अन्त तक विदेशी मुद्रा में किये गये सभी लेन-देनों को अवमूल्यन से पहले की विनिमय दर के अनुसार तथा इसके बाद के लेन-देनों को चालू विनिमय दर के अनुसार रुपयों में बदल कर दिखाया गया है।
(3) संभव है कि पूर्णांकन के कारण इन मदों का जोड़ दिये गये जोड़ से हमेशा मेल न खाये।
(@) अनन्तिम अनुमान। * 1968-69 के आंकड़े पूरे नहीं हैं।

6. भुगतान शेष

6.5: भारत का भुगतान शेष : पूंजी खाते की कुछ मदें

| तीसरी आयोजना का वार्षिक औसत | 1967-68 | | 1968-69 | | 1969-70 | | 1970-73 | | 1971-72 | | 1972-73 | |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | करोड़ रुपयों में | दस लाख डालरों में | करोड़ रुपयों में | दस लाख डालरों में | करोड़ रुपयों में | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| 1. गैर-नसरकारी (गैर-बैंकिंग) | | | | | | | | | | | | |
| प्राप्ति | . | 34.4 | 72.2 | 29.5 | 39.3 | 20.1 | 11.7 | 15.7 | 13.4 | 9.9 | | |
| अदायगी | . | 41.6 | 87.3 | 45.0 | 60.0 | 27.4 | 33.7 | 29.8 | 21.2 | 23.6 | | |
| निवल | . | --7.2 | --15.1 | --15.5 | --20.7 | --7.3 | --22.0 | --14.1 | --7.8 | --13.7 | | |
| (क) दोषावधिक | | | | | | | | | | | | |
| प्राप्ति | . | 29.1 | 61.1 | 20.7 | 27.6 | 13.9 | 8.3 | 14.5 | 12.6 | 9.4 | | |
| अदायगी | . | 35.0 | 73.5 | 33.2 | 44.3 | 24.8 | 31.6 | 27.5 | 18.9 | 22.5 | | |
| निवल | . | --5.9 | --12.4 | --12.5 | --16.7 | --10.9 | --23.3 | --13.0 | --6.3 | --13.1 | | |
| (च) अल्पावधिक | | | | | | | | | | | | |
| प्राप्ति | . | 5.3 | 11.1 | 8.8 | 11.7 | 6.2 | 3.4 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | | |
| अदायगी | . | 6.6 | 13.8 | 11.8 | 15.7 | 2.6 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | | |
| निवल | . | --1.3 | --2.7 | --3.0 | --4.0 | --3.6 | 1.3 | --1.1 | --1.5 | --0.6 | | |
| 2. बैंकिंग (भारतीय रिजर्व बैंक को छोड़कर) | | | | | | | | | | | | |
| प्राप्ति | . | 47.0 | 98.7 | 147.8 | 197.0 | 39.6 | 59.3 | 50.2 | 55.3 | 73.1 | | |
| अदायगी | . | 47.8 | 100.4 | 137.5 | 183.3 | 51.6 | 33.5 | 49.0 | 39.8 | 80.1 | | |
| निवल | . | --0.8 | --1.7 | 10.3 | 13.7 | --12.0 | 25.8 | 1.2 | 15.5 | --7.0 | | |
| 3. सरकारी-विधि-- | | | | | | | | | | | | |
| प्राप्ति ¹ | . | 99.5 | 208.9 | 250.3 | 333.7 | 188.4 | 175.2 | 286.4 | 231.9 | 194.7 | | |
| अदायगी | . | 72.6 | 152.4 | 115.0 | 153.3 | 118.5 | 135.7 | 278.7 | 98.7 | 190.3 | | |
| निवल | . | 26.9 | 56.5 | 135.3 | 180.4 | 69.9 | 39.5 | 7.7 | 133.2 | 4.4 | | |
| 4. उपर्युक्त मदों का जोड़ | | | | | | | | | | | | |
| प्राप्ति | . | 180.9 | 379.8 | 427.6 | 570.0 | 248.1 | 246.2 | 352.3 | 300.6 | 277.7 | | |
| अदायगी | . | 162.0 | 340.1 | 297.5 | 396.6 | 197.5 | 202.9 | 357.5 | 159.7 | 294.0 | | |
| निवल | . | 18.9 | 39.7 | 130.1 | 173.4 | 50.6 | 43.3 | --5.2 | 140.9 | --16.3 | | |

¹इसमें ऋण के चुकाने पर मिली रकम शामिल है।

टिप्पणी :

- (i) इस सारणी में जो जातकारी दी गयी है वह सारणी 6.3 की मद संख्या 7(क), 7(ख) और 7(ड) का व्योरा है।
- (ii) मई, 1966 के अन्त तक विदेशी मुद्रा में किये गये सभी लेन-देनों को अवमूल्यन से पहले की विनियम दर के अनुसार तथा उसके बाद की अवधि के लेन-देनों को चालू विनियम दर के अनुसार रुपयों में बदल कर दिखाया गया है।
- (iii) सम्भव है कि पूर्णांकन के कारण इन मदों का जोड़ दिये गये जोड़ से हमेशा मेल न खाये।

6. भूगतान शेष

6.6 : आयात की गयी मुख्य वस्तुएं

(करोड़ रुपये—अवमूल्यन के बाद)

| वस्तुएं | 1960-61 | 1965-66 | 1969-70 | 1970-71 | 1971-72 | 1972-73 | 1973-74 | अप्रैल—सितम्बर | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|
| | | | | | | | | 1974-75 | 1973-74 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. उपभोक्ता वस्तुएं दालों से भिन्न अनाज और उनसे बनी वस्तुएं | 285.7 | 507.2 | 261.0 | 213.0 | 131.2 | 80.8 | 473.1 | 252.1 | 131.4 |
| | 285.7 | 507.2 | 261.0 | 213.0 | 131.2 | 80.8 | 473.1 | 252.1 | 131.4 |
| 2. कच्चा माल और मध्यवर्ती वस्तुएं (क) काजू (अपरिष्कृत) (ख) गोला (ग) कच्चा रबड़ (कृतिम रबड़ और रबड़ की पुरानी वस्तुओं से फिर से तैयार किये गये रबड़ सहित) | 776.1 | 776.6 | 757.5 | 891.1 | 1077.4 | 1092.4 | 1646.7 | 1275.3 | 624.0 |
| | 15.1 | 23.7 | 27.6 | 29.4 | 27.9 | 31.8 | 28.8 | 21.4 | 13.6 |
| | 18.3 | 9.9 | 2.8 | 3.2 | 1.7 | 0.7 | नगण्य | — | नगण्य |
| | 17.0 | 3.5 | 9.6 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 3.2 | 1.9 |
| (घ) रेणे (1) कच्चा ऊन (2) कपास (3) कच्चा जट | 159.6 | 121.6 | 111.1 | 126.7 | 138.2 | 114.9 | 92.8 | 34.5 | 58.4 |
| | 16.4 | 8.1 | 16.5 | 15.1 | 11.8 | 8.9 | 16.1 | 14.1 | 6.4 |
| | 128.8 | 72.8 | 82.8 | 98.8 | 113.4 | 90.9 | 52.0 | 14.1 | 32.8 |
| | 12.0 | 8.8 | 1.1 | 0.1 | — | 1.1 | 12.2 | 1.7 | 11.4 |
| (अ) पैटेलियम तेल और चिकनाई के पदार्थ | 109.1 | 107.5 | 137.9 | 135.9 | 194.1 | 204.0 | 560.3 | 586.5 | 152.6 |
| (च) प्राणिजन्य और वन- स्पतिजन्य तेल और चिकनाई | 7.2 | 24.2 | 29.6 | 38.5 | 46.5 | 24.9 | 64.9 | 24.9 | 21.4 |
| (इ) उर्वरक और रसाय- निक पदार्थ | 140.9 | 183.7 | 214.5 | 216.5 | 240.9 | 281.8 | 389.3 | 293.6 | 148.0 |
| (1) उर्वरक और उर्वरक पदार्थ | 23.4 | 81.4 | 117.3 | 99.9 | 111.3 | 145.7 | 226.1 | 194.0 | 78.0 |
| (2) रसायनिक पदार्थ और धौगिक | 61.8 | 56.5 | 67.4 | 68.0 | 71.8 | 91.4 | 105.3 | 66.4 | 44.5 |
| (3) रंगने, चमड़ा कमाने और रंग करने के पदार्थ | 20.3 | 10.4 | 7.1 | 9.2 | 8.4 | 9.1 | 10.3 | 6.1 | 5.1 |
| (4) ग्रौषधीय और भेषज उत्पाद | 16.5 | 13.8 | 18.3 | 24.3 | 26.6 | 23.2 | 26.4 | 16.2 | 12.5 |
| (5) प्लास्टिक पदार्थ, पुनरुत्पादित सेल- लोस और कृतिम राल | 9.0 | 9.1 | 8.4 | 8.1 | 9.2 | 11.9 | 15.2 | 8.2 | 6.9 |
| (ज) लुगड़ी और रही कागज़ | 10.6 | 8.8 | 12.5 | 12.3 | 9.6 | 10.1 | 9.3 | 5.7 | 6.6 |
| (झ) कागज़, गत्ता और उससे बनी वस्तुएं | 19.1 | 21.1 | 23.7 | 25.1 | 34.9 | 31.4 | 28.9 | 24.0 | 14.3 |
| (ञ) धातु-भिन्न खनिज से निर्मित वस्तुएं | 11.7 | 10.0 | 32.2 | 33.3 | 40.0 | 54.2 | 86.2 | 33.8 | 40.9 |
| (ट) लोहा और इस्पात | 193.0 | 154.3 | 81.5 | 147.0 | 237.6 | 225.8 | 242.6 | 163.5 | 104.7 |
| (ठ) अलौह धातुएं | 74.5 | 108.3 | 74.5 | 119.4 | 102.4 | 109.1 | 139.7 | 84.2 | 61.6 |
| 3. पूर्जीगत माल | 560.5 | 803.7 | 403.2 | 404.0 | 482.7 | 550.8 | 650.5 | 331.4 | 293.7 |
| (क) धातु से बनी वस्तुएं | 36.1 | 28.6 | 7.3 | 9.3 | 12.1 | 18.8 | 21.5 | 12.6 | 9.1 |
| (ख) विजली की मशीनों, उपकरणों | 320.3 | 525.7 | 280.4 | 257.8 | 270.9 | 297.9 | 416.5 | 205.6 | 190.5 |
| से भिन्न मशीनें, उप- करण आदि | 90.1 | 138.3 | 64.3 | 70.4 | 105.1 | 134.0 | 124.1 | 66.4 | 54.0 |
| (ग) विजली की मशीनें, उपकरण आदि | 114.0 | 111.1 | 51.2 | 66.5 | 94.6 | 100.1 | 88.4 | 46.8 | 40.1 |
| 4. अन्य अवर्गीकृत वस्तुएं | 172.7 | 130.9 | 160.4 | 126.1 | 133.2 | 143.4 | 150.6 | 74.2 | 62.6 |
| जोड़ | 1795.0 | 2218.4 | 1582.1 | 1634.2 | 1824.5 | 1867.4 | 2920.9 | 1933.0 | 1111.7 |

नोट—भारत के विदेशी व्यापार के मासिक आंकड़े महानिदेशालय वाणिज्यिक सूचना तथा सांख्यिकीय, कलकत्ता से प्राप्त

6. भुगतान शेष

6.7 निर्यात की गयी मुख्य वस्तुएं

| वस्तुएं | मात्रा इकाई | 1960-61 | | 1965-66 | | 1969-70 | | 1970-71 | |
|------------------------|---------------------|------------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| | | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. जूट से बनी वस्तुएं | हजार मेट्रिक टन | 799 | 212.9 | 900 | 288.0 | 571 | 206.7 | 561 | 190.4 |
| 2. चाय | दस लाख किलोग्राम | 199 | 194.7 | 197 | 180.9 | 174 | 124.5 | 199 | 148.3 |
| 3. सूती कपड़ा | मूल्य | | 90.6 | | 87.4 | | 69.7 | | 75.3 |
| (i) मिल का बना | दस लाख वर्ग मीटर | 602 | 83.1 | 513 | 74.3 | 406 | 62.4 | 415 | 67.5 |
| (ii) हाथकरघा का बना | दस लाख मीटर | 26 | 7.5 | 40 | 13.1 | 27 | 7.3 | 28 | 7.8 |
| 4. नारियल के रेशे | हजार मेट्रिक टन | 71 | 13.7 | 70 | 16.6 | 54 | 13.4 | 49 | 13.0 |
| तथा उससे बनी | वस्तुएं | | | | | | | | |
| 5. कच्चा लोड़ा | दस लाख मेट्रिक टन | 3 | 26.8 | 12 | 66.3 | 16 | 94.6 | 21 | 117.3 |
| 6. खाली | हजार मेट्रिक टन | 433 | 22.5 | 829 | 54.6 | 705 | 41.5 | 879 | 55.4 |
| 7. चमड़ा और चमड़े से | बनी वस्तुएं | मूल्य | | 39.3 | 44.8 | | 81.5 | | 72.2 |
| 8. काजू की फिरी | दस लाख किलोग्राम | 44 | 29.8 | 51 | 43.1 | 61 | 57.4 | 50 | 52.1 |
| 9. तम्बाकू | दस लाख किलोग्राम | 47 | 24.8 | 59 | 33.3 | 56 | 33.4 | 50 | 32.6 |
| 10. इंजीनियरी का भासान | मूल्य | | 13.4 | | 26.2 | | 102.5 | | 130.4 |
| 11. काफी | दस लाख किलोग्राम | 20 | 11.4 | 27 | 20.4 | 32 | 19.6 | 32 | 25.1 |
| 12. अध्रक | दस लाख किलोग्राम | 28 | 16.0 | 43 | 17.8 | 24 | 15.2 | 27 | 15.6 |
| 13. चीनी | हजार मेट्रिक टन | 56 | 3.8 | 311 | 16.5 | 82 | 8.6 | 348 | 27.6 |
| 14. काली पिरं | दस लाख किलोग्राम | 17 | 13.4 | 26 | 17.5 | 22 | 16.2 | 18 | 15.3 |
| 15. कच्चा मैग्नीज | हजार मेट्रिक टन | 1166 | 22.1 | 1352 | 17.4 | 1160 | 11.1 | 1636 | 14.0 |
| 16. खाली, विनाकमाई हुई | और रोपांदार खाली | मूल्य | | 14.9 | 15.0 | | 8.4 | | 3.8 |
| 17. कासाम | हजार मेट्रिक टन | 33 | 13.7 | 36 | 15.3 | 36 | 14.7 | 32 | 14.0 |
| 18. खनिज, ईंधन, चिक- | नाने के पदार्थ आदि. | मूल्य | | 11.7 | 14.7 | | 9.5 | | 12.6 |
| 19. लोहा और इस्पात | (लोहा भेगलीज और | | | | | | | | |
| लोहा पिंडित धातुओं | से बिन्द) | मूल्य | | 8.7 | 13.1 | | 64.2 | | 67.2 |
| 20. रसायन तथा सम्बद्ध | पदार्थ | मूल्य | | 5.4 | 14.4 | | 22.2 | | 29.4 |
| 21. मछली और मछलियों | से बनी वस्तुएं | दस लाख किलोग्राम | | 20 | 7.3 | 15 | 10.7 | 30 | 30.8 |
| 22. नकली रेशम और | उससे बना कपड़ा | दस लाख मीटर | | 27 | 5.0 | 45 | 7.6 | 15 | 3.6 |
| 23. जूते | दस लाख जोड़े | | | 5 | 4.9 | 9 | 8.2 | 12 | 9.0 |
| 24. बनस्पति तेल (सारीय | और असारीय) | दस लाख किलोग्राम | | 63 | 19.9 | 25 | 10.1 | 23 | 9.3 |
| जोड़—(भव्य वस्तुएं | | | 1039.8 | | 1268.9 | | 1413.3 | | 1535.2 |
| सहित) | | | | | | | | | |

स्रोत—भारत के विदेश व्यापार के मामिक आंकड़े—वाणिज्यिक सूचना और मांडियकी महानिवेशालय, कलकत्ता से प्राप्त

भुगतान शेष

करोड़ रुपयों में अवमूल्यन के बाद

अप्रैल—सितम्बर

| 1971-72 | | 1972-73 | | 1973-74 | | 1974-75 | | 1973-74 | |
|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| मात्रा | मूल्य |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 671 | 265.3 | 581 | 250.0 | 563 | 227.3 | 355 | 169.4 | 576 | 111.2 |
| 207 | 156.3 | 193 | 147.3 | 190 | 144.9 | 93 | 88.1 | 95 | 60.0 |
| | 76.6 | | 100.9 | | 192.2 | | 93.6 | | 77.3 |
| 382 | 66.6 | 449 | 84.4 | 646 | 160.1 | 217 | 77.3 | 305 | 64.6 |
| 29 | 10.0 | 47 | 16.5 | 68 | 32.1 | 30 | 16.3 | 29 | 12.7 |
| 47 | 13.4 | 47 | 14.3 | 46 | 15.3 | 20 | 8.1 | 20 | 6.8 |
| 20 | 104.7 | 21 | 109.8 | 24 | 132.8 | 8 | 49.3 | 10 | 55.2 |
| 742 | 40.2 | 1001 | 74.8 | 1225 | 170.6 | 377 | 43.6 | 635 | 90.5 |
| | 90.8 | | 174.5 | | 171.3 | | 76.5 | | 93.3 |
| 60 | 61.3 | 66 | 68.8 | 52 | 74.4 | 36 | 66.1 | 34 | 46.2 |
| 61 | 45.1 | 98 | 63.9 | 81 | 70.9 | 50 | 56.2 | 48 | 45.7 |
| | 122.3 | | 141.0 | | 201.3 | | 141.1 | | 75.9 |
| 36 | 22.1 | 51 | 32.9 | 53 | 46.0 | 28 | 32.8 | 31 | 26.4 |
| 23 | 15.4 | 27 | 16.6 | 26 | 13.0 | 14 | 9.2 | 14 | 4.2 |
| 317 | 30.2 | 102 | 13.3 | 249 | 42.2 | 241 | 100.7 | 43 | 5.6 |
| 19 | 14.8 | 20 | 14.3 | 32 | 29.5 | 9 | 11.7 | 12 | 10.1 |
| 1047 | 10.6 | 832 | 8.7 | 758 | 9.0 | 477 | 6.9 | 368 | 4.1 |
| | 0.7 | | 0.9 | | 1.5 | | 0.3 | | -- |
| 32 | 16.3 | 38 | 21.6 | 55 | 32.4 | 16 | 12.3 | 23 | 12.3 |
| | 11.6 | | 32.0 | | 15.3 | | 9.3 | | 5.7 |
| | 25.5 | | 23.1 | | 25.1 | | 3.6 | | 15.6 |
| | 30.4 | | 35.3 | | 49.3 | | 43.6 | | 17.1 |
| 33 | 42.0 | 35 | 54.5 | 47 | 88.4 | 17 | 31.8 | 22 | 41.7 |
| 25 | 7.5 | 25 | 13.7 | 77 | 33.9 | 18 | 10.7 | 25 | 8.2 |
| 15 | 11.6 | 14 | 12.6 | 14 | 13.2 | 8 | 9.1 | 5 | 4.9 |
| 25 | 11.5 | 55 | 29.6 | 40 | 37.0 | 37 | 33.3 | 24 | 21.2 |
| | 1608.2 | | 1970.8 | | 2483.2 | | 1514.6 | | 1074.8 |

6. भुगतान शेष

6.8 कुल अनुमानित सप्लाई में आयात का अंश

(क) अनुमानित कुल सप्लाई

(ख) अनुमानित कुल सप्लाई में आयात का प्रतिशत

| वस्तु | इकाई | 1950-51 | 1955-56 | 1960-61 | 1965-66 | 1969-70 | 1970-71 | 1971-72 | 1972-73 | 1973-74 | |
|--|--------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. अम्ब | (दस लाख मीट्रिक टन) | (क) 60.6 (ख) (5.9) | (71.9) (1.7) | (84.5) (4.7) | (86.9) (9.7) | (104.5) (3.9) | (107.2) (2.8) | (104.8) (1.8) | (104.3) (0.8) | (102.9) (4.3) | |
| 2. कपास | (प्रति 180 किलो-ग्राम की लाख गांठ) | (क) 39.9 (ख) (27.8) | (49.6) (12.3) | (58.4) (16.4) | (64.3) (10.9) | (66.2) (10.9) | (72.8) (11.1) | (73.3) (10.0) | (74.4)* (6.7) | (69.8†) (1.9) | |
| 3. चीनी मिलों की मशीनरी | (लाख रुपये) | (क) 100 (ख) (100.0) | 419 (95.2) | 545 (19.3) | 776 (0.8) | 1407 (1.2) | 1398 (0.6) | 1772 (0.1) | 1828 (0.4) | 2216 (0.3) | |
| 4. कपड़ा बनाने की मशीनें | (लाख रुपये) | (क) उपलब्ध नहीं (ख) उपलब्ध नहीं | 1233 | 3361 | 7507 | 5148 | 6759 | 7990 | 8588 | उपलब्ध नहीं | |
| | (फालू पुजों और सहायक उपकरणों समेत) @ | | | | | | | | | | |
| 5. मशीनी औजार धातु का काम | (लाख रुपये) | (क) 295 (ख) (89.8) | 528 (84.8) | 1990 (64.8) | 6093 (61.8) | 3880 (42.8) | 5192 (30.4) | 5969 (37.3) | 5890 (41.1) | उपलब्ध नहीं | |
| 6. लोहा और इस्पात | (हजार मीट्रिक टन) | (क) 1391 (ख) (25.2) | 2162 (39.9) | 3715 (35.7) | 5416 (16.7) | 5216 (8.0) | 5173 (13.4) | 5864 (22.9) | 6242 (19.6) | 5542 (18.3) | |
| 7. एल्युमिनियम | (हजार मीट्रिक टन) | (क) 14.7 (ख) (72.8) | 23.5 (68.5) | 43.7 (58.1) | 82.4 (25.6) | 137.6 (1.8) | 174.2 (3.7) | 203.2 (10.3) | 175.4 (1.0) | 149.5 (1.1) | |
| 8. सोडा ऐशा | (हजार मीट्रिक टन) | (क) 75 (ख) (40.0) | 154 (46.7) | 251.6 (39.6) | 366.7 (9.7) | 427.0 (नगण्य) | 449.8 (नगण्य) | 500.1 (2.2) | 486.0 (0.6) | 491.0 (0.6) | |
| 9. कास्टिक सोडा (हजार मीट्रिक टन) | (क) 34 (ख) (64.7) | 96 (62.5) | 139.8 (27.7) | 292.2 (25.4) | 354.0 (नगण्य) | 371.1 (नगण्य) | 388.7 (1.3) | 391.8 (0.2) | 429.5 (1.2) | | |
| 10. व्हीर्चिंग पाउडर (हजार मीट्रिक टन) | (क) 9.4 (ख) (61.7) | 8.2 (61.0) | 7.7 (20.8) | 9.2 (20.6) | 15.3 (नगण्य) | 14.3 (नगण्य) | 17.3 (नगण्य) | 19.9 (नगण्य) | 15.3 (नगण्य) | | |
| 11. साइकिल | (हजार) | (क) 264 (ख) (62.5) | 661 (22.4) | 1071 (नगण्य) | 1582 (नगण्य) | 1976 (नगण्य) | 2042 (नगण्य) | 1766 (नगण्य) | 2400 (नगण्य) | 2581 (नगण्य) | |
| 12. सिलाई की मशीनें | (हजार) | (क) 56 (ख) (41.1) | 125 (11.2) | 304 (0.3) | 433 (0.7) | 341 (0.3) | 236 (0.3) | 313 (0.3) | 335 (0.3) | 260 (0.5) | |
| 13. अखदारी कागज | (हजार मीट्रिक टन) | (क) 76 (100.0) | 84 (95.2) | 96 (76.0) | 115 (73.9) | 193 (80.4) | 181 (79.6) | 247 (83.8) | 194 (79.2) | 166 (70.5) | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------------------------------|------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 14. कागज और गत्ता आदि | (हजार मीट्रिक टन) (क) (ख) | 151 (23.2) | 260 (26.9) | 378 (7.4) | 584 (4.5) | 737 (1.8) | 770 (1.9) | 814 (1.4) | 755 (2.9) | 739 (2.3) |
| 15. अमोनियम सल्फेट | (हजार मीट्रिक टन) (क) (ख) | 423 (88.9) | 607 (34.1) | 755 (47.3) | 1273 (67.0) | 1278 (44.0) | 989 (16.1) | 1100 (13.5) | 1243 (14.8) | 1141 (7.1) |
| 16. हाथ का बुना सूत और धागा | (हजार मीट्रिक टन) (क) (ख) | उपलब्ध नहीं | 31.9 | 84.2 | 125.5 | 169.3 | 191.6 | 193.1 | 215.8 | 185.1 नहीं |

टिप्पणियां :— (1) कपास के सम्बन्ध में अनुमानित कुल सप्लाई के आंकड़े फसली/कृषि वर्षों के हैं। अन्न को कुन सःलाई का अनुमान कृषि वर्षों में हुए उत्पादन के आधार पर और इसके आयात के आंकड़ों का अनुमान वित्तीय वर्षों के आवार पर जगाया गया है।

(2) अन्न और कपास के आंकड़े वे तीन वर्षों का अर्थात् सम्बद्ध वर्ष के एक वर्ष पहले और एक वर्ष बाद के आंकड़ों का और विन्यु 1973-74 के आंकड़ों में दो वर्षों का अर्थात् 1972-73 और 1973-74 अन्न से सम्बन्धित और दिया गया है।

(3) अमोनिया सल्फेट का यह आयात केन्द्रीय उर्वरक भंडार के लिए किया गया।

(4) हाथ के बुने सूत और धागे के उत्पादन के आंकड़े कैनेप्डर वर्षों के हैं और इनके आयात के आंकड़े वित्तीय वर्षों के।

② आंकड़ों के स्रोत में परिवर्तन होने के परिणामस्वरूप 1965-66 के आंकड़ों की तुलना पहले के वर्षों के आंकड़ों के साथ पूरी तरह नहीं की जा सकती।

*अंशतः अनुमानित

+अनुमानित

7. विदेशी सहायता

7.1 : कुल विदेशी सहायता

(करोड़ रुपये)

| | ऋण | अनुदान | जोड़ (2+3) | पब्लिक ला 480/665 आदि | | कुल जोड़ |
|--|----|--------|---------------|-----------------------------------|--|----------------|
| | | | | रुपयों में चुकायी जाने वाली | परिवर्तनीय मुद्रा में चुकायी जाने वाली | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| क. स्वीकृत विदेशी सहायता : | | | | | | |
| तीसरी आयोजना के अन्त तक | . | . | 3,808.8 | 392.0 | 4,200.8 | 1,510.8 |
| 1966-67 | . | . | 1,034.1 | 79.7 | 1,113.8 | 392.7 |
| 1967-68 | . | . | 398.5 | 16.8 | 415.3 | 235.9 |
| 1968-69 | . | . | 753.1 | 68.4 | 821.5 | 71.6 |
| 1969-70 | . | . | 421.8 | 26.0 | 447.8 | 73.6 |
| 1970-71 | . | . | 705.4 | 56.5 | 761.9 | -- |
| 1971-72 | . | . | 774.5 | 36.0 | 810.5 | 22.5 |
| 1972-73 | . | . | 639.6 | 36.6 | 676.2 | -- |
| 1973-74 | . | . | 1,129.5 | 41.1 | 1,170.6 | -- |
| जोड़ | . | . | 9,665.3 | 753.1 | 10,418.0 | 2,307.1 |
| | | | | | | 330.4 13,055.9 |
| ख. उपयोग की गयी विदेशी सहायता : | | | | | | |
| तीसरी आयोजना के अन्त तक | . | . | 2,768.7 | 336.9 | 3,105.6 | 1,403.2 |
| 1966-67 | . | . | 674.7 | 97.1 | 771.8 | 359.6 |
| 1967-68 | . | . | 793.2 | 60.7 | 853.9 | 310.9 |
| 1968-69 | . | . | 679.8 | 65.2 | 745.0 | 84.5 |
| 1969-70 | . | . | 660.7 | 26.1 | 686.8 | 107.5 |
| 1970-71 | . | . | 658.9 | 43.5 | 702.4 | 37.7 |
| 1971-72 | . | . | 671.7 | 50.5 | 722.2 | 8.8 |
| 1972-73 | . | . | 649.9 | 12.0 | 661.9 | -- |
| 1973-74 | . | . | 828.6 | 20.7 | 849.3 | -- |
| जोड़ | . | . | 8,386.2 | 712.7 | 9,098.9 | 2,312.2 |
| | | | | | | 324.6 11,735.7 |

टिप्पणियाँ: 1. तीसरी आयोजना के अन्त तक अवमूल्यन से पूर्व की विनियम दर (1 डालर 4.7619 रुपये) और इसके पश्चात् 1970-71 तक अवमूल्यन के बाद की विनियम दर (1 डालर 7.50 रुपये) के अनुसार रुपये में परिवर्तित किये गये हैं। 1971-72 के लिये सहायता की स्वीकृत और उपयोग की गयी रकमों को रुपयों में बदलने के लिए भई, 1971 से पूर्व विनियम दरों रखी गयी हैं। 1972-73 के लिए रुपयों में दिये गये आंकड़े उन केन्द्रीय दरों के आधार पर लिये गये हैं जो दिसम्बर 1971 में मुद्रा सम्बन्धी पुनर्मूल्यन के बाद प्रतिलिपि थीं। 1973-74 से ऋण देने वाले प्रत्येक देश की मुद्रा को रुपयों में परिवर्तित करने के लिये उस देश की तिमाही और सत विनियम दर को मुद्रा में उपयोग करने के सम्बन्ध में तिमाही आंकड़ों को इस्तेमाल किया गया है। ऋण देने वाले देश की मुद्रा की रुपयों में विनियम की वार्षिक दरों को लागू करके अधिकृत आंकड़े निकाले गये हैं।

2. ऋण सम्बन्धी रकमों में वापस किये गये, पूरे कर दिये गये और रद्द किये गये ऋणों की रकमें शामिल नहीं हैं। पी० एल० 480 के मामले में रकम डूबे करारों की निवल रकमें हैं।
3. उपयोग सम्बन्धी आंकड़ों में सप्लायर के ऋण शामिल हैं जो कि अधिकृत सहायता के आंकड़ों में पूरी तरह से नहीं दिखाये गये हैं। इसमें रुस से मिली गेहूं सहायता के आंकड़े शामिल नहीं हैं।
4. सम्भव है कि पूर्णांकन के कारण इन मर्दों का जोड़, दिये गये जोड़ से मेल न खायें।
5. 1974-75 सम्बन्धी मुद्र्य निर्देशांक, सारणी 7.5 में दिये गये हैं।

7. विदेशी सहायता

7.2 : स्रोतों के अनुसार वर्गीकृत स्वीकृत विदेशी सहायता

(करोड़ रुपये)

| स्रोत | सहायता का स्वरूप | तीसरी आयोजना के अंत | सहायता | | | | | | | | |
|--|------------------------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | तक | 1966-67 | 1967-68 | 1968-69 | 1969-70 | 1970-71 | 1971-72 | 1972-73 | 1973-74 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. सहायता संघ के सदस्य | | | | | | | | | | | |
| (क) क्रष्ण | — | 5,048.5 | 1,188.7 | 699.1 | 943.0 | 627.6 | 759.1 | 962.9 | 676.2 | 1,069.2 | |
| (ख) अनुदान | — | 3,181.1 | 727.9 | 387.2 | 753.1 | 421.8 | 705.4 | 774.5 | 639.6 | 1,028.1 | |
| (ग) पी० एल० 480/665 | — | 356.6 | 68.1 | 8.4 | 64.6 | 19.3 | 53.7 | 33.7 | 36.6 | 41.1 | |
| आदि सहायता जिसे : | | | | | | | | | | | |
| (1) रुपयों में वापस करना है | — | 1,510.8 | 392.7 | 235.9 | 71.6 | 73.6 | — | 22.5 | — | — | |
| (2) परिवर्तनीय मुद्रा में वापस करना है | — | — | — | 67.6 | 53.7 | 112.9 | — | 96.2 | — | — | |
| देशवार व्यौरा : | | | | | | | | | | | |
| (1) आस्ट्रिया | क्रष्ण | 8.4 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 2.1 | 2.3 | |
| | अनुदान | — | — | — | 0.4 | 0.4 | 0.4 | — | — | — | |
| | जोड़ | 8.4 | 3.5 | 3.5 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 2.1 | 2.3 | |
| (2) बेल्जियम | क्रष्ण | 11.4 | — | 2.8 | 9.4 | 2.3 | 10.1 | 3.0 | 3.6 | 5.0 | |
| (3) कनाडा | क्रष्ण | 45.6 | 41.3 | 47.8 | 26.0 | 49.5 | 26.9 | 39.1 | 55.9 | 56.8 | |
| | अनुदान | 174.5 | 57.7 | 7.1 | 52.8 | 7.0 | 31.9 | 27.9 | 10.8 | 13.6 | |
| | जोड़ | 220.1 | 99.0 | 54.9 | 78.8 | 56.5 | 58.8 | 67.0 | 66.7 | 70.4 | |
| (4) डेनमार्क | क्रष्ण | 2.4 | 3.2 | 3.0 | 4.0 | — | — | — | 4.1 | — | |
| | अनुदान | — | — | — | — | 0.8 | — | — | 0.1 | — | |
| | जोड़ | 2.4 | 3.2 | 3.0 | 4.0 | 0.8 | — | — | 4.2 | — | |
| (5) कांस | क्रष्ण | 67.1 | 21.0 | — | 40.7 | — | 41.9* | 24.0 | 66.1 | 56.2 | |
| | अनुदान | — | — | — | — | 1.4 | — | — | — | — | |
| | जोड़ | 67.1 | 21.0 | — | 40.7 | 1.4 | 41.9 | 24.0 | 66.1 | 56.2 | |
| (6) पश्चिम जर्मनी | क्रष्ण | 442.5 | 48.2 | 48.8 | 45.4 | 46.8 | 51.8 | 51.4 | 58.3 | 87.3 | |
| | अनुदान | 2.7 | 1.7 | 0.6 | 4.0 | 6.5 | 3.5 | 3.9 | 5.0 | 6.7 | |
| | जोड़ | 445.2 | 49.9 | 49.4 | 49.4 | 53.3 | 55.3 | 55.3 | 63.3 | 94.0 | |
| (7) इटली | क्रष्ण | 81.0 | 23.3 | — | 4.1 | 17.5 | 6.0 | 6.0 | 10.1 | 13.6 | |
| (8) जापान | क्रष्ण | 165.4 | 33.3 | 39.0 | 33.8 | 33.8 | 24.3† | 110.1 | 59.1 | 96.3 | |
| | अनुदान | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | जोड़ | 165.9 | 33.3 | 39.0 | 33.8 | 33.8 | 24.3 | 110.1 | 59.1 | 96.3 | |
| (9) नीदरलैंड | क्रष्ण | 22.3 | 8.3 | 8.3 | 6.8 | 8.3 | 8.3 | 10.4 | 15.3 | 19.3 | |
| | अनुदान | — | — | — | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| | जोड़ | 22.8 | 8.3 | 8.3 | 7.2 | 8.8 | 8.8 | 10.9 | 15.8 | 19.9 | |
| (10) नार्वे | क्रष्ण | — | — | — | 1.5 | — | — | — | — | — | |
| | अनुदान | 5.1 | 2.2 | — | — | — | 1.3 | — | — | — | |
| | जोड़ | 5.1 | 2.2 | — | 1.5 | — | 1.3 | — | — | — | |
| (11) स्वीडन | क्रष्ण | 2.2 | 3.5 | — | 10.9 | — | 18.1 | 3.7 | 26.5 | 12.5 | |
| | अनुदान | 3.8 | 2.0 | — | 0.8 | — | — | — | 20.2 | 20.2 | |
| | जोड़ | 6.0 | 5.5 | — | 11.7 | — | 18.1 | 3.7 | 46.7 | 32.7 | |
| (12) ब्रिटेन | क्रष्ण | 356.2 | 75.9 | 59.4 | 64.8 | 98.1 | 84.8 | 98.1 | 108.8 | 164.6 | |
| | अनुदान | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 5.1 | 2.2 | 1.0 | 1.4 | — | — | |
| | जोड़ | 358.0 | 76.0 | 59.5 | 69.9 | 100.3 | 85.8 | 99.5 | 108.8 | 164.6 | |

| स्रोत | सहायता का स्वरूप | तीसरी आयोजना | | तक 1966-67 1967-68 1968-69 1969-70 1970-71 1971-72 1972-73 1973-74 | | | | | | | | |
|--|------------------|--------------|---------|--|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| (13) संयुक्त राज्य अमेरिका : | | | | | | | | | | | | |
| (क) क्रृष्ण . . | | 1,251.5 | | 235.6 | 144.6 | 400.1 | 35.0 | 264.9@ | 48.5 | 30.2 | 22.9 | |
| (ख) अनुदान . . | | 168.2 | | 4.4 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 15.1 | — | — | — | |
| (ग) पी० एल० 480/665 | | | | | | | | | | | | |
| आदि सहायता जिसे : | | | | | | | | | | | | |
| (1) रूपयों में वापस करना है . | | 1,510.8 | | 392.7 | 235.9 | 71.6 | 73.6 | — | 22.5 | — | — | |
| (2) परिवर्तनीय मुद्रा में वापस करना है . . | | — | | — | 67.6 | 53.7 | 112.9 | — | 96.2 | — | — | |
| जोड़ . . | | 2,930.5 | | 632.7 | 448.7 | 526.5 | 222.2 | 280.0 | 167.2 | 30.2 | 22.9 | |
| (14) अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक . . | | 449.5 | | 1.3 | 30.0 | 11.3 | 41.6 | 41.3 | 45.0 | — | 54.7 | |
| (15) अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण | | 275.1 | | 229.5 | — | 93.8 | 88.1 | 125.9 | 334.5 | 199.5 | 436.6 | |
| II. सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ तथा | | | | | | | | | | | | |
| पूर्वी यूरोप के देश . . | क्रृष्ण | 604.9 | | 306.2 | 11.3 | — | — | — | — | — | 80.0 | |
| | अनुदान | 5.4 | | 2.5 | 0.8 | 0.7 | — | — | — | — | — | |
| | जोड़ | 610.3 | | 308.7 | 12.1 | 0.7 | — | — | — | — | 80.0 | |
| देशबार व्यौरा | | | | | | | | | | | | |
| (1) बल्गारिया | क्रृष्ण | — | | — | 11.3 | — | — | — | — | — | — | |
| (2) चेकोस्लोवाकिया | क्रृष्ण | 61.1 | | — | — | — | — | — | — | — | 80.0 | |
| | अनुदान | 0.4 | | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | जोड़ | 61.5 | | — | — | — | — | — | — | — | 80.0 | |
| (3) हंगरी . . . | क्रृष्ण | — | | 25.0 | — | — | — | — | — | — | — | |
| (4) पोलैण्ड | क्रृष्ण | 36.1 | | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| (5) सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ . . . | क्रृष्ण | 489.6 | | 250.0 | — | — | — | — | — | — | — | |
| | अनुदान | 5.0 | | 2.5 | 0.8 | 0.7 | — | — | — | — | — | |
| | जोड़ | 494.6 | | 252.5 | 0.8 | 0.7 | — | — | — | — | — | |
| (6) यूगोस्लाविया | क्रृष्ण | 18.1 | | 31.2 | — | — | — | — | — | — | — | |
| III. अन्य | | | | | | | | | | | | |
| | क्रृष्ण | 22.9 | | — | — | — | — | — | — | — | 21.4 | |
| | अनुदान | 30.0 | | 9.1 | 7.6 | 3.2 | 6.7 | 2.8 | 2.3 | — | — | |
| | जोड़ | 52.9 | | 9.1 | 7.6 | 3.2 | 6.7 | 2.8 | 2.3 | — | 21.4 | |
| देशबार व्यौरा : | | | | | | | | | | | | |
| (1) आस्ट्रेलिया . . | अनुदान | 25.7 | | 8.9 | 7.6 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 2.3 | — | — | |
| (2) न्यूजीलैंड | अनुदान | 4.3 | | 0.2 | — | — | — | — | — | — | — | |
| (3) स्विटजरलैण्ड | क्रृष्ण | 22.9 | | — | — | — | — | — | — | — | 21.4 | |
| (4) यूरोपीय आर्थिक समूदाय | अनुदान | — | | — | — | — | 3.8 | — | — | — | — | |
| कुल जोड़ . . | | 5,711.6 | 1,506.5 | 718.8 | 946.8 | 634.3 | 761.9 | 929.2 | 676.2 | 1170.6 | | |

| स्रोत | सहायता का स्वरूप | तीसरी आयोजना के अंत | तक | | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|
| | | | 1966-67 | 1967-68 | 1968-69 | 1969-70 | 1970-71 | 1971-72 | 1972-73 | 1973-74 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| (क) ऋण . . | 3,808.8 | 1,034.1 | 398.5 | 753.1 | 421.8 | 705.4 | 774.5 | 639.6 | 1129.5 | | |
| (ख) अनुदान . . | 392.0 | 79.7 | 16.8 | 68.4 | 26.0 | 56.5 | 36.0 | 36.6 | 41.1 | | |
| (ग) पी० एल० 480/665 | | | | | | | | | | | |
| आधि से सहायता जिसे : | | | | | | | | | | | |
| (1) रुपयों में वापस करना है | 1,510.8 | 392.7 | 235.9 | 71.6 | 73.6 | — | 22.5 | — | — | | |
| (2) परिवर्तनीय मुद्रा में वापस करना है . . | .. | — | 67.6 | 53.7 | 112.9 | — | 96.2 | — | — | | |

टिप्पणियाँ: 1. विदेशी मुद्रा को रुपयों में बदलने के लिए विनिमय दरें तीसरी आयोजना के अन्त तक अवमूल्यन-पूर्व की विनिमय दर (1 डालर=4.7619 रुपये) और इसके बाद 1970-71 तक अवमूल्यन के बाद की विनिमय दर (1 डालर=7.50 रुपये) के अनुसार हैं। करार के अन्तर्गत स्वीकृत सहायता की रकम को रुपयों में बदलने के लिए 1971-72 के आंकड़ों के लिए मई 1971 से पूर्व की विनिमय दर अपनायी गयी है। 1972-73 के लिए आंकड़े केन्द्रीय विनिमय दर के आधार पर तैयार किये गये हैं जो दिसम्बर, 1971 में मुद्रा के पुनर्मूल्यन के बाद जारी थी। 1973-74 से ऋण देने वाले प्रत्येक देश की मुद्रा को रुपयों में परिवर्तित करने के लिए रुपयों की वार्षिक असत विनिमय दर का उपयोग किया गया है।

2. सम्भव है कि पूर्णांकन के कारण इन मदों का जोड़ दिये गये जोड़ से भेल न खाये।

3. 1973-74 के लिए स्वीकृत रकमों में सौक्षियत समाजवादी जनतंत्र संघ से गेहूं के लिए प्राप्त सहायता शामिल नहीं है।

*इसमें से 20.6 करोड़ रुपये 1969-70 के वर्ष के लिए हैं।

†इसमें अप्रैल, 1971 में हस्ताक्षर हुए दसवें येन ऋण की 10.0 करोड़ रुपये की रकम शामिल नहीं है और जो 1970-71 के लिए है।

@इसमें उत्पादन ऋण संख्या 207 की 120 करोड़ रुपये की रकम शामिल है जो 1969-70 के लिये है।

7. विदेशी सहायता

7.3 स्रोत के अनुसार वर्गीकृत विदेशी सहायता का उपयोग

(करोड़ रुपये)

| स्रोत | सहायता का स्वरूप | तीसरी पंचवर्षीय आयोजना के अन्त तक | 1966-67 | 1967-68 | 1968- | 1969- | 1970- | 1971- | 1972- | 1973- |
|--------------------------------|------------------|--|---------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. सहायता संघ के सदस्य | | 4158.5 | 1051.0 | 1124.4 | 810.0 | 774.8 | 733.1 | 811.6 | 640.3 | 814.8 |
| (क) अर्ण | | 2446.9 | 611.5 | 731.0 | 591.4 | 586.7 | 601.9 | 651.8 | 624.0 | 794.4 |
| (ख) अनुदान | | 308.4 | 79.9 | 51.7 | 61.0 | 18.6 | 42.2 | 47.9 | 12.0 | 20.4 |
| (ग) पी० एल० 480/665 आदि | | | | | | | | | | |
| सहायता जिसे | | | | | | | | | | |
| [(i) रुपयों में चुकाया जाना है | | 1403.2 | 359.6 | 310.9 | 84.5 | 107.5 | 37.7 | 8.8 | — | — |
| (ii) परिवर्तनीय मुद्रा में | | — | — | 30.8 | 73.1 | 62.0 | 51.3 | 103.1 | 4.3 | — |
| चुकाया जाना है] | | | | | | | | | | |
| देशवार-वितरण : | | | | | | | | | | |
| (i) आस्ट्रिया | अर्ण | 4.7 | 3.7 | 3.2 | 3.2 | 2.7 | 1.7 | 0.7 | 1.8 | 2.4 |
| | अनुदान | — | — | — | 0.4 | 0.4 | 0.4 | — | — | — |
| | जोड़ | 4.7 | 3.7 | 3.2 | 3.6 | 3.1 | 2.1 | 0.7 | 1.8 | 2.4 |
| (ii) बेल्जियम | अर्ण | 4.9 | — | 1.9 | 2.1 | 2.9 | 5.1 | 4.2 | 3.0 | 2.8 |
| (iii) कनाडा | अर्ण | 27.3 | 11.9 | 18.4 | 29.7 | 39.4 | 46.5 | 49.4 | 55.3 | 47.6 |
| | अनुदान | 134.4 | 68.3 | 45.5 | 48.2 | 10.0 | 34.6 | 27.8 | 5.6 | 12.3 |
| | जोड़ | 161.7 | 80.2 | 63.9 | 77.9 | 49.4 | 81.1 | 77.2 | 60.9 | 59.9 |
| (iv) डेनमार्क | अर्ण | 0.6 | 2.8 | 2.9 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 2.1 |
| | अनुदान | — | — | — | — | 0.8 | — | — | 0.1 | — |
| | जोड़ | 0.6 | 2.8 | 2.9 | 1.5 | 2.0 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 2.1 |
| (v) फ्रांस | अर्ण | 21.0 | 4.3 | 32.3 | 15.6 | 15.6 | 36.8 | 44.8 | 39.1 | 52.3 |
| (vi) पश्चिम जर्मनी | अर्ण | 339.6 | 63.6 | 67.6 | 57.6 | 61.3 | 53.6 | 68.2 | 81.8 | 81.4 |
| | अनुदान | 2.5 | 1.6 | 0.6 | 4.0 | 6.7 | 3.5 | 3.9 | 5.0 | 6.2 |
| | जोड़ | 342.1 | 65.2 | 68.2 | 61.6 | 68.0 | 57.1 | 72.1 | 86.8 | 87.6 |
| (vii) इटली | अर्ण | 11.6 | 0.2 | 1.5 | 54.4 | 25.8 | 10.7 | 12.0 | 13.5 | 1.0 |
| (viii) जापान | अर्ण | 112.9 | 30.2 | 46.7 | 68.0 | 45.3 | 36.5 | 41.8 | 62.0 | 95.7 |
| | अनुदान | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | जोड़ | 113.4 | 30.2 | 46.7 | 68.0 | 45.3 | 36.5 | 41.8 | 62.0 | 95.7 |
| (ix) सीदरलैंड | अर्ण | 9.5 | 6.6 | 8.4 | 5.7 | 9.1 | 16.2 | 11.6 | 11.0 | 20.1 |
| | अनुदान | — | — | — | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
| | जोड़ | 9.5 | 6.6 | 8.4 | 6.1 | 9.6 | 16.7 | 12.1 | 11.5 | 20.7 |
| (x) नार्वे | अर्ण | — | — | — | — | — | — | 0.1 | 1.0 | — |
| | अनुदान | 5.2 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | — | — | 1.7 | — | 0.2 |
| | जोड़ | 5.2 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | — | — | 1.8 | 1.0 | 0.2 |
| (xi) स्वीडन | अर्ण | — | 1.4 | 1.3 | 2.1 | 0.9 | 4.0 | 8.4 | 12.5 | 7.9 |
| | अनुदान | 3.5 | 2.2 | 0.1 | 0.7 | — | — | — | 0.4 | 1.1 |
| | जोड़ | 3.5 | 3.6 | 1.4 | 2.8 | 0.9 | 4.0 | 8.4 | 12.9 | 9.0 |
| (xii) फ्रिटेन | अर्ण | 292.3 | 90.5 | 80.6 | 54.9 | 81.1 | 75.3 | 91.4 | 125.7 | 130.5 |
| | अनुदान | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 4.9 | 0.2 | 3.2 | 1.5 | — | — |
| | जोड़ | 293.6 | 90.6 | 81.1 | 59.8 | 81.3 | 78.5 | 92.9 | 125.7 | 130.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| (xiii) संयुक्त राज्य अमेरिका | | | | | | | | | | |
| (क) अहण . . | | 1042.0 | 235.6 | 269.7 | 208.7 | 185.6 | 227.9 | 209.2 | 50.1 | 68.2 |
| (ख) अनुदान . . | | 161.0 | 7.1 | 4.5 | 1.9 | — | — | 12.5 | 0.4 | — |
| (ग) पी० एल० 480/665 आदि सहायता | | | | | | | | | | |
| (i) रस्यों में चुकाया जाने वाला . . | | 1403.2 | 359.6 | 3310.9 | 84.5 | 107.5 | 37.7 | 8.8 | — | — |
| (ii) परिवर्तनी मुद्रा में चुकाया जाने वाला . जोड़ . . | | — | — | 30.8 | 73.1 | 62.0 | 51.3 | 103.1 | 4.3 | — |
| 2606.2 | 602.3 | 615.9 | 368.2 | 355.1 | 316.9 | 333.6 | 54.8 | 68.2 | | |
| (xiv) अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक . | | 380.0 | 25.8 | 34.0 | 30.5 | 32.1 | 41.7 | 29.1 | 34.9 | 27.1 |
| (xv) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ | | 200.6 | 134.7 | 162.5 | 57.5 | 83.7 | 44.5 | 79.5 | 132.0 | 255.3 |
| 2. सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ | | | | | | | | | | |
| तथा पूर्वी यूरोपीय देश | अहण | 315.7 | 55.8 | 59.1 | 86.3 | 72.0 | 54.9 | 17.8 | 17.5 | 32.0* |
| अनुदान | | 5.4 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | — | — | — | — | — |
| जोड़ | | 321.1 | 56.8 | 60.2 | 87.0 | 72.0 | 54.9 | 17.8 | 17.5 | 32.0 |
| देश-वार-वितरण | | | | | | | | | | |
| (i) बल्गारिया . अहण | | — | — | — | 0.2 | 0.2 | — | — | — | — |
| (ii) चैकोस्लोवाकिया | अहण | 12.6 | 13.1 | 7.4 | 16.1 | 8.2 | 1.3 | 1.4 | 6.7 | 6.6 |
| अनुदान | | 0.4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| जोड़ | | 13.0 | 13.1 | 7.4 | 16.1 | 8.2 | 1.3 | 1.4 | 6.7 | 6.6 |
| (iii) हंगरी . अहण | | — | — | — | — | — | 0.7 | — | — | — |
| (iv) पोलैंड | . अहण | 11.3 | 1.0 | 1.8 | 1.4 | 4.2 | 2.8 | 2.4 | 0.6 | 2.4 |
| (v) सोवियत समाजवादी जनतंत्र | | | | | | | | | | |
| संघ . . | अहण | 282.1 | 36.1 | 46.4 | 56.6 | 49.4 | 36.8 | 14.0 | 9.5 | 14.7 |
| अनुदान | | 5.0 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | — | — | — | — | — |
| जोड़ | | 287.1 | 37.1 | 47.5 | 57.3 | 49.4 | 36.8 | 14.0 | 9.5 | 14.7 |
| (vi) युगोस्लाविया . अहण | | 9.7 | 5.6 | 3.4 | 12.0 | 10.0 | 13.3 | — | 0.7 | — |
| 3. प्रन्थ | . . | . अहण | 6.0 | 7.6 | 3.1 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 8.4 |
| | | अनुदान | 23.3 | 16.2 | 7.9 | 3.5 | 7.5 | 1.3 | 2.6 | — |
| | | जोड़ | 29.3 | 23.8 | 11.0 | 5.6 | 9.5 | 3.4 | 4.7 | 8.4 |
| देशवार-वितरण | | | | | | | | | | |
| (i) आस्ट्रिया . अनुदान | | 19.6 | 16.0 | 7.8 | 3.5 | 3.7 | 1.3 | 2.6 | — | — |
| (ii) न्यूजीलैंड . अनुदान | | 3.7 | 0.2 | 0.1 | — | — | — | — | — | — |
| (iii) स्विट्जरलैंड . अहण | | 6.0 | 7.6 | 3.1 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 2.2 |
| (iv) स्पेन . . | अहण | — | — | — | — | — | — | — | 6.8 | — |
| (v) यूरोपीय आर्थिक समुदाय अनुदान | | — | — | — | — | 3.8 | — | — | — | 0.3 |
| कुल जोड़ | | 4508.8 | 1131.4 | 1195.6 | 902.6 | 856.3 | 791.4 | 834.1 | 666.2 | 849.3 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----------------------------|---|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| (क) ऋण | . | . | 2768.7 | 674.7 | 793.2 | 679.8 | 660.7 | 658.9 | 671.7 | 649.9 | 828.6 |
| (ख) अनुदान | . | . | 336.9 | 97.1 | 60.7 | 65.2 | 26.1 | 43.5 | 50.5 | 12.0 | 20.7 |
| (ग) पी० एल० 480/665 आदि | | | | | | | | | | | |
| सहायता ¹¹ | | | | | | | | | | | |
| (i) रुपयों में चुकाया जाने] | | | | | | | | | | | |
| बाला | . | . | 1403.2 | 359.6 | 310.9 | 84.5 | 107.5 | 37.7 | 8.8 | -- | -- |
| (ii) परिवर्तनीय मुद्रा में | | | | | | | | | | | |
| चुकाया जाने बाला | | | — | — | 30.8 | 73.1 | 62.0 | 51.3 | 103.1 | 4.3 | — |

- टिप्पणियाँ : (1) तीसरी आयोजना के अन्त तक रकमें अवमूल्यन-पूर्व की विनिमय दर (1 डालर= 4.7619 रुपये) के अनुसार और बाद में 1970-71 तक के वर्षों के लिए अवमूल्यन के बाद की विनिमय दर (1 डालर= 7.50 रुपये) के अनुसार रुपयों में बदली गई है। 1971-72 के लिये उपयोग की गयी सहायता की रकमों को रुपयों में बदलने के लिये मई, 1971 से पूर्व की विनिमय दरें रखी गई हैं। 1972-73 के लिये रुपयों में आंकड़े उन केन्द्रीय दरों के आधार पर लिये गये हैं जो दिसम्बर 1971 में मुद्रा सम्बन्धी पुनर्मूल्यन के बाद प्रचलित थीं। 1973-74 से ऋण देने वाले प्रत्येक देश की मुद्रा को रुपयों में परिवर्तित करने के लिए उस देश की तिमाही औसत विनिमय दर को मुद्रा में उपयोग के सम्बन्ध में तिमाही आंकड़ों को इस्तेमाल किया गया है।
- (2) संभव है पूर्णकिंन के कारण इन मर्दों का जोड़ दिये गये जोड़ से मेल न खाये।
- (3) उपयोग संबंधी आंकड़ों में स्पलायर ऋण शामिल है। इसमें सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ से मिली गेहूं सहायता के आंकड़े शामिल नहीं हैं।

* इसमें रूमानिया से लिया गया 5 करोड़ रुपये का ऋण और जर्मन गणराज्य से लिया गया 3.3 करोड़ रुपये का ऋण शामिल है।

7. विदेशी सहायता

7.4 : विदेशी सहायता में अनुदानों तथा अप्रतिबद्ध ऋणों का अंश

(करोड़ रुपये)

| अवधि | कुल विदेशी सहायता | अनुदान | कुल सहायता में अनुदानों का अंश (प्रतिशत) | बिना शर्त ऋण * (प्रतिशत) | कुल सहायता में अप्रतिबद्ध ऋणों का अंश (प्रतिशत) |
|------------------|----------------------|---------|--|--------------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| पहली आयोजना तक | . | 317.7 | 110.6 | 34.8 | 53.2 |
| दूसरी आयोजना में | . | 2252.6 | 253.0 | 11.2 | 516.0 |
| तीसरी आयोजना में | . | 4531.0 | 167.0 | 3.7 | 603.3 |
| 1966-67 | . | 1131.4 | 97.1 | 8.6 | 183.1 |
| 1967-68 | . | 1195.6 | 60.7 | 5.1 | 253.0 |
| 1968-69 | . | 902.6 | 65.2 | 7.2 | 156.5 |
| 1969-70 | . | 856.3 | 26.1 | 3.0 | 196.3 |
| 1970-71 | . | 791.4 | 43.5 | 5.5 | 160.6 |
| 1971-72 | . | 834.1 | 50.5 | 6.1 | 177.9 |
| 1972-73 | . | 666.2 | 12.0 | 1.8 | 277.6 |
| 1973-74 | . | 849.3 | 20.7 | 2.4 | 451.1 |
| जोड़ | . | 14328.2 | 906.4 | 6.3 | 3028.6 |
| | | | | | 21.1 |

टिप्पणी—(1) विदेशी मुद्रा की रकमों को रुपयों में 1970-71 तक पुनर्मूल्यन के बाद की विनिमय दर ($1 \text{ डालर} = 7.50 \text{ रुपये}$) के अनुसार बदल कर दिखाया गया है। 1971-72 के लिये रुपयों में बदलने के लिए मई, 1971 से पहले की विनिमय दरें अपनायी गई हैं। 1972-73 के लिये रुपयों के आंकड़े केन्द्रीय दरों के आधार पर निकाले गये हैं जो दरें दिसम्बर, 1971 में मुद्रा के पुनर्मूल्यन के बाद प्रचलित थीं। 1973-74 से ऋण देने वाले प्रधेक देश की मुद्रा को रुपयों में बदलने के लिये उस देश की तिमाही औसत विनिमय दर की मुद्रा में उपयोग के सम्बन्ध में तिमाही आंकड़ों को इस्तेमाल किया गया है।

(2) 1973-74 के आंकड़ों में सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ से प्राप्त गेहूं की सहायता शामिल नहीं है।

*इसमें अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय विकास बैंक, स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी जर्मनी से लिये ऋण और ऋण सम्बन्धी राहत शामिल हैं।

7.5 : 1974-75 में विदेशी सहायता*

7. विदेशी सहायता

(करोड़ रुपये)

क. अधिकृत देश/संस्था

| अप्रैल दिसम्बर में किये गये सहायता करार | | | |
|--|----------------------|------|--|
| परियोजना भिन्न सहायता जिसमें ऋण राहत शामिल है | परियोजनागत सहायता | जोड़ | |
| | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--------|--------|--------|
| 1. बेल्जियम | 5. 8 | — | 5. 8 |
| 2. कनाडा | 34. 2 | 0. 6 | 34. 8 |
| 3. डेनमार्क | 6. 8 | — | 6. 8 |
| 4. फ्रांस | 11. 6 | — | 11. 6 |
| 5. पश्चिम जर्मनी | 80. 6 | 33. 2 | 113. 8 |
| 6. नीदरलैंड | 25. 0 | — | 25. 0 |
| 7. स्वीडन† | 36. 8 | — | 36. 8 |
| 8. ड्रिटेन | 74. 5 | — | 74. 5 |
| 9. संयुक्त राज्य अमेरिका | — | 13. 9 | 13. 9 |
| 10. अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक | — | 41. 7 | 41. 7 |
| 11. अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ जोड़ | 120. 3 | 238. 8 | 359. 1 |
| | 395. 6 | 328. 2 | 723. 8 |

ख. उपयोग :

| सहायता का स्वरूप | भुगतान** |
|------------------------------|----------|
| जोड़ | 10.81 |
| जिसमें | |
| (i) परियोजना-भिन्न सहायता | 67.4 |
| और (ii) परियोजनागत सहायता है | 40.7 |

टिप्पणी : ऋण देने वाले प्रत्येक देश की मुद्रा को रूपयों में बदलने के लिए उस देश की तिमाही औसत विनिमय दर को मद्रा के उपयोग के सम्बन्ध में तिमाही आंकड़ों को इस्तेमाल किया गया है। रूपयों के रूप में कितनी रकम का अधिकार दिया जा सकता है इसके आंकड़े तेंयार करने के लिए ऋण देने वाले प्रत्येक देश की मुद्रा की रूपयों में विनिमय दर की अप्रैल-दिसम्बर 1974 की नी महीनों की औसत दर को हिसाब में लिया गया है।

*इसमें सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ से प्राप्त गेहूं तथा ईरान और इराक से प्राप्त तेल सम्बन्धी ऋण की सहायता शामिल नहीं है। राशियों में ऋण राहत शामिल है।

**वर्ष के लिए अनुमान।

†इसके अतिरिक्त स्वीडन ने 7.4 करोड़ रुपये की तकनीकी सहायता दी है।

7. विदेशी सहायता

7.6 : विदेशी ऋण पर ब्याज आदि का भुगतान

(करोड़ रुपये)

| परिशोधन | ऋण | ब्याज | कुल ब्याज आदि का भुगतान |
|--------------|----|-------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| पहली आयोजना | . | 10.5 | 13.3 |
| दूसरी आयोजना | . | 55.2 | 64.2 |
| तीसरी आयोजना | . | 305.6 | 237.0 |
| 1966-67 | . | 159.7 | 114.8 |
| 1967-68 | . | 210.7 | 122.3 |
| 1968-69 | . | 236.2 | 138.8 |
| 1969-70 | . | 268.5 | 144.0 |
| 1970-71 | . | 289.5 | 160.5 |
| 1971-72 | . | 299.3 | 180.0 |
| 1972-73 | . | 327.0 | 180.4 |
| 1973-74 | . | 399.9 | 195.9 |
| 1974-75* | . | 401.0 | 200.8 |
| | | | 601.8 |

टिप्पणियाँ : यहां विदेशी मुद्रा और सामान के नियंत्रण के रूप में की गयी अदायगी से संबंधित आंकड़े दिये गये हैं। पहली तीन आयोजनाओं के आंकड़े अदमूल्यन-पूर्व की दर (1 डालर = 4.7619 रुपये) और इसके बाद 1970-71 तक के आंकड़े, अवमूल्यन के बाद की दर (1 डालर = 7.50 रुपये) के अनुसार रुपयों में दिये गये हैं। 1971-72 के संबंध में ब्याज आदि के रूप में दी गयी रकम को रुपयों में बदलने के प्रयोजन से मई, 1971 से पूर्व की विनिमय दरों को आधार माना गया है किन्तु 20 दिसम्बर, 1971 से 31 मार्च, 1972 तक के बीच की गयी ब्याज आदि के रूप में दी गयी रकम को रुपयों में आंकड़े के लिये केन्द्रीय दरें अपनायी गयी हैं। 1972-73 के लिए केन्द्रीय दरें अपनायी गयी हैं। सम्बद्ध तारीखों को रुपयों में मूलधन की वापसी और ब्याज की अदायगी करने के लिए ऋण देने वाले प्रत्येक देश की मुद्रा को रुपये की प्रतिदिन की वास्तविक दर को हिसाब में लिया गया है अक्टूबर 1974-मार्च 1975 के दौरान अनुमानों के लिए अक्टूबर 1974 के महीने की औसत दरों को हिसाब में लिया गया है।

*अनुमान।